# C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol. XXV, Tenth Session, 2012/1934 (Saka)**
**No. 22, Friday, May 4, 2012/Vaisakha 14, 1934 (Saka)**

| S U B J E C T | P A G E S |
|---|---|
| **ORAL ANSWER TO QUESTION** | |
| *Starred Question No.401 to 404 | 2-34 |
| **WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS** | |
| Starred Question Nos.405 to 420 | 35-102 |
| Unstarred Question Nos.4601 to 4830 | 103-586 |

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

**PAPERS LAID ON THE TABLE** **587-591**

**RESIGNATION BY MEMBER** **592**

**STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY** **592**
**234th and 235th Reports**

**MOTION RE: THIRTY-SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE** **593**

**BUSINESS OF THE HOUSE** **594-598**

**INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2012** **623-660**

Motion to Consider 623

Shri Ghulam Nabi Azad 623-626

Dr. Sanjay Jaiswal 627-634

Shri Jagdambika Pal 635-639

Shri Shailendra Kumar 640

Shri Dhananjay Singh 641-643

Shri R. Thamaraiselvan 644-646

Shri Kaushalendra Kumar 647-648

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar 649-651

Dr. Anup Kumar Saha 652-653

Shri Tathagata Satpathy 654-658

Dr. P. Venugopal 659-660

**PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION** **661-714**

Special Economic Development Package for the Desert Regions of the Country

Shri Harish Choudhary 661-669

Shri Hukmadeo Narayan Yadav 670-676

Shri Shailendra Kumar 677-680

Shri Satpal Maharaj 681-684

Shri S. Semmalai 685-686

| | |
|---|---|
| Shri Bhartruhari Mahtab | 687-692 |
| Chaudhary Lal Singh | 693-697 |
| Shri Arjun Ram Meghwal | 698-703 |
| Shri Mangani Lal Mandal | 704-706 |
| Shri Adhir Chowdhury | 707-710 |
| Shri N. Kristappa | 711-712 |
| Shri Mahendrasinh P. Chauhan | 713 |


**ANNEXURE – I**


| | |
|---|---|
| Member-wise Index to Starred Questions | 715 |
| Member-wise Index to Unstarred Questions | 716-720 |


**ANNEXURE – II**


| | |
|---|---|
| Ministry-wise Index to Starred Questions | 721 |
| Ministry-wise Index to Unstarred Questions | 722 |

# OFFICERS OF LOK SABHA

## THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

## THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

## PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

## SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

# LOK SABHA DEBATES

---

---

LOK SABHA

----------

Friday, May 4, 2012/Vaisakha 14, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

**(Q. 401)**

**श्री उदय प्रताप सिंह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े राज्य में 9 नर्सिंग कॉलेज दिए। एक नर्सिंग कॉलेज नरसिंहपुर जिले में भी दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं आपके माध्यम से दवा खरीद से संबंधित प्रश्न पूछना चाहता हूं। दवा दो किस्म से खरीदी जाती हैं, एक जो बाहर से अलग-अलग बीमारियों के लिए बड़े फंड के रूप में, वर्ल्ड बैंक आदि से पैसा आता है, उससे खरीदी जाती हैं और दूसरा हमारे स्वयं के बजट से खरीदी जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या प्रोसीजर है? क्या मेकेनिज्म है? दवा खरीद में किसी तरह की पारदर्शिता बरती जाती है?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, the hon. Member has asked about the mechanism of procurement of medicines from the domestic budgetary support and also under externally aided components. Procurement of drugs under Centrally sponsored schemes like Family Planning Programme, Universal Immunization Programme, Reproductive and Child Health Programme, Revised National Tuberculosis Control Programme, and National Vector Borne Disease Control Programme, is carried out through two routes which the hon. Member has mentioned. One route is through domestic budgetary support. Under this, procurement of medicines for Family Planning Programme and Universal Immunization Programme is done under the Government of India General Financial Rules. Under externally aided components, procurement of medicines for Reproductive and Child Health Programme, Revised National Tuberculosis Control Programme, and National Vector Borne Disease Control Programme is carried out by a procurement agent appointed through international competitive bidding under the World Bank guidelines.

Madam, earlier the UNOPS, a United Nations organisation, was carrying out this operation of procurement. Now it is being done by a procurement agent of RITES, a public undertaking of Railways. Before purchasing any medicines, quality assurance aspects involved in the procurement of projects. i.e., production

qualification, vendor qualification, transparent tendering process, complaint representation are taken into account. In the case of externally aided components, this is done by RITES in pre-bid meetings and at bid evaluation stage, scrutiny by the World Bank, the Standing Committee of the Ministry, the Integrated Purchase Committee of the Ministry. In the case of the domestic budgetary support there is the Pre-bid Committee, there is the Bid Evaluation Committee, and there is the Integrated Purchase Committee of the Ministry.

**श्री उदय प्रताप सिंह :** मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश राज्य में जैसे आपने बताया कि राज्यों को विधिवत दवाओं की खरीद के लिए दवाइयां दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और अन्य माध्यमों से जहां पर प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार है, कहीं कोई प्रशासन का स्वास्थ्य के क्षेत्र में नियंत्रण ही नहीं है। ऐसे प्रदेश में ये जो हम फंडिंग करते हैं, दवाएं देते हैं, उसकी किस तरह से मोनीटरिंग की जाती है? मध्य प्रदेश को कितनी मदद दी गई है? हमें कोई जानकारी नहीं है। इसकी हमें जानकारी दी जाए...(व्यवधान) साथ ही मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरह से आपने राष्ट्रीय स्तर पर खरीदी के लिए सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाई है, सभी लोग बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। क्या राज्य सरकारों को भी इस तरह से कोई सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाने के लिए यहां से दिशानिर्देश जाएंगे?

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** जहां तक पहले भाग का सवाल है, यह सत्य है कि हम नेशनल रूरल हैल्थ कमीशन में राज्य सरकारों को पैसे देते हैं और उसमें दो तीन किस्म के लिए- एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए या रेनोवेशन के लिए, सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स नये बनाने के लिए, रेनोवेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स के अपग्रेडेशन के लिए और नयी कंसट्रक्शन के लिए तथा प्राइमरी हैल्थ सब सेंटर जहां सरकारी बिल्डिंग नहीं है, उसको बनाने के लिए भी सरकार पैसा देती है लेकिन साथ साथ ही सरकार दो किस्म से उनको पैसा देती है। एक तो नेशनल रूरल हैल्थ मिशन में सरकार पैसा देती है और जहां तक मध्य प्रदेश के एनआरएचएम का सवाल है, वह वर्ष 2009-2010 में 705 करोड़ थे। वर्ष 2010-2011 में 766 करोड़ और वर्ष 2011-2012 में 870 करोड़ रुपये दिये गये हैं और उसके अलावा जहां तक दवाइयों का सवाल है, इसमें रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हैल्थ की चीजें यानी बहुत सारी किट्स यहां से खरीदकर दी जाती हैं। पल्स पोलियो के लिए वैक्सीन्स दी जाती हैं और भी सात किस्म की अलग वैक्सीन्स दी जाती हैं तथा रुटीन नेशनल ट्यूबरक्लॉसिस प्रोग्राम के लिए भी पैसे दिये जाते हैं और जितनी भी वैक्टर-बोर्न बीमारियां हैं, उनके लिए भी पैसा दिया जाता है। लेकिन जहां तक मध्य प्रदेश

का सवाल है, मेरे पास कोई विशेष स्पेसिफिक रिपोर्ट किसी केस के बारे में या करप्शन के बारे में नहीं आई है। यद्यपि यू.पी. के बारे में पहले आई थी लेकिन इंडिविजुअल केसेज कोई न कोई आदमी या एम.पी. यदि भेजता है तो उसकी हम इंक्वायरी कराते हैं लेकिन आने वाले समय में कोई भी गड़बड़ न हो, उसके लिए हमने सीएजी से रिक्वेस्ट की है कि सीएजी ऑडिट करे। मुझे बहुत खुशी है कि सीएजी ने हमारी रिक्वेस्ट कबूल की है और आने वाले समय में जितनी भी एनआरएचएम की टीम्स हैं, पूरे राज्य का ऑडिट करेंगी और जहां तक दूसरे भाग का सवाल है, क्योंकि अभी हमारे पास सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी नहीं है। अभी हमारी दो किस्म की एजेंसीज हैं। एक तो मंत्रालय राज्यों के लिए दवाइयां खरीदता है और सीजीएचएस के लिए हमारा एक अलग सिस्टम है, वह डीजीएचएस खरीदता है। उसके लिए हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री आने वाले समय में राज्यों के लिए दवाइयां खुद न खरीदे बल्कि हम एक सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी बनाए जैसे कि मध्य प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है और शायद राजस्थान में भी कुछ दिन पहले शुरु की गई है। उसके लिए करीब करीब सब काम मुकम्मिल हो गया है, कैबिनेट का एप्रूवल आ गया है, सोसायटी बन गई है, गवर्निंग बॉडी बन गई है जिसमें अधिकतर राज्यों के सचिव भी उस गवर्निंग बॉडी के मैम्बर्स हैं और अभी हमने एक सर्च कमेटी बनाई है और डीओपीटी सर्च कमेटी के पास उसे एक्सेप्ट करने के लिए भेजा था। सर्च कमेटी डीओपीटी ने एक तारीख को उसे एक्सेप्ट किया है और उसके दूसरे दिन ही अभी तीन दिन पहले सर्च कमेटी की पहली मीटिंग हुई है और मुझे आशा है कि इस साल के अंत तक यह सेन्ट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी बन जाएगी।

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** अध्यक्ष महोदया, औषधियों की खरीद संबंधी प्रश्न पर बोलने के लिए जो आपने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आजकल औषधियां महंगी होते जा रही हैं। वे आम आदमी की रीच में नहीं होती हैं, खासकर केंसर, डाइबिटीज तथा मोटापा का मैं जिक्र कर रहा हूं कि इन बीमारियों के लिए जो दवाइयां अभी बाजार मं उपलब्ध हैं, वे आम आदमी की खरीद के बाहर है।

उसके दूसरी ओर एक विरोधावासी चित्र यह है कि गुटका जिससे केंसर होता है, वह आम आदमी को एक-एक औऱ दो दो रुपये में उपलब्ध होता है। मैं मानता हूं कि यह मौत का सामान आसानी से उपलब्ध होता है और दवाइयां उनको नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं विद्वान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि खासकर केंसर और मोटापा के लिए जो दवाइयां महंगी हैं, क्या सरकार उनको सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी और क्या सरकार गुटका पर बैन लगाएगी?

**अध्यक्ष महोदया :** ये आप लोग क्या कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** मैं माननीय सांसद को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने जो दोनों प्रश्न पूछे हैं, वे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनमें सिगरेट से तो नुकसान होता ही है लेकिन सिगरेट से कई गुना ज्यादा गुटका या तम्बाकू चबाने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है और केंसर के लिए और खास तौर से जो मुंह का केंसर है, मौत का केंसर है, उसके लिए तो यह बहुत ही खतरनाक है। जहां तक केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का सवाल है, हम रेडियो, टी.वी. और पेपर्स के द्वारा या राज्यों के द्वारा हम इसके बारे में पूरी जानकारी देश को दिलाते हैं और एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस महीने की सात तारीख से अब हमने 30 रेडियो चैनल्स और 30 दूरदर्शन के रीजनल चैनल्स यानी कुल मिलाकर 60 चैनल्स हमने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकॉस्टिंग मिनिस्ट्री से प्राइम टाइम खरीदा है और प्राइम टाइम पर दूरदर्शन के सभी रीजनल चैनल्स से 30 और रेडियो के 30 चैनल्स से अब स्वास्थ्य प्रोग्राम शुरु हो गया है। जिस दिन हर शाम को...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) …* *

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** एक मैम्बर यदि बोले तो मैं समझ सकता हूं।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** वे उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप बैठिए। मंत्री जी, आप चेयर को संबोधित करके अपना उत्तर दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आज़ाद :** मैं आपके सैन्टिमैन्ट्स की कद्र करता हूं और अगर मुझे दूसरे मंत्रालयों और फाइनेन्स मिनिस्ट्री से इस बारे में चर्चा करनी होगी तो मैं अकेले यह निर्णय नहीं ले सकता। लेकिन मैं आपकी भावना से अपने आपको जोड़ता हूं कि इस तरह की जितनी नशीली चीजें हैं, जिनसे देश को नुकसान होता है और लोगों की सेहत पर असर पड़ता है, उन पर कोई न कोई अंकुश लगना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ हूं।

जहां तक दवाई का सवाल है, यह सत्य है कि कैंसर की दवाइयां, दिल की बीमारियों की दवाइयां और किडनी की दवाइयां बहुत महंगी हैं और इसीलिए विश्व में भारत शायद पहला देश है, जहां हमने पिछले साल 21 राज्यों के एक सौ जिले लिये हैं और ये एक सौ जिलों हमने अर्ली डिटैक्शन कंट्रोल

---

* Not recorded.

और ट्रीटमैन्ट के लिए लिये हैं। ये हमने सबसे पिछड़े हुए जिले लिये हैं। इनमें हमने कार्डिएक यूनिट के लिए स्क्रीनिंग ऑफ डायबिटीज के लिए और कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए इन राज्यों को पैसा दिया है। हमने न सिर्फ इक्युपमैन्ट के लिए बल्कि डाक्टरों, नर्सों और स्पेशलिस्ट के लिए भी दिये हैं और इतना ही नहीं एक-एक डिस्ट्रिक्ट को सौ-सौ पेशेन्ट्स की किमोथैरेपी के लिए भी एक-एक लाख रुपये दिये हैं। इस तरह से हमने एक  डिस्ट्रिक्ट को सौ लाख रुपये दिये और सौ डिस्ट्रिक्ट्स को सौ करोड़ रुपये दिये हैं। लेकिन वह...(व्यवधान)

**श्री यशवंत सिन्हा :** यह पैसा कौन बांटता है?

**श्री गुलाम नबी आज़ाद :** यह सीधे स्टेट गवर्नमैन्ट को जाता है। ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This is not a discussion going on.  You please address the Chair.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Have you completed your answer?

**श्री गुलाम नबी आज़ाद :** यह पैसा आपको नहीं मिलेगा, यह सीधे स्टेट गवर्नमैन्ट को मिलेगा, स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में यह सीधे प्राप्त होगा।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What are you doing?

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Minister, have you completed your answer to Dr. Kirit Premjibhai Solanki's question? Please complete your answer to Dr. Kirit Premjibhai Solanki's question.

**श्री गुलाम नबी आज़ाद :** मैं एम.पीज. को बताता हूं कि एम.पी. न तो इसकी स्क्रीनिंग कर सकते हैं और न टैस्ट कर सकते हैं। यह हमने राज्य सरकारों को दिया है, हमने सौ डिस्ट्रिक्ट्स चुन लिये हैं और उन सौ डिस्ट्रिक्ट्स को इक्युपमैन्ट्स के लिए, डाक्टर के लिए स्क्रीनिंग के लिए पैसा दिया है, फिर एम.पी. बीच में कहां से आ जाता है। चाहे वह कांग्रेस का एम.पी. हो या अन्य कोई एम.पी. हो।

**श्री जगदीश शर्मा :** अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बहुत पुराने और अनुभवी मंत्री हैं। सवाल दवा की उपलब्धता के बारे में स्पष्ट है और यह उसके वितरण से संबंधित है। अब यह कहां-कहां और क्या-क्या कार्यक्रम चला रहे हैं, यह इससे संबंधित नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो राज्य सरकारें दवाइयां नहीं खरीद सकती हैं और जो दवाइयां खरीदने का अधिकार केन्द्र सरकार को है, जैसा कालाजार की दवाई, कैंसर की दवाई। मैं जिस राज्य बिहार से आता हूं, आप भी उसी राज्य से आती

हैं। वहां कालाजार का भयंकर प्रकोप है और राज्य सरकार बार-बार केन्द्र सरकार से कई महीनों से मांग कर रही है कि कालाजार की दवाई बिहार में उपलब्ध नहीं हैं, आप दवाई भेजिये। लेकिन केन्द्र सरकार दवा नहीं भेज रही है और हजारों लोग कालाजार से पीड़ित हैं और सैकड़ों लोग बिहार में इस बीमारी से मर चुके हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने आपके पास कालाजार की दवाई के लिए जो डिमांड भेजी है, आपने वह दवा अब तक उपलब्ध क्यों नहीं कराई है, इसकी क्या वजह है, क्या कारण है?

**अध्यक्ष महोदया :** आपका प्रश्न हो गया, अब मंत्री जी आप जवाब दीजिए। आप कितने सवाल पूछेंगे?

**श्री जगदीश शर्मा :** आज बिहार में जो कालाजार से पीड़ित हैं और जो इससे प्रभावित हैं..

**अध्यक्ष महोदया :** ठीक है, आप इतना लम्बा प्रश्न मत करिये।

**श्री जगदीश शर्मा :** हम मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि यह दवा कब तक उपलब्ध करायेंगे, सरकार इस पर जवाब दे।

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** मैडम, दो चीजें इससे कनैक्ट कर रहा हूं। इस सदन को मालूम होना चाहिए कि स्वास्थ्य स्टेट सब्जैक्ट है।...(व्यवधान) लेकिन उसके अलावा भी केन्द्रीय सरकार और खासतौर से यूपीए की सरकार ने थ्रू एनआरएचएम जितनी मदद राज्य सरकारों को की है किसी और सरकार ने नहीं की है। चाहे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बनाने के लिए, प्राइमरी हैल्थ सेंटर बनाने के लिए तथा सब-सेंटर बनाने के लिए...(व्यवधान) [illegible] किसी भी सरकार ने नहीं किया। ...(व्यवधान) इनके वक्त में तो 10 रुपये भी नहीं मिलते थे, हमारे वक्त में आज हजारों करोड़ रुपये मिल रहे हैं। आप मुझे बताइये कि इनके वक्त में, एनडीए के वक्त में कौनसी स्कीम बनी थी...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please reply to Shri Jagdish Sharmaji. आप उनका जवाब दे दीजिए।

**श्री गुलाम नबी आज़ाद :** जहां तक काला-आज़ार की दवाई का सवाल है, इसके लिए राइट प्रोक्योमेंट एजेंसी है वह खरीदती है और यह दवा दो-तीन महीने में आ जाएगी और सप्लाई हो जाएगी।

MADAM SPEAKER: Let us move on.

**श्री यशवंत सिन्हा :** यह क्या मज़ाक है? माननीय मिनिस्टर साहब को क्या इस तरह से जवाब देना चाहिए।

MADAM SPEAKER: Nothing else will go into the records.

*(Interruptions) …*[*]

[*] Not recorded.

**(Q. 402)**

**श्रीमती रमा देवी :** माननीय अध्यक्ष महोदया, देश की आजादी के 63 साल के बाद भारत के 43 प्रतिशत किसानों को सरकार द्वारा स्थापित वित्त संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं हो रहा है। मजबूरन इन 43 प्रतिशत किसानों को 10 प्रतिशत ब्याज दर से साहूकारों से ऋण लेना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के होनहार कारीगर, चाहे कुम्हार हों, लुहार हों, बढ़ई हों, कारपेंटर हों या फिर छोटे-छोटे काम करने वाले हों, वित्त के अभाव में खाली हाथ बैठे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने के लिए सरकार न जाने क्या-क्या घोषणाएं करती है। कभी कहती है कि 2000 वाली जनसंख्या के लिए 76,800 गावों में बैंक खोले जाएंगे, कभी बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि कुल ऋण का 25 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में ऋण दिया जाएगा। इस तरह से किसानों को केवल लॉलीपॉप दिखाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि किसानों द्वारा ऋण भुगतान करने में असफल रहने के कारण जो आत्म-हत्याएं की गयी हैं, उनकी संख्या कितनी है? क्रेडिट कार्ड के संबंध में सबसे खराब स्थिति बिहार की है। बैंक उसे ऋण देने के लिए आना-कानी करते हैं, इसके लिए अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का आंकड़ा कितना है, यह भी बताने का काम करें। धन्यवाद।

**श्री नमोनारायन मीणा:** महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में और खास कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट फ्लो देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ...(व्यवधान) सन् 2003-04 में 86 हजार करोड़ रूपये ...(व्यवधान)

**श्री यशवंत सिन्हा :** सन् 2003-04 से इस प्रश्न क्या लेना देना है? ...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...*[*]

**श्री नमोनारायन मीणा:** महोदया, सन् 2005-06 में ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** मंत्री जी, जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** आप क्यों खड़े हो गए हैं?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

**श्री नमोनारायन मीणा:** महोदया, किसानों को 86 हजार करोड़ रूपये का क्रेडिट दिया जा रहा था। ...(व्यवधान) सन् 2005-06 में 1 लाख 80 हजार करोड़ रूपये दिया जा रहा था। सन् 2010-11 में 4

---

[*] Not recorded.

लाख 68 हजार करोड़ रूपये किसानों के लिए आरक्षित किया गया है। ...(व्यवधान) इस बार के बजट में 5 लाख 75 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ...(व्यवधान) जहां तक क्रेडिट कार्ड की बात आई है। ...(व्यवधान) देश में लगभग 11 करोड़ लोगों के लिए केसीसी बनाए गए हैं। number of accounts, finance growth, सन् 2008-09 में 4 करोड़ 56 लाख रूपये था, वह सन् 2010-11 में 5 करोड़ 49 लाख किसान को दिया गया है और तिरानवे लाख अकाउंट्स ज्यादा बढ़े हैं। जहां तक स्माल और मार्जिनल फारमर्स का सवाल है ...(व्यवधान) सन् 2008-09 में 2 करोड़ 45 हजार किसानों को ऋण दिया गया है। ...(व्यवधान) जो 2010-11 में 3 करोड़ 34 लाख किसानों को ऋण दिया गया है ...(व्यवधान) मार्जनल और स्माल फारमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। ...(व्यवधान) लगभग 60 प्रतिशत मार्जनल और स्माल फारमर्स को दिया जा रहा है। ...(व्यवधान) जहां तक किसानों को देने की बात है ...(व्यवधान) हमारी सरकार डेट वेवर और डेट रिलीफ लेकर आई है ...(व्यवधान) और इसमें लगभग 52 हजार करोड़ रूपये अभी तक किसानों के ऋण माफी के लिए दिए गए हैं या बड़े किसानों का ...(व्यवधान) वह हमारी सरकार ने मंजूर किया है। ...(व्यवधान) जहां तक केसीसी का सवाल है ...(व्यवधान) हमारी सरकार चाहती है कि हर एलिजिबल किसान को केसीसी मिले। ...(व्यवधान) और उसकी संख्या मैंने 11 करोड़ बताई है। ...(व्यवधान) हम सभी किसानों को केसीसी देना चाहते हैं। ...(व्यवधान) उनको सब्वेंशन दिया गया है। ...(व्यवधान) तीन प्रतिशत का सब्वेंशन चल रहा है। ...(व्यवधान) जो किसान प्रांप्टली पेमेंट कर रहे हैं उन्हे मात्र 4 प्रतिशत देना पड़ रहा है। ...(व्यवधान) माननीय सदस्या ने डेट का सवाल उठाया है। ...(व्यवधान) अगर एक भी किसान वित्तीय डिस्ट्रेस से मरता है तो यह हम सब के लिए चिंता का विषय है। ...(व्यवधान) आप फिगर देख लीजिएगा। ...(व्यवधान) मुझे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं। ...(व्यवधान) सन् 2009 में आंध्र प्रदेश में 299 थे, इस साल की रिपोर्ट में मात्र 109 है। ...(व्यवधान) It is coming down. कर्नाटक में 2008-09 में 156 थे अब वह 77 हो गए हैं। ...(व्यवधान) सन् 2009 महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 550 थे और सन् 2011 में 123 का फिगर है। ...(व्यवधान) It is coming down. एक भी किसान मरता है तो यह हमारे लिए चिंता का विषय है। ...(व्यवधान) किसानों के रीहैबिलिटेशन के लिए, जब प्रधानमंत्री जी गए थे ...(व्यवधान) तब 31 जिलों को 17 हजार करोड़ रूपये दिए गए थे ...(व्यवधान) जिसमें महाराष्ट्र को भी 38 सौ करोड़ रूपये दिए गए थे। ...(व्यवधान) और किसान को ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट दिया गया था। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** दूसरा प्रश्न पूछिए।

**श्रीमती रमा देवी :** महोदया, मेरे पहले प्रश्न के हिसाब से बिहार के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। पता नहीं कहां कहां घुमा दिया है। मंत्री जी अब हमें दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। भाषण नहीं चाहिए। मैं जो प्रश्न पूछ रही हूँ केवल उसी का ही जवाब चाहिए। अब मैं दूसरा प्रश्न पूछ रही हूँ। क्या सरकार ने 15 जुलाई 2011 को निर्देश दिए हैं कि कुल ऋण में से 25 प्रतिशत ऋण दिया जाए। इस संबंध में अब तक कितना ऋण दिया है और कुल कितना प्रतिशत ऋण है? देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने एवं लोगों को निर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन बैंकों से ऋण मिलना चाहिए वे दलालों के माध्यम से ही मिल पा रहा है। ...(व्यवधान) बैंक प्रबंधक तब तक ऋण नहीं देता है जब तक कि दलाल सिफारिश नहीं करते हैं। इस संबंध में हमने अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर में कई बैंकों की शिकायत की है। परंतु आज तक किसी की कार्यवही नहीं हुई है। गत दो साल के दौरान के मैंने शिवहर संसदीय क्षेत्र में कार्यरत जिन बैंकों की शिकायत वित्त मंत्री जी से की है, उसमें कितने अधिकारी दोषी पाए गए हैं और कितनों को सजा मिली है? ...(व्यवधान)

**श्री नमो नारायन मीणा:** महोदया, कृषि हमारी प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमारी प्राथमिकता का 18 प्रतिशत कृषि के लिए निर्धारित है। हमने ऋण मुक्ति की एक और योजना चलाई है। ...(व्यवधान) उसके तहत निर्धारित कृषि ऋण का 3 प्रतिशत का, सभी बैंकों को निर्दश दिया गया है कि जो लोग मनी लेण्डर के शिकंजे में आए हैं, उन्हें ऋणमुक्त किया जाए। ...(व्यवधान) उसमें भी अच्छी प्रोगेस हुई है। ...(व्यवधान) अभी बिहार से माननीय सदस्य बता रही थीं ...(व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है, उसके सदस्य सारे माननीय सदस्य हैं। ...(व्यवधान) सभी को केसीसी मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) जहां तक जो योजनाएं चल रही हैं ...(व्यवधान) ग्रामीण स्वरोजगार योजना ...(व्यवधान) शहरी स्वरोजगार योजना ...(व्यवधान)

**श्री गणेश सिंह :** महोदया, माननीय सदस्या का प्रश्न बैंक ऋण से संबंधित है और मंत्री जी जवाब कुछ और दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री नमो नारायन मीणा:** प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत सभी को रोजगार दिया जाएगा। ...(व्यवधान) और गरीबों को उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। ...(व्यवधान)

**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :** महोदया, इस देश में 66 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र हैं। ...(व्यवधान) देश में खेती-बाड़ी मुख्य व्यवसाय है। ...(व्यवधान) यहां की 70 प्रतिशत जनसंख्या अपने परिवार का लालन-पालन खेती-बाड़ी से ही करती है। आप खेती-बाड़ी के लिए क्या कर रहे हैं? उनके बीज, खाद और मजदूरों को वेतन देने के लिए कहां से ऋण लेते हैं? इसका अध्ययन और अनुमान किसानों के सर्वे में उनकी

स्थिति जानने के लिए कभी-कभी सरकार अध्ययन करवाती है। सन् 2003 में एक अध्ययन अनुमान से पता चला कि भारतीय किसान 57 प्रतिशत ऋण संस्थाओं से लेते हैं और 43 प्रतिशत ऋण महाजनों, व्यापारियों और साहुकारों से लेते हैं। 35 साल पहले एक अध्ययन हुआ था और ऐसा अध्ययन सन् 1971 में करवाया गया था। किसानों की दयनीय दशा होने एवं बढ़ते कर्ज, फसल खराब होने एवं सूखा पड़ने से सन् 2009 में महाराष्ट्र में 550 और आंध्र प्रदेश में 156 आत्महत्याएं हुई हैं। आतंकवादियों को फांसी नहीं देना, उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाया जा रहा है लेकिन किसानों की आत्महत्या का ताण्डव यह सरकार खुली आंख से देख रही है।

महोदया, किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए जो ऋण दिया जाता है वह केवल 57 प्रतिशत किसानों को ही मिल रहा है। बाकी 43 प्रतिशत लोग साहूकारों और महाजनों से ऋण ले रहे हैं। अभी तक इसके लिए कोई कायदा नहीं बना है और जो भी कायदा बना होगा तो उसका इंप्लिमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। महोदया, यह जो ऋण नीति है, वर्ष 2008 में यूपीए सरकार चुनाव जीतने के लिए किसानों के लिए ऋण माफी की नीति लायी थी।

**अध्यक्ष महोदया :** आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :** महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदया :** आप बहुत लंबी बात कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing else will go on record.

*(Interruptions) ...*[*]

**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :** किसानों के लिए एक सर्वे होना चाहिए, वह सर्वे सरकार कब करने वाली है?

**अध्यक्ष महोदया :** फिर आप इतना लंबा बोल रहे हैं।

**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :** जैसे कि खेती एक उद्योग है, क्या खेती को उद्योग का दर्जा यह सरकार दिलाने वाली है?

**अध्यक्ष महोदया :** आप प्रश्न पूछिये।

---

[*] Not recorded.

**श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :** महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि क्या सरकार वर्ष 2008 की तरह वर्ष 2012 में भी ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसानों के ऋण को माफ करने का कोई विचार कर रही है? सरकार इसका जवाब दे।

**श्री नमो नारायन मीणा :** महोदया, माननीय सदस्य ने कई सवाल पूछे हैं।

**अध्यक्ष महोदया :** कई सवाल नहीं, आप एक सवाल का जवाब दीजिये। Hon. Members, please ask one supplementary and let the answer be concise. This is how we should run the Question Hour. Please do not ask too many supplementary questions. The answer should be concise.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Minister, please give concise and 'to-the-point' answers.

**श्री नमो नारायन मीणा :** महोदया, इसमें इंसीडेंस ऑफ इन्डेब्टनेस का जो माननीय सदस्य ने कहा कि वर्ष 2003 के आंकड़ों पर सर्वे हुआ था और रिपोर्ट वर्ष 2005 में आयी थी। उस समय जो आपने आंकड़े दिये हैं, ये तो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, अब एनएसएसओ सर्वे वर्ष 2013 में जनवरी से दिसंबर तक होने जा रहा है, इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। जहां तक मनी लैंडर्स का सवाल है, उस समय जो मनी लैंडर्स थे, वे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ज्यादा कर्जा लेते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह बढ़ता जा रहा है, हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है। साढ़े चार हजार से पांच हजार बैंक्स की शाखाएं हम खोल रहे हैं। जहां तक कर्जा मुक्ति का सवाल है, भारत सरकार ने नयी स्कीम चलायी है, जिसमें जो साहूकार है, उसका ऋण बैंक किसान से पूछकर चुकायेगा ताकि किसान उनके क्लचेज से निकल सके, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।…(व्यवधान) जो हमने ऋण माफी की स्कीम चलायी थी, उसमें हमने 52 हजार करोड़ रूपये रिलीज किये हैं, बाकी और कोई फर्दर कंसीडरेशन नहीं है।

**डॉ. ज्योति मिर्धा :** महोदया, अभी मंत्री जी ने अपनी बात कहते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को टच किया था और उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की बात की थी। मैं सदन का ध्यार आकर्षित करना चाहूंगी कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर जब कोई किसान ऋण लेता है तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, वह उसका हाथों-हाथ उसमें से कट जाता है और वह प्रीमियम काटकर उसे लोन दिया जाता है। जब वापस मुआवजा देने की बारी आती है तो इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि है कि जो इसमें इकाई माना गया है, वह तहसील लेवल को या ब्लाक लेवल को मानते हैं। अगर तहसील के ऊपर सूखा पड़ा है तो फिर हर किसान को उसका मुआवजा मिलेगा, पर जिन क्षेत्रों के अंदर, चूंकि क्षेत्रफल इतना बड़ा हो जाता है, कहीं पर अच्छी

बरसात हुई होती है, कहीं पर नहीं होती तो एवरेज आउट जब करते हैं तो उसके अंदर किसान को नुकसान रहता है। इसे जरूर करेक्ट करना चाहिए, यह मेरा मंत्री जी को सुझाव है।

महोदय, दूसरा जो मैं सवाल मंत्री जी से पूछना चाह रही थी कि हमारी सरकार ने पिछले तीन वर्षों में बहुत बढ़िया काम किया है। उसकी नीयत में कहीं कोई कमी नहीं है। ...(व्यवधान) आप शांति बनाये रखिये।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** उन्हें बोलने दीजिये, उन्हें सवाल पूछने दीजिये।

...(व्यवधान)

**डॉ. ज्योति मिर्धा :** महोदया, हर साल एक लाख करोड़ रूपये का क्रॉप लोन, हम एग्री क्रेडिट हर साल एक लाख करोड़ का बढ़ा रहे हैं, पिछले तीन फिजिकल्स के अंदर।...(व्यवधान) आप जानते हैं कि पिछले तीन सालों से हमने यह भी प्रावधान कर रखा है कि जो किसान अपना ऋण समय पर चुकाता है, हम उसे इंट्रेस्ट सब्वेन्शन भी देते हैं। इसके लिए हमारे पास तीन व्यवस्थाएं हैं कि किसानों को जो एग्री क्रेडिट दिया जाता है।

**अध्यक्ष महोदया :** आप प्रश्न पूछिये।

**डॉ. ज्योति मिर्धा :** महोदया, मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। किसानों को जो एग्री क्रेडिट दिया जाता है, वह तीन व्यवस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है, एक कोऑपरेटिव्स, दूसरे जो रूरल बैंक्स होते हैं, उनके थ्रू और कामर्शियल बैंक्स के माध्यम से दिया जाता है। कोऑपरेटिव्स के अंदर, मंत्री जी खुद राजस्थान से आते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि हम अपनी इस आउटरीच को बढ़ा सकें इसके लिए पिछले तीन वर्षों से जो सहकारी भूमि विकास बैंक है, वे लोग शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन नहीं दे पा रहे हैं। इसकी क्या व्यवस्था मंत्री जी करवाएँगे कि वे भी किसानों को लोन दे सकें ताकि हमारी जो आउटरीच है, क्योंकि ऐसे छत्तीस बैंक हैं। मेरे अपने क्षेत्र में एक बैंक की सात शाखाएँ हैं। क्या मंत्री जी कुछ व्यवस्था करेंगे कि आउटरीच बढ़ सके और हम इन बैंकों के द्वारा भी किसानों को ऋण वितरण कर सकें ताकि जो हम करना चाह रहे हैं, हम उसको अचीव कर सकें?

**श्री नमो नारायन मीणा :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि हम लोगों के जितने भी कॉमर्शियल शैड्यूल्ड बैंक्स हैं, उनसे हम किसानों को ऋण देते हैं। दूसरा कोआपरेटिव्ज़ के माध्यम से देते हैं और तीसरा, स्टेट्स में दो तरह के स्ट्रक्चर हैं - एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है और दूसरा लॉग टर्म स्ट्रक्चर है। जो भूमि विकास बैंक की बात आप कर रही हैं, ये एक तरह से सोसाइटीज़ हैं, ये बैंक नहीं हैं। स्टेट गवर्नमैंट ही उनको कंट्रोल करती है और आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से वे बैंक नहीं है । हम शॉर्ट टर्म वालों को

जो भी सबवैन्शन वे देते हैं, वह नाबार्ड को देते हैं, नाबार्ड को भारत सरकार देती है। अगर उनकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो उनका कैपिटल राज्य सरकार को बढ़ाना चाहिए। …(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप प्रश्न पूछिये।

…(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** उनको प्रश्न पूछने दीजिए। Nothing else will go on record.

*(Interruptions) …* *

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** माननीय अध्यक्ष जी, विगत वर्षों में देखा गया है कि सरकार के लाख प्रयास करने के बावजूद किसानों की आत्महत्याओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने तमाम ऋण माफी की योजनाएँ लागू की हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये का भी भुगतान नहीं हो पाया है जिस कारण वहाँ के गन्ना के किसान अपने को बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और उनकी पैदावार पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। आज जो किसान परंपरागत खेती करते थे, उससे उन्मुख होकर या तो वे घर पर बैठ गए हैं, या अपने गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने इस विषय में कोई कार्य योजना बनाई है कि जो किसानों का बकाया भुगतान है, चाहे वह अनाज का हो, गन्ने का हो, कपास का हो या रबड़ का हो, बकाया ब्याज के साथ कब तक उनका भुगतान कर दिया जाएगा? दूसरी बात यह है कि जो किसान ऋण ले रहे हैं, क्या आप उनको नॉमिनल एक या दो प्रतिशत ब्याज पर ऋण मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे?

**श्री नमो नारायन मीणा :** महोदया, जहाँ तक किसानों को सस्ते ऋण देने का प्रश्न है, पहले ही बैंक सात परसैंट किसानों से ब्याज लेता है। हम आरबीआई को कॉमर्शियल बैंक्स के लिए दो परसेंट देते हैं ताकि इंस्टीट्यूशन्स को दें और डेढ़ परसेंट नाबार्ड को देते हैं। एक तो हमारा यह सबवैन्शन है कि इंस्टीट्यूशन्स को दें। दूसरा सबवैन्शन जो हम किसानों को दे रहे हैं, अलग अलग साल एक-एक करके एडीशनल सबवैन्शन तीन परसेंट दिया। अब जो प्राम्प्टली किसान पेमेन्ट कर रहा है, उसको मात्र चार परसेंट देना पड़ेगा। अब के बजट में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि अगर कोई किसान अपने माल को किसी रजिस्टर्ड वेयरहाउस में रखेगा तो छः महीने तक रख सकता है ताकि डिसट्रैस सेल नहीं करनी पड़े और उसको सबवैन्शन अलाउड होगा।

जहाँ तक सूसाइड की बात की है, मैंने आँकड़े दिये थे जो हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने उपलब्ध कराए हैं। यह डिक्रीज़िंग ट्रैन्ड है। आंध्र प्रदेश में कम हुआ, कर्नाटक में कम हुआ, महाराष्ट्र में कम हुआ और

---

* Not recorded.

यूपी में 2011 में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट से डैटा आया है, उसमें 'निल' है। जहां तक पेमेन्ट का सवाल है, किसानों से जो भी चीज़ खरीदेगा, एफसीआई समर्थन मूल्य पर जो भी धान खरीदते हैं, उसका समय पर पेमेन्ट करती है, बाकी राज्य सरकार या अन्य इनस्टीटयूशन्स खरीदते हैं, उनको समय पर पेमेन्ट करना चाहिए।

**(Q.403)**

SHRI K. NARAYAN RAO: Madam Speaker, I thank you for giving me this opportunity.… (*Interruptions*)

Madam, the Ashok Chawla Committee headed by the former Finance Secretary had been set up in early 2011 to suggest transparent and corruption free process for allocation of natural resources. May I know from the hon. Minister why such an important Report has not been put in the public domain for debate despite repeated requests from the various stakeholders? This is my first supplementary.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, as I have given the reply in my written statement, the Ashok Chawla Committee was appointed by the Government to examine the issue of allocation of natural resources. The Committee submitted its Report. There was the Group of Ministers. Then, a Committee of Secretaries was appointed to examine it. They gave the Report. The Group of Ministers have examined it, they have recommended to the Government by accepting 69 recommendations. One was rejected and the remaining 11 are still pending. Since the matter is pending with the Government, therefore, I think let the Government take the decision on this.

SHRI K. NARAYAN RAO: My second supplementary is: Why are the Ashok Chawla Committee's recommendations not being extended to the financial regulators such as the Securities and Exchange Board of India and the Insurance Regulatory Development Authority? If it is extended to these regulatory bodies, we can ensure transparency and also ensure that the people concerned are free from corruption.

SHRI NAMO NARAIN MEENA: Madam, the terms of reference of this Ashok Chawla Committee were to identify major natural resources which are allocated, distributed by the Government of India and the institutional framework for utilization of certain resources. Secondly, it is to suggest measures to optimize the benefits of such utilization for all the stakeholders while ensuring sustainability of

resources. This was meant to examine and suggest measures only for the natural resources. It was not extended, it was not recommended to look into the financial sector.

**श्री संजय निरुपम :** मैडम, अशोक चावला कमेटी की तमाम सिफारिशों में से एक सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण थी और वह यह है कि जितने रैगूलेटर्स हमारे देश में हैं, उन रैगूलेटर्स के लिए अपना एक इंडीपैंडेंट कैडर होना चाहिए। मतलब यह कि यदि ट्राई का चेयरमैन बनाना है तो जो रिटायर्ड टेलीकोम सैक्रेटरी है, उसको बना दो। सेबी का चेयरमैन बनाना है तो फाइनेन्स मिनिस्टरी का जो सीनियर ऑफीसर है या ज्वाइंट सैक्रटरी या सैक्रेटरी लेवल के आफिसर को बना दो। कहीं न कहीं कानफिलिक्ट ऑफ इन्टरैस्ट वाली बात थी। इस हिसाब से यह रिकमण्डेशन बहुत अच्छी है, जो 69 रिकमण्डेशन इन्होंने स्वीकार की है, उसमें यह रिकमण्डेशन भी स्वीकार की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिफारिश को स्वीकार करने के बाद क्या तमाम रैगूलेटर्स को मिलाकर एक इंडीपैंडेंट कैडर होगा या अलग-अलग सैक्टर के रैगूलेटर्स के लिए अलग-अलग कैडर होगा? क्या इस दिशा में सरकार ने कोई काम करना शुरू किया है?

**श्री नमो नारायन मीणा :** अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि रिपोर्ट में 77 अनुशंसा थी, उसे ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने एक्सेप्ट किया है और सरकार के पास रिक्मेंड किया है। जहां तक माननीय सदस्य सेबी के लिए पूछ रहे हैं कि जो रेग्यूलेटर फाइनेंशियल सेक्टर का है सेबी है, इरडा है इवन आरबीआई है। उनके लिए सारे पार्लियामेंट के एक्ट्स बने हुए रेग्यूलेटर्स हैं, उसमें सभी चीजें लिखी हुई हैं और जो मैनडेटरी लिखा हुआ है कि उन्हें क्या करना है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** कृपया मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

**श्री नमो नारायन मीणा :** महोदया, अभी एक्ट में प्रोवाइडिड है कि क्या स्ट्रैंथ होगी, क्या रूल्स बनते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, अभी राज्य सरकार के पास ग्रुप आफ मिनिस्टर्स ने स्वीकार करते हुए इसे भेजा है। जहां तक मैंने बताया कि फाइनेंशियल सैक्टर, चूंकि रेग्यूलेटर्स के लिए एक्ट आफ पार्लियामेंट से चल रहा है और उसमें सभी कुछ हवाला दिया हुआ है। उनके सिलेक्शन के लिए इंडिपेंडेंट प्रोसेस चल रहा है।

**श्री निशिकांत दुबे :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, संजय निरुपम जी की बात से सहमत होते हुए, जो लड़ाई है मंत्री महोदय, इरडा और सेबी में लड़ाई हो जाती है, आप आरबीआई के रोल को कर्टेल कर देते हैं और एक एफएसडीसी बना देते हैं। उसी तरह से जो कंप्टीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह अपने रोल को पूरा नहीं कर पा रही है, कभी प्याज का दाम बढ़ जा रहा है, पोटैटो का दाम बढ़ जा रहा है और हवाई जहाज

के टिकट के दाम बढ जा रहे हैं, रेलवे की मोनोपली है, इसके ऊपर सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री जब चाहें, एक-दूसरे से जब चाहें मर्जर-एक्वीजिशन कर लेती हैं और दाम बढ़ा देती हैं। इस तरह से जो कार्टेल बना हुआ है, इस कार्टेल में जो संजय निरुपम जी ने कहा, आपके पास इंडिपेंडेंट काडर नहीं है और आपके एप्वाइंट के नजरिये में पारदर्शिता नहीं है। सारे आईएएस ऑफिसर्स को आप एप्वाइंट कर देते हैं, वे ही सबसे ज्यादा जानकार होते हैं और इस तरह की जो स्थितियां देश में निर्मित होती हैं, तो मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से ट्राई के कारण यह टूजी स्कैम हो गया, जिस तरह सीसीआई के कारण स्टील, सीमेंट और एविएशन सेक्टर्स परेशान हो रहे हैं और उसके बाद कोल, मिनरल्स, पेट्रोलियम के दाम जब चाहें आप बढ़ा दे रहे हैं। डीजल को जब आप डिकंट्रोल कर देंगे, तो कोई रेगुलेटर नहीं है कि जो इन चीजों को देख पाए। इसलिए अशोक चावला कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, उसमें सरकार का जो व्यु है कि अभी तक आपने रेगुलेटर के बारे में कभी सोचा है कि वह किसको फायदा पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है, उस रेगुलेटर के कारण देश में क्या हो रहा है और यदि आपके मन में ऐसा है, तो आपने कितने रेगुलेटर्स के ऊपर जांच बैठाई है? अगर नहीं बैठाई है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? इस तरह से देश में आप ये जो मॉनस्टर्स पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में सरकार का क्या आकलन है?

MADAM SPEAKER: There should be one question one answer.

**श्री नमो नारायन मीणा :** महोदया, जहां तक मैंने बताया है कि चावला कमेटी नेचुरल रिसोर्सेस को एग्जामिन करने के लिए बनाई गई थी, फाइनेंशियल सैक्टर के लिए नहीं बनाई गई थी। दूसरा, जहां तक फाइनेंशियल सैक्टर की बात है, the Independent Regulator derive their strength and power and existence through the respective Acts and this gives independent position to operate. The independence of the regulator can be further ensured by authorising them to levy, fee to meet their administrative existence, which gives them requisite financial independence. In addition to this, the appointments of regulators are done by a set of procedures which ensure the regulators do not come under the purview of the respective Ministry. People apply for the assignments. There are Select/Search Committees; there is a process; then, it goes up to the ACC. This is the fool-proof position.

The Chawla Committee's Report has gone to the Government and the Government would take a view on this.

**(Q. 404)**

SHRI PRALHAD JOSHI : It is said in the reply that coal based Ultra Mega Power Projects each of about 400 MW capacity in various States for quick capacity addition through tariff based competitive bidding process. Madam, my question is this. Out of the nine projects which are enlisted in Annexure A, not even in two, the primary basic work is completed. Without doing any preliminary work, the auction has been called and the lowest bidder has been allotted the project. In many cases, even the land has not been handed over to the parties. There are problems of environment, coal linkage etc. Why were these projects allotted without doing proper home work and what the Power Ministry proposes to do to expedite these projects?

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam Speaker, I would like to inform the hon. Member, through you, that Ultra Mega Power Project is one of the ambitious projects of the Government to meet the power demand of the country in large scale. Our country has a growing economy and to meet the power demand, we need capacity addition in large scale. The concept of UMPP was introduced to identify the projects of 4,000 MW in different parts of the country which will go through the competitive bidding process.

As the hon. Member stated, we have planned for nine projects and four projects have already been awarded. Out of these four projects, one unit in Mundra with 800 MW has already been commissioned. The work on the other three projects is going on. I agree with the hon. member that there are problems regarding land acquisition, but it is the duty of the State Government to allot the land. However, we are pursuing the matter with the State Governments. As far as the Tilaya UMPP is concerned, we are pursuing it with the State Government. In fact, our Minister himself went and met the Chief Minister and our Secretary had a discussion with the Chief Secretary of Jharkhand for expediting the land

acquisition process. We are expecting that this type of activities will be completed very soon and we will be able to fulfill the targets according to the time schedule.

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, my question was, how the bidding was given without doing the home work, but that is not replied.

Anyway, I want to put my second supplementary. The basic thing is, we are told that these projects are based on tariff based competitive bidding. Now there is a shift in the coal import policy also from various countries and there is also the problem of coal allocation for State-owned projects. In Karnataka, even after repeated requests made by the Government of Karnataka and the Chief Minister, coal linkage is not being given. What is the Government going to do to meet the coal shortage problem of all these UMPPs?

It is also reported that all these private parties have requested the Government to hike the price of power. If coal is imported due to shortage of coal in our country, then the cost per unit of power will go up. In view of this, I would like to know whether the Government is going to consider a subsidized rate for the poor people of this country.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, the hon. Member's apprehension regarding coal linkage to Karnataka projects is somewhat right. Karnataka has requested for coal linkages for many projects. We, from the Power Ministry, have already recommended five projects to the Ministry of Coal. They are, Bellary expansion with 700 MW, Edlapur with 800 MW etc. For Yemarus with 1,600 MW, we have recommended for coal linkage on 20.8.2010 itself and for Godhnam with 1,600 MW, we have recommended to the Coal Ministry on 20.2.2010. We have already recommended these projects for the Coal Ministry for allocation of coal. But we know that there is shortage of coal in our country. However, we are pursuing the matter with the Coal Ministry for allocating coal to these projects.

With regard to the question about change in price of imported coal, we have received requests from some players. The Power Ministry has received representations from some of the developers executing UMPPs based on imported

coal for compensation in tariff due to increase in the price of coal in some countries, including Indonesia from where they have tied up for import of coal. The Power Ministry has clarified the matter with them. The Power Purchase Agreement is a legally binding document signed by the power procurers and the developer. The Government of India is not a party to this Power Purchase Agreement. Any issue arising out of the relation between the parties has to be settled as per the provisions of the PPA. That is the stand taken by our Ministry.

**12.00 hrs.**

SHRI HEMANAND BISWAL : Madam, it is there in the agreement that your Mega Power Plant will be established; they are eligible for power of 4,000 MW. But when the hon. Minister, Shri Sushil Kumar Shinde was there in Odisha, he told the media that for Bedabahal Project, Odisha is eligible for only 1300 MW, whereas as per the 2000 agreement, they are eligible for 2000 MW… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please ask the question, there is no time left.

SHRI HEMANAND BISWAL : But he has told that in Second and Third Project Odisha is eligible for 50 per cent power.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam, it is a fact that I met the Chief Minister of Odisha and I had a very long discussion… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: It has come back. Please listen. There is no time. Question Hour is running out of time In fact, it has run out of time.

… (*Interruptions*)

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Madam, I met the Chief Minister. He is demanding 50 per cent power for that, but already a PPA was signed with the other State and hence we have assured the number that the hon. Minister has stated. But from the ensuing two other UMPPs, yes, 50 per cent power will be given to Odisha. There is no question of any doubt or there should not be any doubt… (*Interruptions*) Sometimes, I have to prove that I am the Power Minister and that is why it is happening.

---

**12.01 hrs**

## PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF PANCHAYATI RAJ (SHRI V. KISHORE CHANDRA DEO): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation and the Ministry of Tribal Affairs for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT –6677/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI DINSHA PATEL): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Memorandum of Understanding between the Hindustan Copper Limited and the Ministry of Mines for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT –6678/15/12)

(2) Memorandum of Understanding between the National Aluminium Company Limited and the Ministry of Mines for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT –6679/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI NAMO NARAIN MEENA): Madam, on behalf of my colleagues, Shri S.S. Palanimanickam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Securities and Exchange Board of India, Mumbai, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT –6680/15/12)

(3) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the Regional Rural Banks for the year ended the 31st March, 2011 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Durg Rajnandgaon Gramin Bank, Rajnandgaon

(ii) Kshetriya Kisan Gramin Bank, Mainpuri

(iii) South Malabar Gramin Bank, Malappuram

(Placed in Library, See No. LT –6681/15/12)

(4) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) of the Performance of the Regional Rural Banks for the year ended 31st March, 2011.

(Placed in Library, See No. LT –6681 A/15/12)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) The Regional Rural Banks (Appointment and Promotion of Officers and Employees) Amendment Rules, 2011 published in Notification No. S.O. 2771(E) in Gazette of India dated 12th December, 2011.

(ii) The Malwa Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. F.No. MGB/Regulation/1/2011 in Gazette of India dated 14th October, 2011.

(iii) The Balia Etawah Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 published in Notification No. F. No. H.O./2011/10/PRS/1086 in Gazette of India dated 5th November, 2011.

(Placed in Library, See No. LT –6682/15/12)

(6) A copy of the Life Insurance Corporation (Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.2 in weekly Gazette of India dated 7th January, 2012 under sub-section (3) of Section 48 of the Life Insurance Corporation of India Act, 1956.

(Placed in Library, See No. LT –6683/15/12)

(7) A copy of the Notification No. F. No. IRDA/RI/1/57/2012 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 21st March, 2012, specifying the percentage and terms and conditions for reinsurance cessions to the "Indian Reinsurer" in compliance with Section 101A of the Insurance Act, 1938 under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

(Placed in Library, See No. LT –6684/15/12)

(8) A copy of the Notification No. G.S.R.308(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 19th April, 2012 together with an explanatory memorandum regularizing the availment of CENVAT Credit of duty of excise paid on the process of cutting, slitting and printing of aluminium foils, falling under heading 7607 of the first Schedule to the Central Excise Tariff Act, notwithstanding that the process of cutting, slitting and printing of aluminum foils was held as not amounting to manufacture by the Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal, subject to certain conditions, under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944.

(Placed in Library, See No. LT –6685/15/12)

(9) A copy of the Income-tax (4th Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.694(E) in Gazette of India dated 30th March, 2012 under section 296 of the Income Tax Act, 1961, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT –6686/15/12)

(10) A copy of the Publication of Daily Lists of Imports and Exports (Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 119(E) in Gazette of India dated 5th March, 2012 under section 159 of the Customs Act, 1962, together with an explanatory memorandum.

(Placed in Library, See No. LT –6687/15/12)

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(i) The Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/37/3689 in Gazette of India dated 10th February, 2012.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) (Second Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/30/37715 in Gazette of India dated 14th December, 2011.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) (Second Amendment) Regulations, 2011 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/31/39022 in Gazette of India dated 27th December, 2011.

(iv) The Securities and Exchange Board of India [KYC (Know Your Client) Registration Agency] Regulations, 2011 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/29/36772 in Gazette of India dated 2nd December, 2011.

(v) The Securities and Exchange Board of (Buy-Back of Securities) (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/36/3187 in Gazette of India dated 7th February, 2012.

(vi) The Securities and Exchange Board of (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/34/2499 in Gazette of India dated 30th January, 2012.

(vii) The Securities and Exchange Board of (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. F.No. LAD-NRO/GN/2011-12/35/3186 in Gazette of India dated 7th February, 2012.

(Placed in Library, See No. LT –6688/15/12)

(12) A copy of the Report (Hindi and English versions) of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 31 of 2011-12) -Department of Revenue-Customs for the year ended March, 2011 under Article 151(1) of the Constitution.

(Placed in Library, See No. LT –6689/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI K.C. VENUGOPAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Power Finance Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT –6690/15/12)

(2) A copy of the Energy Conservation (Inspection) Amendment Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 645(E) in Gazette of India dated 26th August, 2011 under sub-section (1) of Section 59 of the Energy Conservation Act, 2001.

(Placed in Library, See No. LT –6691/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtrasant Tukdoji Regional Cancer Hospital and Research Centre, Nagpur, for the year 2009-2010, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Rashtrasant Tukdoji Regional Cancer Hospital and Research Centre, Nagpur, for the year 2009-2010.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT –6692/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2010-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian

Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2010-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2010-2011.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT –6693/15/12)

__________

**12.02 hrs.**

## RESIGNATION BY MEMBER

MADAM SPEAKER: I have to inform the House that I have received a letter dated 2nd May 2012 from Shri Akhilesh Yadav, an elected Member from Kannauj Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh resigning from the membership of Lok Sabha with immediate effect.

I have accepted his resignation with effect from 2nd May 2012.

---

**12.02 ½ hrs.**

## STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY
## 234th and 235th Reports

SHRI IJYARAJ SINGH (KOTA): I beg to lay the following reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Industry:-

(1) Two Hundred Thirty-fourth Report on Demands for Grants (2012-2013) pertaining to the Department of Heavy Industry (Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises).

(2) Two Hundred Thirty-fifth Report on Demands for Grants (2012-2013) pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

---

**<u>12.03 hrs.</u>**

## MOTION RE: THIRTY-SEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Madam, I beg to move the following:-

> "That this House do agree with the Thirty-seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 3rd may, 2012."

MADAM SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-seventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 3rd may, 2012."

*The motion was adopted.*

---

**12.04 hrs.**

## BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 7th of May, 2012, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.
2. Consideration and passing of the Finance Bill, 2012.
3. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:-
   (i) The Railway Property (Unlawful Possession) Amendment Bill, 2011;
   (ii) The Central Educational Institution (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2012; and
   (iii) The Chemical Weapons Convention (Amendment) Bill, 2012.

4. Consideration and passing of the North-Eastern Areas Reorganisation and Other Related Laws (Amendment) Bill, 2012.
5. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-
   (i) The Administrator's General (Amendment) Bill, 2011; and
   (ii) The Protection of Children from Sexual Offences Bill, 2011.

MADAM SPEAKER: submissions by Members; Dr. Kirit P. Solanki.

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को समाविष्ट करने का मैं आपसे निवेदन करता हूं:

गुजरात सरकार ने सर्वसम्मति से गुजरात हाईकोर्ट की कार्यप्रणाली, प्रोसीडिंग, डाक्युमेंटेशन एवं जजमेंट में गुजराती भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ठहराव किया है। संविधान की धारा 348 के तहत भी कोर्ट की कार्यप्रणाली में मातृभाषा का उपयोग करने का प्रावधान है।...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया:** आप विषय विस्तार में मत जाइए, सिर्फ विषय बोलिए। आप इसके विस्तार में मत जाइए, सिर्फ विषय का उल्लेख करना होता है।

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** गुजरात सरकार ने इस संबंध में अगली कार्यवाही के लिए 13-5-2011 को पत्र भी सूचित किया है।

अध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि गुजराती भाषा को गुजरात हाईकोर्ट के कार्य में सम्मिलित करने के लिए कार्यवाही की जाए।

SHRIMATI SUSMITA BAURI (VISHNUPUR): Madam Speaker, I would like to request you to kindly include the following in the next week's List of Business:
1. Rising graph of violence against women and children. India has failed to provide a safe environment of security for women. There is an increase of violence against women and shamefully the girl child, while conviction rates are very low. Hence, an urgent discussion is required to identify the weakness in legal and social framework to tackle this problem.
2. Bring the Women Reservation Bill which has been passed in Rajya Sabha during this Budget Session for discussion.

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:

1- पश्चिमी कोसी नहर के कार्य को शीघ्र पूरा करवाने पर सदन में चर्चा की जाए।

2- सकरी-निर्मली रेल लाइन के अमान परिवर्तन और उस रेल खंड को दिल्ली से पूर्वोत्तर तक शीघ्र चालू कराने पर सदन में चर्चा की जाए।

MADAM SPEAKER: Shri Jai Prakash Agarwal – not present. Shri Adhir Chowdhury – not present. Shri Ramkishun.

**श्री रामकिशुन (चन्दौली):** अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषयों को जोड़ा जाए:

1- किसानों के कृषि पैदावार पर लगातार बढ़ती लागत के अनुपात में कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण किए जाने की आवश्यकता।

2- देश के विभिन्न भागों सहित उत्तर प्रदेश राज्य की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराए जाने की आवश्यकता।

SHRI N. PEETHAMBARA KURUP (KOLLAM): Respected Madam, the following items may be included in the next week's agenda:

1. Construction of Kollam by-pass at NH-47.
2. A special financial package for fisherman and cashew workers of Kerala.

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करने का अनुरोध कर रहा हूं:

1- राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए समुचे राष्ट्र में यह एक चिन्ता का विषय हो गया है। प्रतिदिन मोटर वाहनों की बढ़ती संख्या, उनकी बढ़ती स्पीड, अकुशल वाहन चालकों द्वारा वाहन चलाना, वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बातें करते रहना, शराब पीकर वाहन चलाना, यातायात मार्ग निर्देशों की कमी, गलत तरीके से ओवरटेकिंग किए जाने के कारण, पैदल यात्रियों की गलतियों के कारण तथा वाहन चालक की लापरवाही ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं, जिनसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। अत: सड़क दुर्घटनाओं के विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

2- देश में आजादी के पश्चात् गैर सरकारी संगठनों की भूमिका समय-समय बदलती भी रही है। प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री का बयान भी 01 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एनजीओ की जांच के इस दायरे में फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, 2010 का उल्लंघन करने वाले कई संगठन आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ भी है, दूसरी ओर भारत के विकास और राज्य सरकारों द्वारा विशेष

योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे विकास की रफ्तार को रोकने से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय को आगामी सप्ताह की चर्चा में सम्मिलित किया जाए।

**श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित लोक महत्व के विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

1. महाराष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय परियोजना इंदिरा सागर गोसीखुर्द सिचांई परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास तथा किसानों को तत्काल सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लंबित धनराशि के आबंटन को तत्काल निर्मुक्त कराने के कदम उठाये।
2. महाराष्ट्र राज्य के चन्द्रपुर में केंद्र सरकार स्वयं पहल कर वहां मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाए।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam Speaker, I want that the following items may be included in the next week's agenda.

a) Durgapur Steel Plant under SAIL in West Bengal is facing challenge of existence because of slow progress of different projects. There have been cases of skill dilution and also lack of finished products units. SAIL is investing little amount of its modernization programme there. Expansion and installation of finished product units are the urgent need for rejuvenation of DSP.

b) Need to set up a National Rural Bank as the apex body of Regional Rural Banks.

MADAM SPEAKER: You just mention the topic. Nothing else will go in record.

*(Interruptions) ...**

---

* Not recorded.

*SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, the following items may be included in the List of Business of the coming week:

1) Acquisitions of Defence equipment are still being tardy which need to be revamped and expedited.

2) Drought is looming large in various parts of the country; it calls for immediate attention.

---

* Laid on the Table.

**श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़):** माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । लोकसभा सांसद के संसदीय क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12-13 लाख होती है तथा क्षेत्रफल भी बहुत विस्तृत होता है। मैं यूपीए सरकार का आभारी हूं कि उसने सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में आने वाली समस्या को ध्यान में रखते हुए एमपीलैड्स की राशि लगभग ढाई गुना, 2 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए कर दी है। इससे काफी हद तक संबंधित सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में जनोपयोगी विकास कार्यों को स्वीकृत कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सांसद के साथ क्षेत्र में भ्रमण के समय एक और समस्या प्रतिदिन आती है। वह यह है कि जब दौरे के दौरान उस क्षेत्र का संबंधित सांसद जाता है, तो क्षेत्र में आगजनी, जनहानि, फसल हानि, आकस्मिक दुर्घटना आदि की जानकारी लगती है तो उस समय वह उनकी मदद करने की तीव्र इच्छा रखते हुए भी मौके पर कोई राहत या सहायता राशि की घोषणा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्वैच्छिक अनुदान जैसी राशि नहीं होती है।

महोदया, अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सांसद को उसके क्षेत्र में एमपीलैड्स की राशि में से प्रति विधानसभा में कम से कम 10 लाख रूपए स्वैच्छिक अनुदान के रूप में स्वीकृत करने संबंधी अधिकार होना चाहिए। इससे पूरा सदन सहमत होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री पन्ना लाल पुनिया अपने आपको श्री नारायण सिंह अमलाबे के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, I would like to raise the issue of dalits of this nation of various religions. Dalits belonging to certain religions enjoy the benefits of Scheduled Caste but dalits who belong to certain religions are not at all able to enjoy the benefits of Scheduled Caste.

I would like to say one point in this matter because I am coming from a State where even in my constituency also there are certain people sometimes when we hear their names, it may sound that they belong to certain communities which are not under Scheduled Castes, but they are actually belonging to the Scheduled Castes. Just because of the names, we cannot identify whether they belong to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.

Madam, I hope you know very well, up to 1957, Dalit Christians were under the category of 'Scheduled Castes'. But, subsequently, due to a Cabinet decision, all the privileges, all the rights, all the benefits that should have been given to the Dalit Christians also were taken back. Recently, 13 communities have been included under the Scheduled Castes. Still now, these Dalits just because they have embraced certain religion or they have married to a person of another religion, the child born out of such wedlock is denied of the benefits of the ScheduledCaste.

Madam, this is a very important matter. Justice Ranganath Misra has looked into this matter. After the study on this matter, Justice Ranganath Misra has furnished a Report. That Report is still pending with the Government of India.

My humble request, through you, Madam, is this. It is high time that the Government of India should look into this matter and the Ranganath Misra Commission Report should be implemented at the earliest.

Madam, there are a number of people who should have been given the benefits and the fruits of reservation. I am not saying that it is a panacea for everything; it is a panacea for removing all the social taboos. There are people who are socially, economically and educationally backward people just because they are in certain religion, their brothers and sisters are getting the benefits and the fruits of reservation and are able to enjoy the cake but at the same time their brothers and sisters, just because they are in another religion, – these people are living under one roof and one family – are not able to enjoy the benefits of reservation.

Madam, my humble request is that the UPA-II Government should implement the Justice Ranganath Commission Report. My humble submission is that whatever religion and community the Dalits may belong to, all the Dalits should be included under the Scheduled Castes and all the benefits, all the privileges and all the rights, as enshrined in the Constitution of India, should be

given to them also. It is our primary duty to protect them. Madam, this is my humble request. Thank you.

MADAM SPEAKER: Shri M.B. Rajesh is associating with the issue raised by Shri A. Sampath.

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** माननीय महोदया, आरोग्य मेला, प्रत्येक वर्ष भारत के विभिन्न शहरों में लगता था जिससे आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार होता था। वह क्यों बंद कर दिया गया? इस मद के लिए सरकार ने 290 करोड़ रूपये स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग को दिया था जिसे मंत्रालय ने फिर से लौटा दिया है। फंड की कमी होने की वजह से आयुर्वेदिक चिकित्सक इलाज नहीं कर पाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट का केवल 2.5 प्रतिशत, आयुष विभाग को दिया गया है इससे आयुर्वेद का भला होने वाला नहीं है। इसको बढ़ाए जाने की जरूरत है।

पीएससीआई मेडीसिन में 28 टेक्नीकल पद रिक्त पड़े हैं। इसकी रिक्तियां भरे जाने की जरूरत है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक चिकित्सालय में चिकित्सकों के 30 पद रिक्त पड़े हैं। आयुष में सलाहकार(आयुर्वेद) के पद रिक्त पड़े हुए हैं। आयुष विभाग जागरूकता अभियान विज्ञापन को भी बंद कर दिया गया है। मिसीसिपी विश्व विद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का एक नामी-गिरामी विश्वविद्यालय है। वहां पर आयुर्वेद विभाग है जिसने भारत के साथ एक समझौता किया था कि हम लोग मिल कर भारत में आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार तथा रिसर्च भी करेंगे लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस समझौते को तोड़ दिया गया है।

आयुर्वेद की सारी दवाइयां पेड़-पौधे, जड़ी-बूटी एवं फूल-पत्ती से मिलते हैं लेकिन अभी जंगल कट रहे हैं। हिमालय के जंगल कट रहे हैं। जहां पर, आयुर्वेद की बहुत-सी जड़ी-बूटियां हैं। पूरी दुनिया में नाम है। इसलिए जड़ी-बूटियों के पौधों को बढ़वा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

भारत से निकला हुआ आयुर्वेद आज मॉरिशस की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति है। इसलिए इसको भारत में भी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किए जाने की जरूरत है। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि आज आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने की जरूरत है।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री कमल किशोर 'कमांडो' और श्री देवजी एम. पटेल शून्य प्रहर में श्री कौशलेन्द्र कुमार जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबंद्ध करते हैं।

**श्री दत्ता मेघे (वर्धा):** महोदया, मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के अकाल और पीने के पानी की गंभीर समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। गांव हो या शहर पेय जल की समस्या एक जैसी है। हालांकि महाराष्ट्र एक विकसित राज्य है। किन्तु राज्य की बहुत बड़ी आबादी पीने के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रही है।

पानी के लिए लम्बी कतारों में खड़ी औरतें एक आम दृश्य है। सामान्य परिस्थिति में भी महाराष्ट्र में पीने के पानी की गंभिर समस्या बनी रहती है। इस वर्ष महाराष्ट्र के अधिकतर जिलों मे आकाल है। विश्व बैंक के अनुसार महाराष्ट्र में लगभग 70 प्रतिशत गांव यानी 27600 गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इतना ही नहीं, गांवों के एक-चौथाई परिवारों की सुरक्षित पेय जल तक पहुंच ही नहीं है। पीने के पानी के लिए महाराष्ट्र के गांव की महिला रोजाना दो घंटे का समय व्यतीत करती है। पानी की कमी महिलाओं के रोजमर्रा के कार्य पर सीधे असर करती है। ऐसी हालत में पानी की समस्या का हल निकालने के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन की आवश्यकता है। महाराष्ट्र के लगभग हर विभाग में पीने के पानी का भीषण संकट है। हजारों गांवों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। हमारे विदर्भ और मराठवाड़ा में जितने जलाशय हैं, एक तो वे सूख गए हैं या जिनमें पानी है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। पानी, विशेषकर पेयजल ऐसा संसाधन है जिसकी उपलब्धता सभी के लिए समान होनी चाहिए। लेकिन मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि हम पानी जैसी जीवन आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से यह समस्या हल होने वाली नहीं है। इसके लिए व्यापक अभियान की आवश्यकता है।

मेरा सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि चाहे अकाल हो या अवर्षण, देश के सभी राज्यों और केन्द्र सरकार को मिलकर हमेशा के लिए पीने के पानी की समस्या हल करनी चाहिए।

**श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे एक अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं जिस सवाल को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसके लिए आज पूरे देश और इस सदन को भी चिन्ता होनी चाहिए। मैं कोस्टल सिक्युरिटी के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी सुरक्षा से लाखों मछुवारों को जीवन, रोजगार और जान-माल की क्षति होने से बचाया जा सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां रोजगार की सख्त कमी है, लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, वहां 5 करोड़ से ज्यादा लोग मत्स्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनमें से ढाई लाख से ज्यादा लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के हैं। वे इस व्यवसाय से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। यह आंकड़े सरकार द्वारा डिक्लेयर किए हुए हैं।

मैं एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि पूरे भारत देश में 7,100 किलोमीटर समुद्री किनारा है जिसमें से 1600 किलोमीटर समुद्री किनारा केवल गुजरात में पड़ता है। वहां एक लाख से ज्यादा मछुवारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस तरह यह व्यवसाय भारत जैसे विकासशील देश को एक अच्छा-खासा रोजगार प्रदान करने के साथ ही देश के ग्रोथ में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। लेकिन बड़े दुख की बात

है कि इस व्यवसाय की देश के विकास में अच्छी भूमिका होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार उनकी सुरक्षा एवं विकास की समस्याओं पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। यदि हम आज केवल गुजरात की बात करते हैं तो उनमें से 450 मछुवारे पाकिस्तान की जेल में अभी भी बंद हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए मैंने पहले भी इस हाउस में बोला था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उनकी 600 से ज्यादा बोट अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। उन मछुवारों को एक बोट बनाने के लिए कम से कम 50 से 60 लाख रुपये की जरूरत पड़ती है। बोट बनाने के लिए वे किसी बैंक या साहूकार से कर्ज लेते हैं। लेकिन बोट पकड़े जाने के बाद उनकी रोजगारी छिन जाती है, वे जेल चले जाते हैं और उनका परिवार बेघर हो जाता है। आज तक उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मछुवारों को छुड़ाया जाना चाहिए और उनकी बोट भी छुड़वानी चाहिए।

वर्ष 1994 में भारतीय तटरक्षक और पाकिस्तान मेरिटाइम एजेंसी के साथ हुए समझौते के अनुसार जो मछुवारे सीमा पर पकड़े जाते थे और पूछताछ के बाद यदि वे मछुवारे साबित हो जाते थे तो उन्हें इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि मछुवारों और उनकी बोट को जबरदस्ती उठाकर पाकिस्तान ले जाया जाता है। उन्हें वहां की सरहद पर दर्दनाक तरीके से टार्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, अमानवीय बर्ताव किया जाता है और पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। महोदया, मछुआरे भी एक किसान के समान हैं, लेकिन सरकार उन्हें किसानों जैसी सुविधा नहीं दे रही है। विगत 4 वर्ष पूर्व किसानों की भांति उन्हें भी एक्साइज ड्यूटी फ्री डीजल मिलता था। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब हो गया। आपने बोल दिया, इसलिए आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

**श्री नारनभाई कछाड़िया :** लेकिन वह भी बंद कर दिया गया। इससे मछुआरों पर एक और बोझ बढ़ गया है। आज मछुआरों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि उनके परिवारों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में है। अगर कोई मछुआरा दुर्घटनाग्रस्त होकर मर जाता है अथवा विकलांग हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मछुआरों को न तो कोई मुआवजा मिलता है और न ही कोई बीमा मिलता है। इस कारण उनका परिवार समाप्त हो जाता है। ऐसी हालत में मछुआरों के परिवार की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित परिवारों के किसी एक सदस्य को गृह मंत्रालय के अंतर्गत योग्यतानुसार नौकरी देने का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ-साथ मछुआरों को जागरुक बनाने के लिए जो सहायता दी जा रही है, उस धनराशि को और बढ़ाया जाये। इसके लिए हमें पर्याप्त प्रयास करना चाहिए।

महोदया, देश में कोस्टल सिक्युरिटी के अंतर्गत भारत सरकार ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आप कितना लंबा बोलेंगे?

**श्री नारनभाई कछाड़िया :** महोदया, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इन सारी कोस्टल समस्याओं को लेकर गुजरात सरकार भारत सरकार को वर्ष 2005 से 2011 तक 94 से ज्यादा पत्र लिख चुकी है। गुजरात सरकार के सभी एमपीज भी इन सभी विषयों को सत्र के दौरान उठाते रहते हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी हल निकालने में केन्द्र सरकार सफल नहीं हो पा रही है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस इश्यू को प्राथमिकता दे। इस विषय को लेकर अलग से कोई कमेटी बनाये, ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही साथ उन मछुआरों के साथ पाकिस्तान में सड़ रही उनकी नाव को भी भारत वापस लाया जाये, जिससे उन्हें भी एक आम आदमी की तरह जीवन जीने का अधिकार मिल सके।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदया :** डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी अपने आपको श्री नारनभाई कछाड़िया के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र शिमला में स्थित अनाडेल मैदान को सेना से वापस दिलवाने के बारे में आकर्षित करना चाहता हूं। यह मैदान 25.2 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। इसे वर्ष 1955 में प्रदेश सरकार ने सेना को मामूली लीज पर दिया था, जिसकी अवधि 31.1.1982 को समाप्त हो चुकी है। परन्तु कई प्रयासों के बावजूद भी सरकार यह भूमि सेना से वापस नहीं ले सकी है। हालांकि यह मैदान सेना के किसी काम नहीं आ रहा है सिवाए इस मैदान में सेना के कुछ अधिकारी इसके क्लब में खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। जबकि यहां की जनता खासकर युवा वर्ग चाहता है कि यह मैदान आम जनता के खेल परिसर के रूप में प्रयोग किया जाये। इस संबंध में प्रदेश सरकार और रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच वार्ता होने के बावजूद भी कोई नतीजा सामने नहीं आया है। यहां तक कि इसके एवज में प्रदेश सरकार ने शिमला के आस-पास लगभग 240 बीघा जमीन भी दिए जाने की बात रखी थी, परन्तु फिर भी सेना यह जमीन प्रदेश सरकार को वापस नहीं कर रही है।

अभी हाल ही में वहां के हजारों नौजवानों व विद्यार्थियों ने प्रदेश सरकार से इस मैदान को तुरन्त वापस लेने व वहां पर खेल स्टेडियम और बहु-उद्देशीय खेल परिसर बनाने की मांग की है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि उक्त मैदान को तुरन्त सेना से वापस दिलाया जाये और सेना को किसी दूसरे स्थान पर भूमि दी जाये। आपने मुझे इस अहम मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री पी.एल.पुनिया अपने आपको श्री वीरेन्द्र कश्यप के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्री सज्जन वर्मा (देवास):** माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मेरा शून्य काल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली, मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर का निर्माण जापान सरकार के सहयोग से होना है जिससे छः से सात राज्यों को लाभ मिलेगा। इसमें तमाम नये रेलवे स्टेशन, औद्योगिक इकाइयां और कल कारखाने खोले जायेंगे, जिससे हजारों-लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुर्भाग्य का विषय यह है कि मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आदि छः-सात राज्य उसमें आ रहे हैं, लेकिन कामर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमैंट उसमें कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें मध्य प्रदेश सहित सात राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। वहां के मुख्य मंत्री भी इसमें कोई विशेष रूचि नहीं ले रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली, मुम्बई इंडस्ट्रियल कारीडोर का निर्माण निश्चित रूप से आर्थिक और औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। महोदया, मेरा निवेदन है कि आसंदी की ओर से इस महत्वपूर्ण योजना के लिए निर्देश जाना चाहिए कि इस योजना की समीक्षा कर, एक टाइम-बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर इसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए।

**श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा):** अध्यक्ष महोदया, आज मैं आपके माध्यम से आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि आज भी भारत का गौरव है और हमारे जैसे लोग जो झारखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से आते हैं, जो गरीबों के इलाज का एक संस्थान है, से लगातार डाक्टर्स का पलायन हो रहा है। लगातार न्यूज पढ़ने को मिलती है कि बिना किसी कारण के आज यह डाक्टर चला गया और उसका कारण यह है कि डाक्टरों को लगता है कि जिस माहौल के कारण यह आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना, गरीबों का जिस तरह से यहां इलाज होना था और हमारे जैसे सांसद जिसके लिए जूझते रहते हैं, उनको वह सुविधा नहीं मिल पाती है। जो कारण वे बताते हैं कि यदि हम किसी का आपरेशन करना चाहते हैं, तो आपरेशन की सुविधा नहीं है। यदि ओपीडी करना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा नहीं है। उसका कारण यह है कि 50 के दशक में जब यह आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना, उस वक्त जो सुविधाएं थी, वे सुविधाएं 33 करोड़ लोगों के लिए थीं, 40 करोड़ लोगों के लिए थीं, आज 120 करोड़ लोगों के लिए वे सुविधाएं कम पड़ रही हैं। यदि दिल्ली के अंदर ही देखेंगे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसने मान लीजिए एक बड़ा हॉस्पिटल बना लिया है, लेकिन अलग-अलग जगहों पर उन्होंने अपने सेन्टर बना लिए हैं, जहां पर ओपीडी होती है, छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज होते हैं, जहां महिलाओं की डिलीवरी होती है। लेकिन पिछले पांच-छः साल में केन्द्र सरकार की जो नीति रही है और जिस तरह डाक्टरों के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया है, जिस तरह से उनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिस तरह से हमारे जैसे लोग दुखी हो रहे हैं, मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जिस तरह प्राइवेट

हॉस्पिटल्स जैसे अपोलो, मैक्स आदि ने दिल्ली के अंदर अपने अलग-अलग केंद्र बना लिए हैं, आप भी वैसे केन्द्र बनाएं या अलग-अलग जगहों पर छः एम्स खोल रहे हैं, उसी तरह से हमारे यहां झारखण्ड में, उत्तर प्रदेश में डिमाण्ड है, वहां भी खोलने चाहिए। मैं लगातार यह बात उठाते रहा हूं कि संथाल परगना, जहां से मैं आता हूं, वहां कनकटा जैसा एक गांव है, जहां पूरे गांव में विकलांग ही पैदा होते हैं। संथाल परगना जैसे एरिया में, हसडीहा में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनें, उत्तर प्रदेश में एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनें, डाक्टर्स के साथ न्याय हो और आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो डाक्टर्स के लिए, रोगी के लिए, आम लोगों के लिए बना था, उसके लिए जितनी सुविधाएं हैं, वे दी जाएं और इसके विकास के लिए सरकार प्रयत्न करे। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदया :** डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री धनंजय सिंह, श्री राकेश पाण्डेय, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अर्जुन राम मेघवाल स्वयं को श्री निशिकांत दुबे जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** महोदया, मैं क्या मैं आपकी अनुमति से यहां से बोल सकता हूं?

**अध्यक्ष महोदया :** नहीं, आप अपनी जगह पर जाइए।

**श्री शैलेन्द्र कुमार :** अध्यक्ष जी, आपने शून्य प्रहर में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

इसके पहले भी इस सदन में कई बार ग्राम विकास मंत्रालय पर चर्चा हुई है। मैंन जो महत्वपूर्ण नोटिस दी है, उसमें केन्द्र द्वारा प्रायोजित जितनी भी योजनाएं हैं, जो ग्रामीण स्तर पर जाती हैं जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, राजीव गांधी शुद्ध पेयजल मिशन, राष्ट्रीय स्वजल धारा योजना आदि बहुत सी योजनाएं हैं, जो गांवों के विकास के लिए चलाई जाती हैं। लेकिन मैं खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां पर केन्द्र सरकार से जो भी योजनाएं जाती हैं, पिछले पांच वर्षों में वहां उनका अमल नहीं हो पाया है। इस वर्ष हमारे युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रधानमंत्री जी से मिलकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण और राजीव गांधी शुद्ध पेयजल मिशन के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की जितनी भी योजनाएं, जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, को उत्तर प्रदेश में भेजें, ताकि उत्तर प्रदेश, जो देश का हृदय प्रदेश है, उसका विकास हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ):** महोदया, ऐसे वक्त में जब कि राष्ट्रपति ने संसद के बजट सत्र में अपने अभिभाषण में देश से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के संकल्प को फिर से दोहराया है, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर सरकार कितनी बार अपने ही द्वारा तय समयसीमाओं का उल्लंघन करेगी। कैसी विडंबना है कि ठीक यही आह्वान छह दशक पहले देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने भी किया था। हालांकि मैला ढोने वालों को काम पर रखना और शुष्क शौचालयों का निर्माण निषेध अधिनियम 1993 के तहत देश में सिर पर मैला ढोना कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है और मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं भी बनाई गई हैं। लेकिन हकीकत में यह प्रथा कायम है और इसे छोड़ कर पुनर्वास की इच्छा रखने वालों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। हमारे मौजूदा प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जून 2011 में घोषणा की थी कि छह महीने के भीतर यानि वर्ष 2011 के अंत तक देश से मैला ढोने की प्रथा का खात्मा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आज भी देश में 12 लाख 91 हजार 626 शुष्क शौचालय हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रथा को देश में पूर्णरूपेण प्रतिबंधित करने हेतु कड़े कानूनों का अविलम्ब निर्माण किया जाए तथा सिर पर मैला ढोने वालों को वैकल्पिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करते हुए उनके उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि देश में सभी नागरिक संविधान में परिकल्पित भावना के अनुरूप सम्मानपूर्वक जीवन जिएं। मुझे विश्वास है कि सरकार इस समस्या को समझेगी तथा उचित कदम उठाएगी।

**अध्यक्ष महोदया:** श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री अर्जुन राम मेघवाल, डा. किरीट सोलंकी और श्री देवजी एम. पटेल भी अपने को इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI KODIKKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Respected Madam Speaker, as the Union Government is aware, Kerala is facing acute power shortage, resulting in slow industrial and agricultural production. There is shortage of power for domestic purposes also. Therefore, the State Government has to resort to power cuts. It is estimated that against the peak demand of 3,436 MW of power, Kerala is getting, 3,216 MW of power, resulting in shortage of 220 MW of power.

The Union Government has started a new Kudankulam Nuclear Power Plant with an installed capacity of 2,000 MW. It is reported that the first unit of Kudankulam Nuclear Power Plant, which will generate 1,000 MW, will be commissioned in two months and the next unit with same capacity will be

installed in the next two months after the commissioning of the first unit. Hence, this nuclear power plant will generate 2,000 MW of power.

As per the power sharing formula, 50 per cent of the power generated from Kudankulam Nuclear Power Plant will be utilized by Tamil Nadu, 35 per cent will be shared by the neighbouring States and the remaining 15 per cent will be added to Central Pool as unallocated power. … (*Interruptions*) Hence, Kerala is entitled to 266 MW of power from Kudankulam Nuclear Power Plant. But if the news reports are to be believed, the Chief Minister of Tamil Nadu has asked for full allocation from the Kudankulam Nuclear Power Plant for Tamil Nadu. … (*Interruptions*) If this demand is met, the State of Kerala will be deprived of its share of power from Kudankulam Nuclear Power Plant.

I, therefore, urge upon the Union Government to look into the matter seriously and ensure that Kerala is given its share of power from Kudankulam Nuclear Power Plant. The interest of Kerala should be protected and saved.

**श्री रामकिशुन (चन्दौली):** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। विश्व में सबसे प्राचीन नगर बनारस है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक राजधानी है। कई सालों से यहां गम्भीर समस्याएं पैदा हुई हैं, जिनके कारण यहां का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यहां पर लाखों पर्यटक देश-विदेश से आते हैं। बनारस पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। यहां यातायात की गम्भीर समस्या है और अक्सर जाम लगा रहता है। इस शहर की आबादी इतनी बढ़ रही है कि उसे नियंत्रित करना और सुविधाएं देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। भारत सरकार ने शहरों के विकास के लिए जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास योजना बनाई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश को बहुत कम राशि आबंटित की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए और अवस्थापना हेतु मूलभूत सुविधाओं के लिए भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी से पत्र लिखकर और मिलकर बनारस शहर के सम्पूर्ण विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सांस्कृतिक-धार्मिक नगरी है, जहां गंगा-यमुनी तहज़ीब के साथ लोग रहते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उस मद को बढ़ाकर उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करें। वहां ओवरब्रिज न बनने से जाम लगा रहता है। एक अंधरा पुल है जहां के चौड़ीकरण का प्रस्ताव

रेल मंत्रालय के पास गया है। कजापुरा मोड़ है, करियप्पा मार्ग है जो आज तक खोला नहीं गया है जिससे शहर दो भागों में बंट गया है, रेलवे लाइन के चलते शहर दो भागों में बंट जाता है जिससे जाम की समस्या इतनी होती है कि तीन-तीन, चार-चार घंटे छात्र-व्यापारी-कर्मचारी जाम में फंसे रहते हैं। अभी वहां पेय-जल के लिए लाइन बिछायी जा रही है और सड़कें खोद दी गयी हैं। उसी तरह से सीवर ट्रीटमेंट के लिए पाइप-लाइन डाली जा रही है और वह भी धन के अभाव में खुदी पड़ी है और सड़कों पर धूल ही धूल दिखाई पड़ रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पानी निकासी की गंभीर समस्या से शहर जूझ रहा है। इस शहर में बुनकरों की बड़ी आबादी है, जहां निचले इलाकों में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है और बुनकर व गरीब लोग उस पानी के भरे रहने के कारण गंभीर बीमारियों से जूझते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार वह उसके स्वास्थ्य मंत्रालय से भी कहना चाहता हूं कि काशी-हिंदू विश्वविद्यालय के अस्पताल को अपग्रेड करने की जरुरत है। वहां एम्स जैसी सुविधा या एम्स बनाने की आवश्यकता है, उसे मालवीय जी ने पहले अपग्रेड कराया था। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि काशी की महत्ता दुनिया भर में है। यहां मोक्ष के लिए लोग आते हैं लेकिन शहर की हालत पूरी तरह से खराब है, जर्जर है। गंगा प्रदूषित है और बगल में वरुणा है, जहां उसकी साफ-सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं हैं। बार-बार उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्र से मांग करती है लेकिन वहां धन नहीं दिया जा रहा है।

यह संतों की नगरी है। संत रविदास जी के दो-दो मंदिर हैं। माननीय बाबू जगजीवन राम जी ने एक मंदिर वहां बनवाया था। उसी प्रकार से वहां काशी-विश्वनाथ मंदिर है। ज्ञान-व्यापी मस्जिद है और बगल में सारनाथ बौद्ध जी की उपदेश-स्थली है, जैन मंदिर है। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के संपूर्ण विकास के लिए मैं सरकार से बार-बार निवेदन करुंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को ज्यादा से ज्यादा धन दें और उस पूरे शहर को एक विकसित शहर के रूप में बनाया जाए। जैसे गोमती पर कई पुल बनाकर लखनऊ को सुंदर बनाया गया है, दिल्ली को सुंदर बनाया जा रहा है। इसी तरह से गंगा पर अगर दो-तीन पुलों का निर्माण कर दिया जाए तो शहर की आबादी का घनत्व घट जाएगा। हमारे माननीय नेता जी बैठे हैं, और ये जब बनारस गये थे एक मिनट में गंगा पर बनारस में दूसरा पुल बनवाने को कहा और वह अब बनकर तैयार होने जा रहा है, लेकिन अगर एक-दो पुल भारत सरकार की मद से बन जाए तो बनारस शहर का जनसंख्या का घनत्व घट जाएगा और लोग शहर से बाहर भी बसने का काम करेंगे।

बनारस के व्यापारी, छात्र और आम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए बनारस का संपूर्ण और कारगर ढंग से विकास करने के लिए केन्द्र सरकार मदद करने का काम करे।

**श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर):** अध्यक्ष महोदया, देश के पिछड़े हुए जिले हैं, उनमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छह जिले आते हैं। बुंदेलखंड का सागर क्षेत्र आपने देखा है। जैसा मैंने कहा कि बुंदेलखंड बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसके लिए वहां के जनप्रतिनिधियों ने लम्बा संघर्ष किया है और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बुंदेलखंड पिछड़ा जिला है। भारत सरकार ने तीन साल पहले बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की और लगभग सात हजार करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए देने का निर्णय किया। विशेष रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए राज्य सरकार ने तेजी से विकास का कार्य किया।

महोदया, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव हुए और जो यूपी का बुंदेलखंड है, वहां कांग्रेस को पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण जो बुंदेलखंड पैकेज है, जिसकी तीन वर्ष की अवधि इस वर्ष समाप्त हो गई है और अभी पूरी राशि भी खर्च नहीं हो पाई है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि बुंदेलखंड के लिए तीन वर्ष की अवधि को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा जिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सागर लोकसभा क्षेत्र बुंदेलखंड का संभागी मुख्यालय और संभागी मुख्यालय होने के नाते सागर के अंदर बहुत पुरानी एयर स्ट्रिप है, अगर इस एयर स्ट्रिप के स्थान पर हवाई अड्डा बना दिया जाता है, तो बुंदेलखंड के विकास में चूंकि यह संभागी मुख्यालय है, बहुत तेजी आएगी। अगर बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार उद्योगों के लिए कोई विशेष पैकेज देती है या करों में छूट देती है, तो बुंदेलखंड के अंदर उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे बुंदेलखंड का विकास बढ़ेगा।

महोदया, आप जानती हैं कि सागर मुख्यालय में सैंट्रल यूनिवर्सिटी भारत सरकार ने दी है, डॉ. हरी सिंह गौर ने एक बड़ा विश्वविद्यालय वहां बनवाया था, अगर वहां आईआईएम, आईआईटी जैसे कोर्स प्रारम्भ किए जाएं, तो जो पिछड़ा बुंदेलखंड है, उसका विकास हो सकेगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का मामला है, जो बुंदेलखंड के लिए लाइफ लाइन बन सकता है। केन-बेतवा परियोजना, जिसका डीपीआर तैयार हो गया है, देश की एकमात्र ऐसी परियोजना है, जिसे उत्तर प्रदेश के उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने समझौता करके डीपीआर तैयार किया था, परन्तु भारत सरकार ने केन-बेतवा नदी परियोजना रोक दी है। इस तरह से बुंदेलखंड के विकास के लिए जो आवश्यक है, सागर क्षेत्र में अगर रेल कोच फैक्टरी का कारखाना लगता है, तो हमारे यहां के नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बुंदेलखंड के विकास के लिए भारत सरकार कम से कम 25 हजार करोड़ रुपए की राशि का पैकेज दे। इससे बुंदेलखंड का समग्र विकास हो सकेगा।

SHRI O.S. MANIAN (MAYILADUTHURAI): Thank you. Hon. Madam Speaker, LPG cooking gas shortage has been looming large over Tamil Nadu for quite

some time. Some time back, the strike by Transport Owners' Association has affected the LPG supply. LPG tank owners' strike went on for some time. As a result the existing stocks in Tamil Nadu got exhausted. This situation led to serious refilling of LPG. It took more than 45 days to refill. This situation is still prevailing. This is all because of the strike and the callous approach of the Central Government towards the striking LPG tankers. Ultimately, sufferers were the LPG customers who had to bear the brunt. All this has happened while the Central Government has earlier assured the Association that the rates would be revised by the end of February, but nothing has been done to resolve the issue.

Apart from the above, it is evident that there is less supply of LPG to Tamil Nadu to the tune of 40 per cent. To tide over the situation, I would like to request the hon. Minister of Petroleum and Natural Gas, through you, Madam, to increase the allocation of LPG supply to Tamil Nadu by 40 per cent so that those who use LPG for domestic use as well as industrial and hospital purposes would heave a sigh of relief.

I would strongly urge the Minister of Petroleum and Natural Gas to increase the allotment by 40 per cent so that customers in Tamil Nadu who use their LPG need not face such a situation in future.

MADAM SPEAKER: Shri Sivasami may be allowed to associate with the matter raised by Shri O.S. Manian.

**श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** अध्यक्ष महोदया, मैं अपने को श्री भूपेन्द्र सिंह द्वारा उठाए गए विषय से सम्बद्ध करता हूं।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** अध्यक्ष महोदया, बिहार के कोसी में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधान मंत्री थे और श्रीमान नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो महासेतु का शिलान्यास किया गया था। बिहार के स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी ने यह सपना देखा था कि कोसी में रेल का महासेतु बनाकर पूर्वोत्तर के साथ दिल्ली का सीधा संबंध जोड़ा जाए। उनके सपने को भी साकार किया गया। वह पुल बनकर तैयार है। लेकिन सकरी से लेकर निर्मली तक जो बड़ी लाइन की पटरी बैठानी है, वह पटरी नहीं लग पाई है। इसके कारण वह पुल दो साल से बनकर तैयार है परन्तु चालू नहीं है। रोड का पुल था, उसके लिए भी

पी.सी.जोशी जी गये थे, मुख्य मंत्री गये थे, उसका भी उद्घाटन हो गया। वह रोड से जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पश्चिम से पूर्व को जोड़ने का सपना देखा था, वह मिथलांचल और बिहार के लिए इतिहास का स्वर्णिम युग बनेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह नेपाल की सीमा पर है, पूर्वोत्तर से सीधा संबंध जोड़ने के लिए केवल कुरसेला में आप जानती हैं कि एक रेल का पुल है, किसी भी दिन अगर उस रेल के पुल की लाइफ खत्म हो जाए तो पूर्वोत्तर का सीधा संबंध दिल्ली से टूट जाएगा। मिथलांचल दो भाग में बंटा हुआ है-पूर्व और पश्चिम। वह उस रेल खंड से जुड़ता है। 13 घंटे में जो हमको दूरी तय करनी पड़ती थी, अब 3 घंटे में हम उस दूरी को तय कर सकते हैं लेकिन बड़ी रेल पटरी सकरी से लेकर निर्मली तक नहीं बैठाने के कारण वह रेललाइन धनराशि के अभाव में पड़ा हुआ है, उसको शीघ्र पूरा किया जाए जिससे दिल्ली से पूर्वोत्तर का सीधा संबंध हो जाएगा।

दूसरे, सभी के लिए जब एक जैसा मापदंड रहता है, तो दरभंगा से सीतामढ़ी रेल खंड पर हरिहरपुर गांव में एक हाल्ट देने की लोग लगातार मांग करते रहे हैं क्योंकि यह बड़ा गांव है। जब सभी हाल्ट के लिए एक मापदंड बनाया गया, इसके लिए एक प्रक्रिया और निर्धारित नियम है, तो हरिहरपुर के लोगों के मांग की उपेक्षा करना भी उचित नहीं लग रहा है। इसलिए सबके लिए समान प्रक्रिया हो, संविधान में सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए हरिहरपुर के लोगों की इस हाल्ट की मांग को पूरा किया जाए। यही मेरी दो मांगें हैं और भारत सरकार से, प्रधान मंत्री से, वित्त मंत्री से, रेल मंत्रालय से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सकरी से निर्मली रेल लाइन बनाने के काम को विशेष स्तर पर देखा जाए।

**श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली):** अध्यक्ष महोदया, हमारे संसदीय क्षेत्र में भारी यातायात के दबाव के कारण जो देसुरी घाटी है, उसमें आएदिन रास्ता जाम रहता है और दुर्घटना होती है। उसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्ष 2008 में भी इस तरह की दुर्घटनाओं में 185 यात्री मर गये हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जो 16 राजमार्ग हैं, उनको राष्ट्रीय राजमार्ग में घोषित करने की मैं आपसे मांग करता हूं कि वाया एन.एच. 8 से गोमती चौराहा से वाया देसुरी, फालना, जालौर, भीनमाल और एन.एच. 15 तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। वहां एक बहुत ही बड़ा जैन धर्म स्थल रणकपुर है, वहां पर पर्यटक आते जाते रहते हैं, इसलिए वहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बहुत जरुरत है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए।

SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): Madam, while we are for the protection and promotion of forest wealth including forest animals, we cannot afford to be silent spectators to the menace to which most of the MPs residing in south Avenue, New Delhi are subjected to in the continuous presence and

persistent mischief of monkeys in big groups. Of late, it has become a perennial problem. I could cite numerous instances occurring in and around South Avenue because of monkeys. The monkeys come in a battalion everyday and cause indiscriminate damage to the trees, plants and the vegetation there. The overhead electrical wires and cables are also subject to breakage and damage by them. Many a time, when children with their eatables and other things come out of their quarters, they have to lose their belongings as they are snatched away by the monkeys. Then, very importantly, the moneys are really a potential threat to the passers-by and the walkers on the road. When they walk along the road the monkeys tease them, obstruct them and mock at them, besides making stray attacks too. When the monkeys suddenly jump from the overhanging tree branches, persons walking along get a rude shock and get disturbed. In short, the monkeys straying there are really a big menace and nuisance.

MADAM SPEAKER: Thank you very much. You made your point. Please sit down.

SHRI P. KUMAR : Under these circumstances, may I appeal to the hon. Minister for Environment and Forests to take speedy and effective action to curb the menace of monkeys permanently, once and for all?

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): Thank you very much, Madam Speaker, for allowing me to raise a matter of urgent public importance.

I want to raise this matter of urgent public importance which is regarding opening of CGHS dispensary at Visakhapatnam or Vizianagaram or Srikakulam.

There are about 74 Central Government offices in and around Visakhapatnam. There are thousands of Central Government employees and pensioners who are residing here. The irony is that these employees, pensions and their family members are to travel 1024 kms. from Visakhapatnam to Hyderabad and back, for getting medical treatment. They are finding it difficult to travel such a long distance. If we have a dispensary there, it will not only help the employees

residing there, but also the employees of neighbouring districts of 8-10 Members of Parliament in coastal Andhra Pradesh.

If a CGHS dispensary is established at any of the above-mentioned places, it would be of great relief for them. On behalf of the employees and pensioners, I request, through you, Madam, the hon. Minister of Health and Family Welfare, to sanction one CGHS dispensary. The hon. Union Minister of Health, Shri Azad is also present here now in the House. I request him to take necessary steps to establish a CGHS dispensary at the earliest. Thank you.

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :** माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत को आजाद हुए 63 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी दलितों की स्थिति बहुत दयनीय है। भारत के संविधान में दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार के पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में पर्याप्त मात्रा में दलितों के लिए उपलब्ध आरक्षण नहीं दिया जाता है। मैं गुजरात से आता हूं, वर्तमान पत्रों में क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन आए थे। 24 मार्च, 2012 को बैंक आफ बड़ोदा का कुल 2000 क्लेरिकल भर्ती का विज्ञापन आया था। इसमें गुजरात के लिए 350 स्थान अंकित किए गए थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं किया गया था। इसी तरह 17 अप्रैल, 2012 को देना बैंक का क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती का विज्ञापन आया था। इसमें गुजरात के लिए 381 स्थान अंकित किए गए थे लेकिन अनुसूचित जाति के लिए केवल चार स्थान आरक्षित किए गए थे। मैं समझता हूं कि यह संविधान के प्रति अनादर है। जब पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग इस तरह का काम करती है तो हमें गंभीर रूप से इसका ज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह की गलत भर्तियों पर शीघ्र ही रोक लगा दी जानी चाहिए और नए सिरे से आरक्षण का आकलन करके भर्ती का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें दंडित करना चाहिए।

SHRI K. P. DHANAPALAN (CHALAKUDY): Thank you. I wish to raise an important matter today in this august House regarding inclusion of Kudumbi Community in Kerala in the list of Scheduled Castes. Kudumbi Community in Kerala is the most backward community in all respects. They are socially, economically, educationally and also in respect of employment backward. They are a migrated community to Kerala from Goa during the 16th century due to the Portuguese persecution and were landless. They spoke Konkani language which is

the official language of Goa. Kudumbis are the descendants of Kunbis of Goa who led a secluded life, and lived in remote areas; they were classified as OBC till 2002.

**13.00 hrs.**

As per the recommendations of Goa Government, as also on the basis of the parliamentary Select Committee Report, Kunbis of Goa were included in the Scheduled Tribes List in 2002. The same status should be given to Kudumbis of Kerala also. Before Independence the Maharaja of Kochi, by an order, classified the Kudumbis of Kerala under depressed class. After India became a Republic, in 1950 the name of the community was omitted from the list of Scheduled Castes.

Considering the fact that Kudumbis are the most depressed and oppressed class of the society, the State Government in 1967 recommended for inclusion of this community in the list of Scheduled Castes. The parliamentary Select Committee examined the matter and visited Kerala in 1969. It collected evidence from concerned officials, representatives, social workers, etc. On 23rd September, 1969 the Committee recommended the Central Government to include Kudumbi community in the Scheduled Castes List.

The Government accepted the recommendation and introduced an Amendment Bill including 42 communities in which Kudumbi community was at the 20th place. Out of these 42 communities, 38 communities have already been included in the Scheduled Castes List. Despite the recommendations of the State Government on a number of occasions, in 1978, 1982 and 2007, Kudumbis were deprived of their constitutional rights and benefits of being the Scheduled Castes of Kerala for the last 62 years.

Hence, I would request the Government to include the Kudumbi community of Kerala in the List of Scheduled Castes and redress the grave injustice being faced by the community since long. Thank you.

SHRI KHAGEN DAS (TRIPURA WEST): I express my deep concern over the tardy implementation of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest

Dwellers (Recognition of Rights) Act, 2007 in large parts of the country. Even after lapse of more than five years, the implementation of the Act is scandalously unsatisfactory in several States across the country. A complete lack of political will is the root cause of this malady. Many of the State Governments deny the tribals their right to forest land. As a part of the neo-liberal policy, they are taking steps to give a large chunk of forest land to corporates and multinationals by displacing the tribal people. The situation is equally grim so far as non-tribal traditional forest dwellers are concerned. These forest dwellers have to prove that they had lived in the forest for at least three generations – defined as 75 years – before they could even fight for their claims.

I would strongly demand implementation of Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act with utmost seriousness and urgency and take steps to bring a change in the 75-year evidence clause for other traditional forest dwellers.

**श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान चम्बल की वीर जनता एवं योद्धा भीलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चंबल का नांम सुनते ही लोगों के जहन में डाकुओं की तस्वीर उभरती है, परंतु वहां वीर सैनिक भी रहते हैं। इसी प्रकार इतिहास साक्षी है कि भीलों ने भी देश के स्वाधीनता संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। महाराणा प्रताप के संघर्ष में भी भीलों ने उनका साथ दिया है। बिरसा मुंडा के योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हमें चाहिए कि हम चंबल की वीर जनता व भीलों को सम्मान देने के लिए चंबल एवं भील रेजिमेंट की स्थापना करें। जिस प्रकार वर्तमान में जाट, सिख, गढ़वाल, कुमाऊं, नागा, गोरखा, महार, बिहार, मराठा, राजपूताना एवं आसाम राइफल्स हैं, उसी प्रकार चंबल एवं भील रेजिमेंट की स्थापना की जानी चाहिए। चंबल की जनता एवं भीलों को सम्मान देने से राष्ट्र प्रेम एवं राष्ट्र भक्ति की भावना और बलवती होगी।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वहं चंबल एवं भील रेजिमेन्ट की स्थापना के लिए शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करे।

"चमन के साथ रहो या खिजां के साथ रहो, जहां कहीं भी रहो बांकेपन के साथ रहो, हजार आएं जमाने में इंक्लाब मगर, तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो। "

**श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब):** अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इतने कम समय के नोटिस पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, पटना जो

बिहार की राजधानी है और वहां के ओवर ऑल डैवलपमैन्ट की बात करें या वहां की डेंजरस सिचुएशन की बात करें, मैं उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार भी उस पर रोशनी डाले। मैं इस वक्त कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ लेकिन कुछ वस्तुस्थिति सामने रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने बहुत बार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की कोशिश की है। आप जानती हैं और सरकार भी जानती है कि बिहार स्पेशल पैकेज डिज़र्व तो करता है। लेकिन इस वक्त मैं पटना पैकेज की बात कर रहा हूँ जो कि बिहार की राजधानी है। पटना रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की भी बात हुई थी। आपको पता है कि आज उसकी स्थिति क्या है? वह वर्ल्ड क्लास है या क्लास-लेस हो गया है, फिर हमारे मित्र शशी थुरूर की भाषा में "कैटल क्लास" इस पर सरकार रोशनी डाले। पटना के दीघा रेल कम रोड ब्रिज का शिल्यान्यास हमारे भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपई जी ने सन् 2002 में किया था। अभी तक उसके पाए लगे हुए हैं, आगे कुछ पाए बन चुके हैं, बाकी सब बनना बाकी है। अगर वह बन जाता है तो गंगा सेतु ब्रिज, जो एक जमाने में देश के चंद सबसे बेहतरीन ब्रिजेस में एक था, आज उसकी युटिलिटी करीब-करीब खत्म हो चुकी है। वहां पर उसकी लचर स्थिति है। भगवान न करे कि वह किसी भी दिन टूट सकता है और वहां पर जो कैटस्ट्राफि होगी, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वहां पर जाम की यह स्थिति है कि अब पटना को कुछ लोगों ने जाम का शहर भी कहना शुरू कर दिया है। बख्तियारपुर साइड में, बक्सर साइड में, पटना से मुजफ्फरपुर जाने में महाजाम होता है। ...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** सब की सलाह आ रही है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on records.

*(Interruptions) ...*[*]

**श्री शत्रुघ्न सिन्हा :** यहां पर बैठे हुम्कदेव बाबू और रघुवंश बाबू हम लोगों के साथ समिति में भी हैं, जिसमें हम लोग यह बात उठा चुके हैं कि यह क्या हो रहा है। एक तरफ खतरा मण्डरा रहा है कि वह ब्रिज किसी भी दिन टूट सकता है दूसरी तरफ जाम की भयावह स्थिति है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वह दीघा रेल कम रोड ब्रिज बन जाता है तो लोगों का मानना है कि उस ब्रिज का लोड और जाम का लोड 40 प्रतिशत वह ले सकता है और तब तक इस बीच में इस ब्रिज को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

---

[*] Not recorded.

मैडम, मैं साथ ही साथ एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। हमारे फॉर्मर एविएशन मिनिस्टर सामने बैठे हुए हैं और ये भी इस बात को जानते और मानते हैं कि देश मे सबसे ज्यादा भयावह और खतरनाक एयरपोर्ट अगर कोई है तो वह पटना एयरपोर्ट है।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** स्पीकर मैडम भी जानती हैं।

**श्री शत्रुघ्न सिन्हा :** मैडम, इस बात को आप भी जानती हैं। पटना एयरपोर्ट सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसका रन-वे सबसे छोटा है। जब मैंगलोर में एक दुर्घटना हुई थी, उसके बाद भी यह बात रोशनी में आई थी कि पटना एयरपोर्ट सबसे छोटा और खतरनाक है। पटना एयरपोर्ट के साथ एक अजीब सा व्यवहार किया गया है। यहां फ्लाइट्स का ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है लेकिन अभी तक वहां का विकास नहीं हुआ है। हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के नाम पर तू-तू, मैं-मैं ही होती रही है। बिहार और केंद्र सरकार के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। पटना एयरपोर्ट का न तो कोई विकास हुआ है ...(व्यवधान) और न वहां पर ढंग की बैठने की जगह है। वहां की फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, लोग बढ़ गए हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है, टूरिस्ट बढ़ गए हैं लेकिन वहां पर न कोई बैठने की जगह है और न कोई एयरोब्रिज है। छोटे-छोटे एयरपोर्ट्स को एयरोब्रिज मिला है और वहां नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। यहां वायालार रवि जी बैठे हुए हैं। इस मामाले को तय करने के लिए इन्होंने बिहार के सांसदों की एक बैठक भी रखी थी। लेकिन किसी कारणवश वह बैठक नहीं हो पाई थी। मैं चाहूंगा कि बैठक में बिहार के ही नहीं पूरे देश के सांसद शामिल हों क्योंकि वह राजधानी है।

हमारे पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जो एक्स्पर्ट्स कहते है, रेलवे लाइन्स को थोड़ा अलग किया जाए।

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप अपनी बात समाप्त करें।

**श्री शत्रुघ्न सिन्हा :** महोदया, दूसरा रास्ता है बगल में जंगल है। यानि बोटनिकल गार्डन जंगल से पंछी वगैराह आते हैं, पत्तल फेंके रहते हैं, उससे तो दुर्घटना की आशंका बढ़ेगी। पेड़-पौधों से भी दुर्घटना का खतरा हो सकता है और पहले हुआ है। पिछली बार जो दुर्घटना हुई थी वह पेड़ों की वजह से हुई थी। पेड़ों को काटने या जंगल को हटाने की बात होती है, तो हमारी इन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री बीच में आती है। महोदया, इन्वायर्नमेंट मिनिस्ट्री को और हम लोगों को यह तय करना है कि जान ज्यादा जरूरी है, या जंगल? इंसान ज्यादा जरूरी है। हम जिस डायनामाइट में बैठे हुए हैं, किसी भी दिन पटना में धमाका या एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे गांधी सेतु में कटैस्ट्रफी की बात हुई, उससे बड़ा कटैस्ट्रफी पटना एयरपोर्ट पर हो सकता है।

मैं पूरे सदन से इसके लिए सहयोग और आशीर्वाद चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए। इसे जल्द से जल्द किया जाये, सरकारी सिस्टम में जैसे काम होता है, वैसे नहीं, यह अर्जेंसी है, मैटर आफ अर्जेंट इंपोर्टेंस है।

मैडम स्पीकर, मैं चाहूंगा कि आप सरकार को अपना सुझाव एवं निर्देश दें कि वह इन मामलों का जल्द से जल्द समाधान करे।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली):** महोदया, अभी-अभी दिल्ली में पुस्तक मेला बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, कोलकाता का पुस्तक मेला सफल, पटना में भी सफल, गया में सफल, देवघर में श्री दुबे जी यहां बैठे हुए हैं, वहां भी पुस्तक मेला भारी सफल हुआ। पुस्तक मेला में लोगों की भागादारी, पुस्तकों की खरीददारी और लोगों के उत्साह से ऐसा लगता है कि पुस्तक पढ़ने की संस्कृति का विकास हो रहा है, लेकिन देश के ज्यादातर गांवों में पुस्तकालय नहीं हैं। राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, पुस्तकालय की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, सबसे उपेक्षित इलाका आज पुस्तकालय हो गया है। या तो पुस्तकालय नहीं हैं, अगर हैं भी तो वह मृतप्राय हैं, जीर्णशीर्ण हैं, इनकी कोई देखभाल सरकार की ओर से नहीं है। यह ठीक बात है कि इंटरनेट में और डिजिटल में संपूर्ण ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है, लेकिन इंटरनेट पुस्तकालय का विकल्प नहीं हो सकता है। जो पुस्तक है, उसे पढ़ने की जो हमारी संस्कृति है, किताब पढ़ते-पढ़ते पुस्तक को छाती पर रखकर नींद आ जाना और सो जाना, यह संस्कृति और यह मजा डिजिटल और इंटरनेट से नहीं आ सकता।

महोदया, बिहार में तो बहुत खराब स्थिति है। हर जगह मदिरालय, मदिरालय, बहुत सी शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। महिलायें आन्दोलन कर रही हैं कि शराब की दुकान बंद करो, नौजवानों की तरफ से यह कहा गया कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए। इस आंदोलन की शुरूआत हो गयी है कि मदिरालय के बदले पुस्तकालय और शराब के बदले किताब, शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि यह पुस्तकालय आंदोलन और पुस्तक पढ़ने की संस्कृति में, कहां है नॉलेज कमीशन, कहां हैं सैम पित्रोदा?...(व्यवधान) नॉलेज कमीशन ने कहा था कि पुस्तकालय आंदोलन की तरफ भारत सरकार का ध्यान है, लेकिन क्या हो रहा है?...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदया :** अब आप समाप्त कीजिये।

**डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :** इसलिए राज्य सरकार, भारत सरकार इस बात पर ध्यान दे कि पुस्तक पढ़ने की संस्कृति का विकास किया जाये, पुस्तकालय आंदोलन चलाया जाये। किताब चाहिए, शराब नहीं, मदिरालय

नहीं, पुस्तकालय चाहिए, यह आंदोलन देश भर में चले तो हिन्दुस्तान ज्ञान के मामले में दुनिया में नंबर एक पर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।

**अध्यक्ष महोदया :** श्री उमाशंकर सिंह, श्री प्रेमदास, श्री ओम प्रकाश यादव, डॉ. तरुण मंडल, डॉ. अनूप कुमार साहा, श्रीमती सुस्मिता बाउरी, श्री पुलीन बिहारी बासके, श्री बंस गोपाल चौधरी, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री नीरज शेखर और श्री धनंजय सिंह अपने आपको डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

**श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका):** महोदया, मैं आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय का ध्यान इंदिरा आवास योजना की तरफ दिलाना चाहती हूं, जो बीपीएल परिवारों के लिए बनायी गयी है। हम सब जानते हैं, संसद का हर शख्स जानता है कि बीपीएल सूची में भारी अनियमितता बरती गयी है, इसमें बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। इसी से संबंधित एक मुद्दा मैं उठाना चाहती हूं। अभी 25 दिन के अंदर मेरे संसदीय क्षेत्र बांका में लगभग 300 घर अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग प्रखण्डों में जले हैं। गर्मी का समय है, मिट्टी के बने हुए घर हैं, उनके ऊपर घास-फूस की छत है, जब वे मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाते हैं और हवा से जब आग पकड़ती है तो उनके पास आग बुझाने के लिए एक बाल्टी पानी तक नहीं है। आज वहां 300 घर बहुत बुरी तरह से जले हुए हैं। कोई बहुत ज्यादा जान की क्षति नहीं हुई है, लेकिन उनके माल की क्षति हुई है। उनके पास जो कुछ था, वह सब-कुछ स्वाहा हो गया है। जब वे प्रशासन के पास जाते हैं तो उन्हें 500-1000 रूपये की सहूलियत मिल जाती है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि बीपीएल की सूची में आपका नाम नहीं है, इसलिए आपको इंदिरा आवास योजना में घर नहीं मिल सकता है।

मेरा आपके द्वारा सदन और सरकार से आग्रह है कि जिनके घर जल चुके हैं, मिट्टी के घर हैं, जले हुए घर अपनी कहानी बता रहे हैं, उनको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उन विपत्ति के मारों के लिए क्या नियमों में थोड़ी सी ढिलाई नहीं बरती जा सकती है या थोड़ी सी हेराफ़ेरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह गरीबी उनकी अपनी दास्तान खुद सुना रही है। हम जानते हैं कि नियम हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कभी-कभी नियमों की वजह से हमारे काम रुक जाते हैं। तो क्या शहरी विकास मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा कि बीपीएल आपदा प्रबंधन विभाग को ऐसा निर्देश जारी करे कि बाढ़ में, आग में भयानक क्षति हो जाने पर, बीपीएल सूची में नाम नहीं होने पर भी इंदिरा विकास की सुविधा उन बेघर हुए लोगों को प्रदान की जाए?

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Madam, Speaker, I would like to draw the attention of this august House to a grave injustice and blatant violation human rights of a tribal student and his family by Anti-National Force in Karnataka.

A 21 years old student of MCJ in Mangalore University and his father were arrested on 2nd of March this year. The Anti-National Force has falsely implicated them for waging war against the State and leveled allegations of having links with the Maoists. But this student is a member of the Democratic Youth Federation of India of which I am an office bearer. On March 02, this Anti-National Force entered into the House of this tribal family and the father of the student, Shri Ninganna was brutally assaulted. The brutality was such that his left leg was fractured. On knowing this, the student who was then in the university hostel came back to his home to take his father to the hospital. On knowing this, this Anti-National Force rushed back to the village and arrested both the student and also his father. In a bid to avoid charges of atrocities against Anti-National Force, they implicated them in a false case of waging war against the State.

Madam, Speaker, ironically, as an evidence of the student's links with the Maoists, they have put forward a case that he was in possession of a Kannad translation of a book by Kuldip Nayyar on Bhagat Singh. It is not only a matter of grave concern but also is a matter of shame that in Independent India a person is being put in shame because he was to have possession of a book on Bhagat Singh. Such a thing did not happen during the British Raj but this is found to be happening in Independent India. Further, he was allowed by court to appear for his examinations. On obtaining court order he was brought to write the examination hall in hand cuffs. This is a serious human rights violation. So, this act was condemned by all sections in Karnataka, by the local media as also by the national media. A leading Kannad Newspaper even wrote an editorial condemning and also exposing the human right violation by Anti-National Forces… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Thank you.

Shri Rajaram Pal.

… (*Interruptions*)

SHRI M.B. RAJESH : So, my last point is that this is also a violation of the Forest Rights Act also… (*Interruptions*) I would like to request the Government of India

to enquire into this shocking human rights violation … (*Interruptions*) and to ensure that stringent action is taken against those who are responsible for this… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

**13.19 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till*
*Fourteen of the Clock.*

**14.05 hrs.**

*The Lok Sabha re-assembled at five minutes past*
*Fourteen of the Clock.*

(Shri Francisco Cosme Sardinha *in the Chair*)

## INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2012

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Item no. 10, Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012.

Hon. Minister, Shri Ghulam Nabi Azad.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Chairman, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration. "

The Medical Council of India, MCI, is a statutory body created by an Act of Parliament. It is responsible for establishing and maintaining high standards of medical education and recognition of medical qualifications in India. It registers doctors to practice in India, in order to protect and promote the health and safety of the public by ensuring proper standards in the practice of medicine.

Members are aware of the reasons which led to the supersession of the Council in 2010. The issue was also debated in the Rajya Sabha during my

response to the Calling Attention notice on 4th May, 2010. I had emphasized during the discussion that there is an urgent need to reform the structures governing the medical education, including the MCI, and I had assured that the Government would take all necessary steps to restore the credibility of the Medical Council of India.

The Ministry held detailed discussions to explore various possible ways to improve the regulatory structure of the health education sector in general, and the functioning of the Medical Council in particular and ultimately decided to set up a National Commission for Human Resources for Health, that is NCHRH, as an overarching regulatory body in the health sector, as was mentioned by Her Excellency, the President of India in her speech to the Joint Session of Parliament on 4th June, 2009. It was also decided to take immediate steps to revamp the Medical Council of India till the NCHRH comes into effect.

In this backdrop, the Medical Council of India was dissolved on 15th May, 2010 and a six-member Board of Governors was constituted to oversee the work of the Council for one year with the hope that the NCHRH would be in place by that time. The Ministry had been working on the NCHRH Bill immediately after it was announced by the hon. President. The Ministry constituted a Task Force which finalized its Report, outlining the structure and the functions of the overarching body within two months. However, consultations with the States and other stakeholders took a long time. It also required consultations with other Central Ministries and issues relating to the NCHRH under the Ministry of Health and Family Welfare, and the NCHER under the Ministry of HRD were also required to be resolved.

Since finalization of the Bill was taking time and it was not possible to introduce the NCHRH Bill, the Indian Medical Council Act had to be amended again through the IMC (Amendment) Act, 2011 and the term of Board of Governors was extended by one year, i.e. up to 14.5.2012.

In the meanwhile, the NCHRH Bill has been introduced in the Rajya Sabha in December last, and the hon. Chairman of Rajya Sabha had referred the Bill to the Departmentally Related Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare. The recommendations of the Committee on the Bill are still awaited.

I would like to inform the hon. Members that in these two years, the Board of Governors of the MCI have brought in unprecedented transparency in the functioning of the Council and introduced a series of reforms which has led to the addition of 6,367 MBBS seats between 2010- 2011 and 2011- 2012; and 3,724 PG seats between 2011 and 2012 and in this session some more seats are being created.

The regulations have been relaxed to encourage opening of the new medical colleges, particularly in backward and remote areas. Measures like relaxing the teacher-student ratio, increasing the retirement age of the medical faculty, say to 70 years, and allowing medical colleges to start post-graduate courses in pre and para-clinical disciplines at third renewal without waiting for the recognition, have been taken to meet the shortage of teachers in the medical colleges and to increase the number of specialist doctors in the country.

Sir, as I have already mentioned that there is no possibility of enacting the proposed legislation to set up NCHRH within the deadline of 14.5.2012, and a situation of reversion to the *status quo ante,* i.e., constitution of the old MCI as per Section 3 of the IMC Act would arise which may not be desirable.

It is in this background, I would request the House to consider the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012 for extending the tenure of the Board of Governors of MCI for one more year beyond 14.5.2012 so that there is adequate time for the NCHRH Bill to be considered by the Parliament and reconstitution of the MCI in terms of the new provisions.

Sir, having said this, I would like to draw the attention of the hon. Members that this subject has been discussed as many as two times earlier and third time only day before yesterday when we were discussing the Demands for Grants of the

Ministry of Health and Family Welfare. Earlier in 2010 when the Medical Council was dissolved and we went for the Ordinance, at that point of time, it was discussed. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Madam, please do not disturb him. Hon. Minister please address to the Chair.

… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, it was discussed in one or the other House. Then, second time also when the amendment was brought for two years, it was discussed in the other House. … (*Interruptions*) I am not saying that we may not discuss this Bill at all. … (*Interruptions*) It was discussed in the other House. I am not recommending that nobody should speak. I am just saying only that the amendment is very simple that instead of two years, we have to do it for three years.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956, be taken into consideration."

**डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण):** सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मुझे आपका संरक्षण चाहिए कि जो हम लोग यहां पर बोलते हैं, कम से कम उसकी बात का जवाब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दें और जो बोलें, वे सही बोलें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वे जब भी बोलते हैं, अजीब तरह की बात बोलते हैं। जैसे टी.वी. पर डिबेट होती है, वैसे लोक सभा के डिबेट की स्थिति स्वास्थ्य मंत्रालय की हो गई है। जैसे टी.वी. पर एक डिबेट होती है कि गोल-गप्पा खाने से भाग्य ठीक होता है या नहीं। वैसे ही यहां पर गुरुजी बाबा का एक चेला रहता है, जो कि कहते हैं कि आप चारों एमिनेंट स्पीकर्स बोल लीजिए, लेकिन मैं कहती हूं कि मेरा भाग्य गोल-गप्पा खाने से ठीक हुआ है।...(व्यवधान) सतपाल महोदय, मैं एक-एक बात बताऊंगा कि क्या रिलेवेंस है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please address the Chair. Otherwise, I will call the next speaker.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb. You will also get your time.

Nothing else will go in record except what Dr. Sanjay Jaiswal says.

*(Interruptions) …*[*]

**डॉ. संजय जायसवाल :** इसका रिलेवेंस यह है, अभी मंत्री जी ने यह कहा कि यह बिल तीन बार डिसकस हो चुका है। सन् 2010 में यह बिल डिसकस ही नहीं हुआ, जब सबसे पहली बार यह बिल आया तो इस पर डिसकशन ही नहीं हुआ। हंगामा एवं बॉयकाट हो गया, हंगामे में यह बिल पास हो गया। इस बिल पर कोई डिसकशन नहीं हुआ। मंत्री महोदय अभी भी असत्य बोल रहे हैं। इसलिए मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। एमसीआई बिल क्यों आया, मंत्री महोदय के असत्यों की लिस्ट मैं आज गिनाऊंगा कि ये कितना असत्य बोलते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि सन् 2010 में यह बिल आया, यहां पर डिसकशन नहीं हुआ, लेकिन इसका डिसकशन राज्यसभा में हुआ, जैसा मंत्री जी ने बोला। मंत्री जी ने 26-8-2010 को राज्यसभा में जो बिल दिया, उसमें इन्होंने भाषण दिया था कि जो नया बिल आएगा, उसे हम अगले सत्र में सभा पटल पर रखेंगे। ये जो बोल रहे हैं कि सन् 2010 में राज्यसभा में इस बिल पर

---

[*] Not recorded.

डिसकशन हुआ। वहां पर भी इन्होंने गलत बयानी की, कोई अगले सत्र में नहीं आया। उसी तरह से इन्होंने पिछले साल सन् 2011 में भाषण दिया। मंत्री जी को अगर याद न हो तो उनके भाषण की प्रति मैं सभापटल पर रख दूंगा। मैंने कहा था कि मेडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया में ऐसे लोग होने चाहिए, जिनका अपना टीचिंग का एक्सपीरिएंस हो। मुझे बहुत अफसोस है, मंत्री जी ने पद्मभूषण, पद्म विभूषण आदि बहुत कुछ बताया, इन्होंने डॉ. राजीव यादवेकर के बारे में भी कहा। जो बड़े-बड़े कार्पोरेट्स के पास जेनरेटर्स, इनवर्टर्स आदि सब कुछ है, परन्तु उस गांव के गरीब के लिए जो पांच-छ: घंटे बिजली आती है, उनकी जो मिनिमम जरूरतें हैं, वह उन्हें पांच-छ: घंटे के अंदर पूरी कर सकता है। वह रोशनी उन लोगों को दिखाएं, यह हम सब लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। सड़क के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत काम हुआ है। रेगिस्तानी इलाके के अंदर ढाई सौ की संख्या का हम लोगों ने पैमाना रखा है। पहले गांव में राजस्व ही पैमाना था, अब उस राजस्व की जगह हैबिटेशन के कलस्टर का पैमाना रखा है। वह हैबिटेशन का कलस्टर भी उस राजस्व गांव के अंदर इतना नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से रेगिस्तानी इलाके को ज्यादा से ज्यादा कि इनका टीचिंग एक्सपीरिएंस 24 साल है और मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि ये पब्लिक सर्विस कमीशन से टीचिंग एक्सपीरिएंस्ड हैं। यह बिल्कुल गलत है, इनका पी.एस.सी. में जरूर सलैक्शन हुआ था, पर ये किसी मैडीकल कालेज में कभी टीचर नहीं रहे। उसके बाद मंत्री जी ने डॉ. पुरुषोत्तम लाल के बारे में कहा था कि पद्मभूषण हैं, पद्मविभूषण हैं। मेरा प्रश्न यह था कि आप मैडीकल कालेज, एम.सी.आई. के लिए गवर्नर बना रहे हैं, क्या उनको मैडीकल कालेज में टीचिंग एक्सपीरिएंस है कि नहीं। इसमें भी इन्होंने कहा था। पुरुषोत्तम लाल जी ने कभी किसी मैडीकल कालेज में टीचिंग नहीं की और मैं आपका संरक्षण भी चाहता हूं कि मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए। इन्हें कभी भी किसी ने नहीं रखा। ये दोनों इनके स्टेटमेंट पेज नं. 4775 पर हैं। अब मैं पेज नं. 4777 पर आता हूं। इन्होंने मैडीकल कालेज के बारे में कहा था, आज भी ये कहें कि इनसे पहले पांच से छः से ज्यादा मैडीकल कालेज कभी भी नहीं खुले थे और इन्होंने 21 मैडीकल कालेज खोल दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1999 में 9 मैडीकल कालेज खुले।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please do not get disturbed. Please continue.

… (*Interruptions*)

**डॉ. संजय जायसवाल :** खुलने चाहिए, उस पर बहस नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था कि पांच से छः मैडीकल कालेज नहीं खुले। मैं बताना चाहता हूं कि 1999 में नौ मैडीकल कालेज खुले, 2000 में 11 मैडीकल कालेज खुले, 2001 में 12 मैडीकल कालेज खुले, 2002 में 18 मैडीकल कालेज खुले, 2003 में

नौ मैडीकल कालेज खुले, 2005 में 13 मैडीकल कालेज खुले, 2006 में 20 मैडीकल कालेज खुले, 2007 में नौ मैडीकल कालेज खुले, 2008 में 19 मैडीकल कालेज खुले। उसी तरह से जो भी इन्होंने कहा है, यह भी इन्होंने गलत कहा कि इनसे पहले पांच से 6 मैडीकल कालेज नहीं खुलते थे। जो इन्होंने कहा कि हमने 21 मैडीकल कालेज खुलवाये, इसमें आई.केयर मैडीकल कालेज, हल्दिया में है, जिसका

> "LOP had to be cancelled subsequent to joint inspection carried out by MCI and DCI pursuant to the orders of the hon. Supreme Court. Then there was the Dashmesh Medical College at Gurgaon, Rama Medical College at Ghaziabad and NIMS at Jaipur, etc. against whom CBI inquiry is pending. "

और यहां पर कोई फैसिलिटीज़ नहीं हैं और ये सारे मैडीकल कालेज नॉन एग्जीस्टेंट हैं। उसके बाद इन्होंने पेज नं. 4777 पर कहा, जो कि हर भाषण में ये क्लेम करते हैं कि मैंने एम.डी. की सीट बढ़वाई हैं। महोदय, मैं कागज भी लेकर आया हूं, जो भारत सरकार का गजट है, जो मैं माननीय मंत्री जी के लिए और पटल पर भी रख रहा हूं कि

> "In Academic Year 2009-10, in the times of erstwhile MCI which was a representative body, the number of seats were increased by more than 3700 out of which more than 2700 seats were increased in Government Medical Colleges."

और इन 3700 सीट्स में से 2700 सीट्स केवल और केवल गवर्नमेंट मैडीकल कालेजेज़ में एम.सी.आई. ने इन्क्रीज़ की थीं। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में इन्होंने बताया कि टीचर स्टूडेंट रेश्यो इन्होंने बढ़ाया, यह बात भी बिल्कुल असत्य है।

> "Regulation for increasing Teacher-Student ratio to 1:2 from 1:1 was introduced by the erstwhile MCI which was a representative body in 2008 by amending Sections 12 (1), (2), (3) and (4) of PG Medical Education Regulations *vide* amendment dated 21.7.2009. "

तो यह भी चीज़ जो हमेशा हर बार जब भी ये भाषण देंगे, कहेंगे कि मैंने पी.जी. में सीटें बढ़वाईं, यह भी गलत है। यह 2009 का डिसीजन है, जबकि पुरानी एम.सी.आई. थी। इसी तरह से इन्होंने कहा कि हमने रिटायरमेंट की एज बढ़ाकर प्रोफेसर्स की संख्या बढ़ाई, उसका भी " The Regulation for increasing retirement age for medical faculty was amended by the erstwhile MCI."

**श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर):** आप बिल पर चर्चा करिये।

**डॉ. संजय जायसवाल :** जो ये बोल रहे हैं, सारी बिल पर ही तो चर्चा कर रहे हैं, जो मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इसी बिल में है, मैं कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने 26.4.2012 को मैडीकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया था। मेरे पास मंत्री जी के भाषण की प्रति भी है, अगर आपको चाहिए तो इसको भी रख लीजिए और ये सारे भारत सरकार के गजट्स भी मैं दे रहा हूं, जिसमें कि इनका यह चेंज नहीं है, यह पिछली एम.सी.आई. का चेंज है, जिसका ये हमेशा क्रेडिट लूटते रहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने रिटायरमेंट की एज बढ़ाई, यह भी गलत है। 2005 में ही रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का प्रपोजल हो गया था।

> "…by inserting Section 1 (A) in the Teachers Eligibility Regulations *vide* amendment dated 16.3.2005. "

2005 का भी ये क्रेडिट ले रहे हैं। लैंड रिक्वायरमेंट पर भी ये हमेशा लोक सभा में भाषण देते हैं कि मैंने 35 एकड़ से 20 एकड़ करवाई, मैंने करवाया कि जो बड़े शहर हैं, उनमें दस एकड़ हो। यह भी इन्होंने असत्य बोला। The factual position is that this was reduced by the erstwhile MCI by amending - मैं सब-सेक्शन बोल रहा हूं और जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। - As per Section 3 (2)(2) of the Establishment of Medical Regulations, 1999 vide amendment dt. 26.2.2010, minimum standard requirement for 50/100/150 admissions regulations were made by amending Section A 1.1 of the Regulations vide amendment dt. 13.11.2009. यह भी इनका कराया हुआ नहीं है, पर हर बार ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने यह कराया। इसी तरह जो यह दस एकड़ मेट्रोपोलिटंस में एलाऊ हुआ था, यह भी - the factual position is that construction by vertical expansion in Metropolitan cities up to permissible FSI/FAR was introduced by the erstwhile MCI - which was a representative body - by amending Minimum Standard Requirement for 50/100/150 admissions regulations by amending Section 1 1.1 vide amendment dt. 13.11.2009. मंत्री जी जो मेट्रोपोलिटन के बारे में कहते हैं, यह भी गलत कहते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ढाई सौ करोड़ से, मैं कोट करता हूं, यह सब उनका बोला हुआ है, मैं नहीं कहता हूं, से कम कैसे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा हास्पिटल्स बनें, उसमें भी परिवर्तन लाएंगे, उसमें ऑडीटोरियम बिल्डिंग्स को एग्जामिनिशेन हॉल से मर्ज करा के मैंने उनका कॉस्ट कम कराया, यह भी उन्होंने असत्य बोला है। Here, the faction is that minimum standard requirement for 50/100/150 admissions regulations were made by amending Section A.1.6. vide

amendments dt. 23.10.2008 ( for 100 admissions) and 15.07.2009 ( for 50/150 admissions). में यह अमेंडमेंट था। तो यह जो कहते हैं कि मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम कराया है, वह भी गलत कहते हैं। मंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं लैबोरेट्रीज के बारे में जानता हूं, इसीलिए मैंने मेडिकल कॉलेज में 14 से 6 लैबोरेट्रीज का प्रावधान कर दिया है। यह भी इन्होंने असत्य बोला है, क्योंकि 14 से 6 लैबोरेट्री का प्रावधान - was done by Section A.1.19(a) and A.1.19(b) vide amendment dt. 23.10.2008. तो यह भी वर्ष 2008 का अमेंडमेंट है, इसमें मंत्री जी का कोई रोल नहीं है। उसके बाद हॉस्टल रिक्वायरमेंट के बारे में मंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं को मैंने सौ परसेंट दिया और पुरूषों को मैंने छूट किया था। उनका स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं। मेडिकल कॉलेज किसी जंगल में नहीं होते हैं, इसीलिए हमने लड़कियों की जो अनिवार्यता पहले सौ प्रतिशत हॉस्टल की होनी चाहिए, हमने अब उसे सिर्फ लड़कियों के लिए अनिवार्य रखा है, लड़कों के लिए सत्तर प्रतिशत आ गए हैं। यह भी उन्होंने गलत कहा है। पिछली एमसीआई जो चुनी हुयी बॉडी थी, उसके द्वारा सेक्शन B.12 amendment dt. 23.10.28 ...(व्यवधान) 15 अपराध गिनाकर छोड़ दूंगा, गिनाने को तो मैं पांच सौ गिना सकता हूं। ...(व्यवधान) इस सारे के गैजेट्स मेरे पास हैं। The factual position is that there is no such requirement as 100 per cent for girls. उसके बाद उन्होंने बहुत क्लेम किया था कि यह परिवर्तन आज तक साठ साल से ज्यादा समय तक मेडिकल कॉलेज लाने के लिए कभी नहीं आए थे। आज बहुत सारे अनडेमोक्रैटिक सिस्टम कहते हैं, उसी सोकाल्ड अनडेमोक्रैटिक सिस्टम में हमने यह परिवर्तन लाया है, जो सोकाल्ड डेमोक्रैटिक सिस्टम में लाया था। इतने सारे सबूत मैं दे रहा हूं कि इन्होंने क्या-क्या गलत बोला? यह भी पूरा का पूरा असत्य है। अनडेमोक्रैटिक सिस्टम में जो अच्छे से काम हुआ, उसके लिए स्कैम की दो सालों की किताब आपके लिए उपलब्ध है। स्कैम्स जो दो सालों में एमसीआई ने किया, जो आपकी एमसीआई है, उसके स्कैम्स की एक कापी मैं पटल पर भी रखता हूं और एक कॉपी माननीय मंत्री जी को भी गिफ्ट करता हूं कि वह घर में जाकर अच्छे से पढ़ लें कि इनकी एमसीआई क्या कर रही है? ...(व्यवधान) एक कॉपी आपको भी दूंगा। उसके बाद माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर वह एक साल रहा तो जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इन्होंने कहा था कि ...(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** माननीय सदस्य से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि एमसीआई न मेरी है, न इनकी, न पुरानी और न ही नयी। यहां कहते हैं कि पुरानी एमसीआई, पुरानी एमसीआई भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर थी और नयी भी। जब मैंने कहा कि हमारे वक्त में तो चाहे वह पुरानी हो या नयी हो, ऐसा लगता है कि पुरानी इनके अंडर थी और नयी मेरे अंडर है। पुरानी भी हमारे अंडर थी। ...(व्यवधान) हमने अपने

शासन के वक्त की बात कही है, चाहे पहले एमसीआई वाला हो या नया एमसीआई वाला हो, इसलिए मैं खंडन करता हूं कि आपकी सब असत्य बातें हैं।

**डॉ. संजय जायसवाल :** एमसीआई पहले इंडीपेंडेंट स्टैच्युटरी बॉडी थी।

**श्री गुलाम नबी आज़ाद :** हमारे पीरियड में पुराना एमसीआई भी था और नया एमसीआई भी है। ...(व्यवधान)

**डॉ. संजय जायसवाल :** सर, आप का स्टेटमेंट, आपको थोड़ा याद करा दूं कि आपने जो स्टेटमेंट 26.08.2010 को दिया था वह मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं :-

> "यह परिवर्तन आज तक 60 साल से ज्यादा समय तक मेडिकल कॉलेज लाने के लिए कभी नहीं आए थे जिसको आज बहुत सारे अनडेमोक्रेटिक सिस्टम कहते हैं उसी सो-कॉल्ड अनडेमोक्रेटिक सिस्टम में हमने यह परिवर्तन लाया और जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसमें कोई परिवर्तन नही आया। "

सर, आपने खुद इसमें कहा है। अगर आपको याद नहीं है तो इसका पेज नम्बर 4781 है। आप लोक सभा के रजिस्टर में कभी भी जांच कर सकते हैं। उसके बाद ये यह कहते हैं कि एमसीआई भ्रष्ट है। हम सभी ने एमसीआई पर क्वैश्चन उठाया था कि एमसीआई बहुत भ्रष्ट है। इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। गवर्नमेन्ट को एमसीआई और डीसीआई पर कमेटी बैठाने का पावर है। उन्होंने एमसीआई और डीसीआई पर कमेटी बैठायी। ग्यारह मई को उनके हेल्थ सेक्रेट्री के.सुजाता राव जी ने तीन आदमियों की कमेटी बैठाई। यह तीन लोगों की जो कमेटी थी - श्री केशवदास राजू, एडीशनल सेक्रेट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एण्ड वेलफेयर, डा. रानी कुमार, डीन, एआईआईएमएस, प्रोफेसर ए. के अग्रवाल, डीजीएचएस जो दसमेश और मेडिकल कॉलेज पटियाला था, उसमें एमसीआई के पुराने अध्यक्ष पर यह इल्जाम लगा था कि इन्होंने घोटाला किया। हम लोगों के लोकसभा में कहने पर माननीय मंत्री जी ने जांच की। जांच का कंक्लूजन क्या निकाला।

> "In conclusion, the Inquiry Committee is of the view that the recommendation made by the Executive Committee of the MCI at its meeting on 5.4.2010 to grant permission for admission of 100 students in 2010-11 for the fourth batch of MBBS students at the Gyan Sagar Medical College and Hospital, Patiala was justified on the basis of the Report of the Council of Ministers."

इन्होंने जो जांच कमेटी बैठाई वह ग्यारह मई को कहती है कि ठीक है और तेरह मई को, सीबीआई के. अश्विनी कुमार जी को लेटर लिखा हुआ है। हम लोगों ने आरटीआई से निकलवाया है। आप यह चेक कर लें। इसी के कहने पर किया गया है। मुझे बहुत दुःख है कि उसके बावजूद इन्होंने किया।

हमलोग लगातार इल्जाम लगाते हैं कि आपने एमसीआई को डिजॉल्व किया और डेंटल कॉउंसिल ऑफ इंडिया और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को क्यों नहीं डिजॉल्व किया। डीसीआई में जस्टिस अनील सिंह की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी। पांच वर्ष तक की इसकी रिपोर्ट गवनर्मेन्ट के पास पड़ी हुई है। जैसे गवर्नमेंट की हर कांफिडेंशियल रिपोर्ट लीक हो जाती है वैसे यह भी लीक हो चुकी है। इसमें साफ लिखा गया है कि डेंटल काउंसिल में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और इसे खत्म किया जाए लेकिन आज तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई ने नर्सिंग होम काउंसिल के चेयरमैन पर तीन साल पहले चार्जशीट कर दिया। यह तीन साल से मांग करती रही कि हमें परमीशन दिया जाए। नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष रिटायर कर गए पर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया को डिजाल्व नहीं किया गया। यह जो ओवरार्चिंग बॉडी तथाकथित बन रही है उस में भी कहीं-कहीं लिखा हुआ है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया खत्म किया जाए। उसमें भी है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रहेगी। तीन साल से हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि जब भी भाषण हुआ ट्रेजरी बेंच के हर आदमी ने कहा है कि इसका प्रापर इलैक्शन करा कर, पावर रिस्ट्रीक्ट कर आप बहाल करो। उसमें सारे मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, सारा यूनिवर्सिटी का है, आप उसको बहाल नहीं कर रहे हैं। हर बार आप समय पर समय लिए जा रहे हैं। आप कहते हैं कि ओवरार्चिंग बॉडी बनाई। आपने तीन-तीन ओवरार्चिंग बॉडी बना कर रखी हुई है। हायर एजुकेशन लिए अलग और आयुष के लिए अलग है। इस तरह की ओवरार्चिंग बॉडी है कि हम लोगों के भी समझ से परे है। इसलिए मेरा आप लोगों ने अनुरोध होगा, एक शोले का डायलाग था, अमिताभ बच्चन ने धर्मेन्द्र की शादी के लिए बोला था कि यह करता है, वह करता है लेकिन इस लड़के से शादी करा दो। कुछ वही हालत है कि सब कुछ गलत है जो दो सालों में हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है लेकिन हम लोगों की मजबूरी है कि जो पहले वाला था वह भी ठीक नहीं था लेकिन इसका इलैक्शन कराइए, नियम बनाइए और तुरंत इसको बहाल कीजिए और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में दिल्ली और मुंबई का नहीं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बनाइए।...(व्यवधान) पिछले बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में छः सदस्यों में से चार सदस्य दिल्ली के और दो सदस्य मुंबई के थे। इस बार चार सदस्य दिल्ली के हैं और दो सदस्य मुंबई के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में हैं और एक सदस्य केरल से हैं। क्या यही पूरे इंडिया की मेडिकल काउंसिल है या केवल दिल्ली और मुंबई की मेडिकल काउंसिल है? आपको छः सदस्य लेना था तो सभी सदस्य डिफरेंट राज्यों से लेते। दिल्ली मुंबई के जितने कारपोरेट हास्पिटल्स हैं उनके मालिकों को लेकर उनको मेडिकल कालेज खोलने के लिए उनको छूट देने के लिए एमसीआई की मांग की जा रही है। पिछला भी गलत था, मेरी मजबूरी है इसलिए मैं मजबूरी में इसका समर्थन करता हूं।

**श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज):** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमैंडमैंट) बिल, 2012 जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया। डा. संजय हमारे पड़ोसी हैं। उन्होंने काफी विस्तार से इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमैंडमैंट) बिल पर अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि यह जो संशोघन बिल आया है, इसके पीछे प्रयोजन है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस देश में 1934 में एक्ट से इस्टैबलिश हुई, फिर उसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1933 में रीकौन्सटीट्यूट किया गया। इंडियन मेडिकल काउंसिल, 1956 का गठन हुआ। उसके पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य, लक्ष्य था कि इस देश में मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसकी पवित्रता के स्तर को बनाए रखने में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी भूमिका निभाएगा। यह दुर्भाग्य रहा कि वर्ष 2010, जैसा उल्लेख किया गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं कि स्वायतता के नाम पर स्वेच्छाचारिता होने लगी। तमाम मेडिकल कालेजों को एक्रिडेशन इस तरह दिया गया जो नार्म्स भी पूरे नहीं कर रहे थे। जिस पैरामीटर पर मेडिकल कालेज खोलने या सीट बढ़ाने, बिना फैकल्टी या उन तमाम मानकों को पूरा किए बिना कार्य करना पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। यहां तक हुआ कि तत्कालीन चेयरमैन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार हुए। पूरे देश में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के काम पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया कि यह स्वायत्त संस्था है या स्वेच्छाचारिता संस्था है। हम जिससे अपेक्षा करते हैं कि अच्छे मेडिकल कालेज खोलेंगे, उससे इस देश में अच्छे डाक्टर पैदा होंगे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को हैल्थ सैक्टर में अपनी सेवाएं देंगे, दुनिया में जाकर भारत का नाम रोशन करेंगे, उस स्थिति में वह कदम क्यों उठाया गया। उस समय पूरा सदन चाहता था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तत्काल सुपरसीड किया जाए। महामहिम राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप किया और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन हुआ। यह तय हुआ कि दो साल के लिए इसका गठन हुआ है, उसके आगे इसका स्वरूप बनेगा, चाहे ओवरॉल आर्चिंग बॉडी बनाने की बात हो या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की बात हो। जैसे अभी संजय जी ने उल्लेख किया, यह सही है कि नेशनल कमीशन फार ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हैल्थ बिल 22 दिसम्बर, 2011 को दूसरे सदन में आया।

अधिष्ठाता महोदय, अगर दूसरे सदन में कोई बिल आएगा तो वह भी एक सॉवरन सदन है जिसकी चर्चा इस सदन में नहीं करते और इस सदन की चर्चा उस सदन में नहीं करते। अगर उस सदन ने उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जहां वह लंबित है जहां सभी दलों के सदस्य हैं, तो न सरकार स्टैंडिंग कमेटी को डायरैक्टिव दे सकती है कि आप निर्धारित समय में इस बिल को पार्लियामेंट में भेजिए और न राज्य सभा को कह सकती है कि आप उस बिल को पारित कीजिए। अगर वह बिल 15 मई को समाप्त हो

रहा है और 14 मई, 2012 को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का टेन्योर समाप्त हो जाएगा तो आगे क्या स्थिति होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग, चाहे अंडर ग्रेजुएट क्लासेज हों, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज हों, शिक्षा के लिए एक्रिडेशन का सवाल हो, सीट बढ़ाने का सवाल हो, नार्म्स का सवाल हो, तो कौन सी बॉडी काम करेगी।

जब हम आज चार तारीख को खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि बिल लाना, केवल एक वर्ष के समय की मांग करके आये हैं, तो मैं समझता हूं कि यह बिल उतना ही मासूम है जितना मंत्री जी मासूम हैं। इस बिल पर इतनी बहस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री जी ने इस बिल पर बहुत विस्तार से बातें कही हैं। मैं भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने लगातार कहा कि वर्ष 2005 में प्रोफेसर की ऐज 70 वर्ष बढ़ायी गयी, उस पर माननीय मंत्री जी अपना श्रेय ले रहे हैं या उसके बाद वर्ष 2008 में जो फैसले किये गये, लेबोरेटरीज कम की गयीं, रिलेक्स किया गया, चाहे मेडिकल कालेज खोलने के लिए 35 एकड़ से 20 एकड़ किया गया, शहरों में 10 एकड़ किया गया। निश्चित तौर से कल जो एक कल्पना थी कि कहीं मेडिकल कालेज नहीं खुल सकता, तो आज एक बात यह है कि कम से कम इससे यह स्थिति हो गयी है कि हम उत्तर प्रदेश में बचपन से वहां केवल पांच-छः मेडिकल कालेज देखते आये थे, आज लगभग 50 मेडिकल कालेज हो रहे हैं। यह किसकी देन है। अगर मंत्री जी इस पर कहते हैं कि मैंने किया, तो कोई मंत्री जब मैं कहता है, तो मैं से तात्पर्य उसकी सरकार से होता है और यह काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए निश्चित तौर से सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि आज मेडिकल कालेज खुल रहे हैं और एक-एक साल में छः हजार सीटें बढ़ रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में भी सीटें बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हमारे पास फैकल्टीज भी नहीं थी। एमबीबीएस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट की फैकल्टीज होनी चाहिए। जिस तरह से मेडिकल कालेज खुल रहे थे, जिस तरह से यहां के डाक्टर्स बाहर जा रहे थे, उन कठिनाइयों को लेकर स्वाभाविक रूप से आज किया गया है। वह वर्ष 2005, 2008, 2009 और 2010 के फैसले को सिलसिलेवार गिना रहे हैं और आप उसे असत्य बोल रहे हैं, गलतबयानी कर रहे हैं। अगर आपने वर्ष 2005 के पहले वर्ष 2004 तक का कोई उल्लेख किया होता, तब मैं कहता कि आप सही बोल रहे हैं और मंत्री जी की गलतबयानी है। लेकिन वर्ष 2005 से 2012 तक जो भी किया गया, वह कांग्रेस, यूपीए सरकार ने किया, चाहे वह यूपीए वन हो या यूपीए टू हो। स्वाभाविक है कि आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि एक ऐसी स्थिति ...(व्यवधान)

**डॉ. संजय जायसवाल :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ...(व्यवधान)

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Pal is submitting.

*(Interruptions)* … [*]

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं उन्हें प्यार कर रहा हूं। …(व्यवधान) मैं उन पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। …(व्यवधान) मैं इस पार्टी में हूं। …(व्यवधान) स्वाभाविक है कि आप प्रतिपक्ष में बैठकर हमारी सरकार की आलोचना कर सकते हैं। हमारे एक वरिष्ठ मंत्री, जिन्होंने सरकार के रूप में काम किया है …(व्यवधान) आप असत्य बोलने की बात कर सकते हैं, गलत बयानी की बात कर सकते हैं। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: No cross-talks please.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. Please do not disturb. When you spoke, no one disturbed you. Mr. Pal, you may continue please.

*(Interruptions)* … *

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं समझता हूं कि …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please do not disturb him. Please stop that cross-talk.

… (*Interruptions*)

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं उनको धन्यवाद दूंगा। मैं बिल पर बोल रहा हूं। मैं बिल से बाहर कोई बात नहीं कह रहा हूं।

अधिष्ठाता महोदय, आप बहुत विद्वान आदमी हैं। आप जानते हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूं, सब बिल से संबंधित बातें हैं। …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what Shri Pal is saying.

*(Interruptions)* …*

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं उस प्रपोज्ड बिल की बात कर रहा हूं, जो नैशनल कमीशन फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हैल्थ जो वर्ष 2011 में 22 दिसम्बर को पेश हुआ है। इसे मैं केवल चार लाइन मे कह दूंगा। मैं समझता हूं कि शायद जिस दिन यह बिल पारित हो जायेगा, आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, आयुष काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हों या किसी भी पैरामेडिकल कालेज या पैरामेडिकल सर्विसेज की बात कर रहे हों, मैं समझता हूं कि उसका जो एक ऑब्जेक्ट है --

---

[*] Not recorded.

"The National Commission for Human Resources for Health Bill 2011 seeks to consolidate the law in certain disciplines of health sector and promote human resources in health sector and provide for mechanism for the determination, maintenance, coordination and regulation of standards of health, education throughout the country to ensure adequate availability of human resources in all States for the said purposes to establish the National Commission for Human Resources for Health to supervise and regulate professional councils in various disciplines of health sector."

यह हमारे इस बिल का उद्देश्य है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Members, please do not disturb him.

**श्री जगदम्बिका पाल :** सदन को हम कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। यह भी कहा गया कि जो बिल आ रहा है, उसमें मेडिकल काउसिंल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें रेगुलेटरी अथारिटी बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एग्जिस्ट किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने प्रपोज्ड बिल को देखा होगा और वह बहुत विद्वान हैं, इसलिए उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इसमें साफ कहा गया है :

"The present NCHRH Bill proposed to establish a mechanism to determine and regulate the standard of health care and medical education in the country. It would also repeal the Indian Medical Council Act, 1956…"

यह इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को रिपील करता है।

"…The Dentist Act 1948, the Indian Nursing Council Act, 1947 and the Pharmacy Act 1948 by taking Medical Council of India, Dental Council of India, Nursing Council of India and the Pharmacy Council of India under the umbrella of NCHRH."

इसमें कहां कोई दुविधा है, इसमें कहां भ्रम की स्थिति है? साफ-साफ है कि जो बिल प्रपोज्ड है कि चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट हो, एमसीआई हो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया आदि इन सभी को मिलाकर एक आर्चिंग बॉडी बनाई जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका पुरजोर ढंग से समर्थन करना चाहिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not disturb.

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैंने आपकी बात बहुत गौर से सुनी है। ...(व्यवधान)

**डॉ. ज्योति मिर्धा (नागौर):** जब आप बिल को डिटेल में देखेंगे, तब समझ में आएगा कि पुराने एमसीआई और नए एक्ट में क्या फर्क है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please address the Chair.

**श्री जगदम्बिका पाल :** अगर इसको एक साल के लिए ला रहे हैं, अगर एक साल में यह बिल पारित नहीं हुआ, अभी स्थायी समिति के सामने लम्बित है, फिर राज्य सभा में जाएगा। आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए एक साल का समय मांग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक साल में यह बिल पारित हो जाए, इसलिए आप यह क्यों नहीं कहते कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स रहेंगे जब तक कि वह बिल पारित न हो जाए। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी बदलाव होना चाहिए। दो साल का टर्म रख दीजिए।...(व्यवधान)

**डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम):** दो साल हो चुके हैं, आप क्या बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Mr. Pal, please address the Chair. No cross-talks in between.

**श्री जगदम्बिका पाल :** मैं कहना चाहता हूं कि पूरा सदन सर्वसम्मति से, केवल एक साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को और वह भी बाध्यता है, मजबूरी है इसलिए कि वह जो बिल आलरेडी प्रपोज्ड है, ओवरआल आर्चिंग रेगुलेटरी अथारिटी के लिए, वह हेल्थ की स्टैंडिंग कमेटी के सामने लम्बित है। हम उम्मीद करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी वहां से आएगा, राज्स सभा एवं लोक सभा से पारित होकर वह एक्ट बनेगा और आने वाले दिनों में देश में चाहे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया हो, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया हो, वे सब एक अंब्रेला के नीचे आएंगे, एक ऐसी बॉडी होगी जिसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, हमारी मेडिकल एजुकेशन में एक क्वालिटेटिव सुधार होगा, इसकी गुणवत्ता विश्वस्तरीय होगी, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सभी से अपील करता हूं कि इसका पुरजोर समर्थन करें।

MR. CHAIRMAN: Mr. Shailendra Kumar, please be brief. I would also request the hon. Members not to disturb him.

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** आपने मुझे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

यह बिल भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 का संशोधन करने वाला है। 14 मई, 2010 का ऑर्डिनेंस जारी हुआ था सेक्शन 3ए2 के तहत और यह कहा गया था कि एक वर्ष के भीतर नया चुनाव कराकर रिकांस्टीट्यूट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वर्ष 2011 में एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि यह बिल पार्लियामेंट में भी आया था। जैसा अभी सम्मानित सदस्यों ने एनसीएचआरएच, जो एक ओवरआर्चिंग बॉडी होगी, उसे बनाया गया है। एक वर्ष समय बढ़ाया गया, वह भी समाप्त हो गया है। आपको याद होगा कि अभी जब पांच राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, उसकी वजह से थोड़ा विलंब हुआ। उसकी वजह से थोड़ा सा विलम्ब हुआ और आर्डिनेंस नहीं ला सके। राज्य सभा का आपने हवाला दिया और इधर लोक सभा का भी हवाला दे रहे हैं। एक लोकतांत्रिक बॉडी पर, एमसीआई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो सीबीआई ने छापे मारे और कुछ लोग जेल भी गए। दूसरी ओर आपने भी देखा होगा कि नर्सिंग कौंसिल आफ इंडिया और डेंटल कौंसिल आफ इंडिया में भी भ्रष्टाचार के मसले सामने आए तथा कुछ लोग पकड़े भी गए। लेकिन मंत्री जी ने उन्हें टच तक नहीं किया और दूसरी बॉडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी पार्टी की सरकार थी, तो हमने चार मेडिकल कॉलेज खोले थे। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे मंत्री जी, यह हमारे और तुम्हारे मंत्री जी की बात नहीं है, बात हो रही है कि किस प्रकार से देश में मेडिकल कालेज खुलें और लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिले।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पुरजोर मांग करना चाहूंगा कि जो यहां एक वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाने की बात हो रही है, उसे घटाकर आप छः महीने कर दें और छः महीने के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराएं, तब यह अपने अस्तित्व में आएगी। इस बिल का संजय जी ने जबर्दस्त विरोध किया, लेकिन बाद में समर्थन भी कर दिया। इधर के माननीय सदस्य ने समर्थन किया, लेकिन हमारी स्थिति बीच वाली है। न तो हम पूरा विरोध कर सकते हैं और न ही समर्थन। लेकिन मंत्री जी से मेरी मांग है, हम उनका बड़ा आदर करते हैं और नेता जी से भी बात हुई है, कि आप एक वर्ष नहीं, छः महीने का समय बढ़ा दें और तुरंत चुनाव कराएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री धनंजय सिंह (जौनपुर):** सभापति जी, आपकी अनुमति से मैं इस जगह से बोलना चाहता हूं। हालांकि यह एक छोटा सा बिल है और इसके द्वारा आप कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहे कुछ भी कहें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप बहुमत में हैं और समय बढ़वा लेंगे, सिर्फ 51-49 का खेल है इसलिए हमारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं आईएमसी के कार्यकलाप के बारे में कुछ बिंदुओं पर जरूर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संजय जी, जगदम्बिका पाल जी और शैलेन्द्र जी ने भी एमसीआई की फंक्शनिंग पर अपने विचार यहां व्यक्त किए हैं। आईएमसी में 1991 से अनियमितताएं हो रही थीं, उस पर सदन में कई बार सवाल भी उठाए गए। मैं जब 2009 में लोक सभा में आया तो मैंने भी अपनी पहली स्पीच के समय आईएमसी के कार्यकलाप पर सवाल उठाए थे। हमने कहा था कि एमसीआई खासकर उत्तर भारत में मेडिकल कालेजेज़ को कम मान्यता देती है, नम्बर आप सीट्स चाहे पीजी की है या उसे बढ़ाने की बात है, उसे नजरअंदाज करती है और दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा मेडिकल कालेजेज़ को मान्यता दी जाती है और उधर के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। यह बात पहले भी कई बार आई। यह बात हमने इसलिए कही थी कि 2009 में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में पांच मेडिकर कालेजेज़ बनकर खड़े थे। एमसीआई से एनओसी नहीं मिलने की वजह से वे कालेज नहीं चल पा रहे थे।

एमसीआई को मंत्री जी ने समाप्त करके बीओजी बॉडी बना दी। मैं कहता हूं कि आपने बीओजी बनाई, ठीक है, लेकिन उसे आप क्लेरिकल इन्क्वायरी तक ही सीमित रखते। जहां तक सीट्स बढ़ाने की बात थी या नए कालेजेज़ को मान्यता देने की बात थी तो मंत्रालय ने क्यों नहीं इसे अपने पास रखने का काम किया। एक बीओजी बना दिया, सात-आठ लोगों की एक बॉडी बना दी, वे सारी चीजों को तय कर रहे हैं और एक इलेक्टोरेल बॉडी को भंग कर दिया। एक भू.पू. चेयरमैन चाहे वह कितने ही भ्रष्ट रहे हों, उन्हें जेल जाना पड़ा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा यह पक्ष है कि कोई भी इलेक्टोरेल बॉडी नामित बॉडी से हमेशा प्रभावशाली रहेगी। एमसीआई की जो इलेक्टोरेल बॉडी थी, उसमें पूरे देश से, प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि चुनकर आते थे और अपने राज्य के हित की बात किया करते थे। अभी माननीय मंत्री जी ने डीओजी की ट्रांसपेरेंसी की बात की। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ट्रांसपेरेंसी की ओर जरूर दिलाना चाहूंगा। दो-तीन प्रकरण हमारे संज्ञान में आये और मैंने भी कई पत्र डीओजी को लिखकर जवाब मांगे थे जिसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी बरती नहीं गयी और जवाब को या तो गोल-मोल तरीके से दिया गया यानी हमारा सवाल कुछ है उत्तर कुछ दे रहे हैं।

मैं आपका ध्यान तीन चीजों की ओर दिलाना चाहूंगा। एक तो इन्होंने मैडीकल कॉलिज में सीटें बढ़ाने का काम किया। जिन मैडीकल कॉलिज की आपने सीटें बढ़ाई हैं क्या उसमें जो मानक आपने

निर्धारित किये थे उनका पालन किया गया? जिन मैडीकल कॉलेजेज को आपने रिजेक्ट किया है क्या उसके मानक उसके अनुरूप नहीं थे, इसका जवाब हमें नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। आप कहें तो मैं कॉलेज के नाम भी बता दूं। एक तो आईपीआर का संजय जी ने जिक्र किया। इस पर वैस्ट बंगाल की सरकार ने काफी अपोज किया और उसके हस्तक्षेप करने के बाद क्योंकि वहां पर डेंटल कॉलेज चल रहा था मैडीकल कॉलेज की मान्यता दे दी गयी। जब ज्वाइंट इंस्पेक्शन हुआ एमसीआई, डीसीआई का तो फिर उसकी मान्यता निरस्त की गयी। एक तरफ आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं दूसरी तरफ डेंटल कॉलेज को उन्हीं सारे इक्विपमेंट्स पर मैडीकल कॉलेज की मान्यता दे रहे हैं। जिस डीओजी की ट्रांसपेरेंसी की बात आप कर रहे हैं, वर्ष 2011-2012 की डीओजी आपने बनाई, उसी डीओजी ने मान्यता दी है। आपने वर्ष 2010-2011 की डीओजी को एक वर्ष के कार्यकाल के बाद बदल दिया, क्या उसकी कोई वजह थी, क्या उसकी फंक्शनिंग खराब थी। अब आप 2011-2012 को ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि अगर कुछ चीजों को गलत उन्होंने की हैं तो क्या उनका कार्यकाल बढ़ाने जा रहे हैं या उसे समाप्त करके नयी डीओजी बनाएंगे या कुछ आपने मानक निर्धारित किये हैं कि प्रत्येक वर्ष आप नयी डीओजी बनाएंगे।

एक बात माननीय संजय जी ने और माननीय शैलेन्द्र जी ने भी कही कि डीओजी जब भी आप बना रहे हैं, ठीक है आप 6 महीने की पास करा लेंगे। मैं भी यही चाहता हूं कि 3 महीने, 6 महीने जितना जल्दी इसका निस्तारण किया जाए, उतना अच्छा है। जो नयी डीओजी आप बनाएंगे, कम से कम जो बड़े प्रदेश हैं वहां के प्रतिनिधि के क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखते हुए डीओजी बनाएंगे। सिर्फ मैट्रो सिटीज से आप चयन कर लेते हैं, यह मुझे उचित नहीं लगता है।

मेरा एक आग्रह है कि जो नयी डीओजी बने, उसे मंत्रालय सीटों की संख्या बढ़ाने और नये कॉलिज की मान्यता के लिए अपने अधीन रखे। मुझे लगता है कि तब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी। हम ज्यादा सवाल आपसे सदन के अंदर कर सकेंगे और सारे सदस्य मेरी बात से सहमत होंगे। क्यों आप अपने अधीन नहीं लेना चाहते हैं क्यों आप डीओजी को दे रहे हैं? आप 7 डाक्टरों को दे रहे हैं आप खुद क्यों नहीं लेते, क्या आप खुद रिस्पोन्सिबल नहीं हैं, क्या मंत्रालय रिस्पोन्सिबल नहीं है।

एक ओवर-आर्चिंग बॉडी की बात चल रही है। उसके अंदर जितनी भी कौंसिल्स हैं, उन्हें आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, अगर समाप्त करने का इरादा हो तो बताइये। अगर इस सदन में हम गलती कर देंगे तो क्या इस सदन को ही समाप्त कर दिया जाएगा। यह तरीका गलत है। एमसीआई को इलेक्टोरल बॉडी के रूप में पुनः जितना जल्दी हो सके, चुनाव कराकर जिंदा किया जाना चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। सदन के हमारे सभी सदस्य भी इस बात

से सहमत होंगे और जिन लोगों ने अपनी बात रखी है उन्होंने भी कहा है कि एमसीआई को इलेक्टोरल बॉडी के रूप में तुरंत स्थापित किया जाए।

अभी सीबीआई ने एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की थी जिसमें कई मैडीकल कॉलेजेज को मानकों के अनुरूप नहीं पाया था, उसके बावजूद इसी डीओजी ने सीटें वहां बढ़ा दी। जहां सीबीआई की नकारात्मक रिपोर्ट के बावजूद भी जो प्रथम-दृष्टया उनकी एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद भी इन लोगों ने वहां पर सीटें बढ़ाने का काम किया है। इंडेक्स मैडीकल कॉलेजेज, केपीसी आदि। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पंक्ति कही थी कि कोई संस्था खराब नहीं होती है, यदि निरंतर व्यवस्थाओं का परिमार्जन नहीं किया गया, एक दिन व्यवस्थाएं तो टूटेंगी, साथ-साथ देश और धर्म दोनों को तोड़ेंगी। यह मैं आपसे कहता हूं कि कोई संस्था या व्यवस्था खराब नहीं होती है। हम समय-समय पर चेक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से संस्थाएं सुदृढ़ रूप से काम करेंगी। अगर हम उन्हें लापरवाही और गलत काम करने का मौका देंगे तो संस्थाएं खराब होती जाएंगी और हम यहां बैठकर एक नयी संस्था बना दें तो इससे समाधान नहीं होने वाला है। मेरी पुनः आपके माध्यम से सभापति जी मांग है कि तीन महीने के अंदर नयी एमसीआई का चुनाव कराएं और जो भी इलेक्टोरल बॉडी आये उसे काम करने दें और कोई ओवर-आर्चिंग बॉडी न बनाएं। आप स्वंय ओवर-आर्चिंग के रूप में काम करिये। आप जो 21 लोगों की ओवर-आर्चिंग बॉडी बनाने जा रहे हैं उसके ऊपर कौन नजर रखेगा।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go in record.

*(Interruptions) ...* *

---

* Not recorded.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Mr. Chairman, Sir, I thank you very much for allowing me to participate in the discussion on this important Bill. I will not take much time and I will try to finish it in five minutes.

Sir, the Medical Council of India is envisaged primarily as a recommendatory body. Its one of the objectives is for maintenance of standard in medical education through the curriculum guidelines, inspections and permissions to start colleges, courses or increasing number of seats. The Government has rightly decided to extend the tenure by bringing this amendment.

The country now needs more than 100 medical colleges to fulfill the requirement of doctors. Many medical colleges in the country are facing acute shortage of faculty. I must thank this Government for having realized the importance to implement the various recommendations made in the past on the need for reforms in the regulation of medical education in the country.

Many medical professionals in the country had expressed their views that the Medical Council of India has become a non-representative body with a gross disparity in the representation of members from various States. What is more is that there are sections of the medical fraternity like the Army, the Indian Council of Medical Research that are under represented. Moreover, in the MCI, there has to be uniformity in the representation of States. The new system would put an end to the overarching, extra-constitutional authority resting in the national policing body and courtesy which doctors enjoyed prolonged tenures, with members serving even their fourth or fifth term.

I would like to state that the term of members should be fixed for not more than two times and each term should be of four years. Similarly, a provision of removal of the President, as in the case of other important posts, has to be brought in. The Members of both the Houses of Parliament should also be considered for the ex-officio posts. This will help to make the MCI more effective.

Sir, today, health and education are the two sectors which are growing in a rapid manner keeping in view the hefty return involved in these two new fond segments.

Today, in every nook and corner of the country, we can see hospitals in the private sector sponsored by leading hospital chains as well as the medium and small business groups. It is really a welcome step. I appreciate that by way of these hospitals we can certainly bring the pressure on the Government hospitals down. But at the same time, what I am surprised is that there are no regulatory bodies to keep a control on these hospitals working in the private sector. That is why, Sir, I am demanding for a regulatory body to keep an eye on these hospitals in the private sector.

There should be something to take note of the reasons for large-scale casualties in the private hospitals. There should be some analyzing method to ascertain why such large-scale casualties are taking place in the private hospitals. There should be some stipulation about the recruitment of doctors and other paramedical staff in the private hospitals. There should also be some conditions of pay and allowances to doctors and employees working in the private hospitals. Why I am telling this is that unless you have qualified doctors with experience and staff with relevant educational qualification and experience they cannot deliver the goods. We cannot allow this rising unwanted casualties in the private hospitals. There should also be some stricture on the charges that these private hospitals are charging from the patients. I hope that the hon. Minister will take note of it and come with necessary action in this regard.

I would like to bring another most important thing, which I consider very much relevant, to the notice of the Government. According to a Report, health expenditure at nearly five per cent of GDP is not enough considering the health problems that the country is facing. Health sector is largely financed by the private sector. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to put all his efforts to enhance the GDP on the health sector keeping in view its demand as the hon.

Minister is well aware that the chronic diseases like heart disease, cancer, diabetics and kidney-related diseases are on the rise as well as vector-borne diseases like dengue, malaria, chikungunya, etc. all over the country. To fight both the chronic and vector-borne diseases we need huge financial resources.

At the end, I would like to stress here that the Medical Council of India should not limit to merely enrolling doctors, etc. It should widen its jurisdiction for ensuring the functioning of the hospitals in the private sector which has become money minting concrete structure and a killing place. The health sector has become so attractive that even the people who have nothing to do with the health sector have joined to establish hospitals with a sole objective of making quicker money at the cost of precious life of our innocent people. So, it is very essential and necessary to set up a regulatory body to oversee the functioning of the private hospitals in the country. Therefore, I would urge upon the hon. Minister to put a special attention on it.

With these words, I conclude and support the Bill.

**15.00 hrs.**

**श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा):** सभापति महोदय, आपने मुझे इंडियन मेडिकल काउंसिल (अमेंडमेंट) बिल, 2012 पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमें भरोसा है कि माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग आपकी सराहना भी करते हैं। लेकिन

**15.0 ½ hrs.**

(Shri Satpal Maharaj *in the Chair*)

मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि बार बार लिखो और फेंको, एक साल हुआ, इसको बेच दो और फिर उस संस्था को पुनर्स्थापित कर दो। हम चाहते हैं कि आपकी जो गवर्निंग बॉडी है जो डॉक्टर्स के द्वारा चुना गया निकाय था, उसे लागू होना चाहिए। यह लोकतंत्र है। लोक तंत्र में एक संवैधानिक संस्था के रूप में मैं चाहता हूं कि एमसीआई को अपनी पूर्वोत्तर अवस्था में ही रहने दिया जाए। एमसीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसके कार्य बहुत ही प्रमुख हैं। जैसे किसी भी चिकित्सक को प्रैक्टिस करने का लाइसेंस देना तथा प्रैक्टिस कानून का सही रूप से पालन नहीं करने की स्थिति में उनके लाइसेंस को निरस्त करने का भी अधिकार है। मेडिकल शिक्षा के मूल्यांकन का भी अधिकार है। ऐसी स्थिति के अंदर मेडिकल डिग्री को एफिलिएशन देने का भी अधिकार है। चिकित्सा के पर्याय एमसीआई में आज निजी मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फर्जी शिक्षकों की भी नियुक्ति हो रही है। यह भी मामला सामने आया है। इससे मेडिकल शिक्षा भी प्रभावित हुई है। इसलिए आज अगर एमसीआई अपनी पूर्वोत्तर अवस्था में होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। एमसीआई में केवल एक अध्यक्ष के घूसखोर होने से पूरी संस्था को भंग कर देना उचित प्रतीत नहीं होता। अध्यक्ष पद का ही फिर से चुनाव होना चाहिए। अभी एक उदाहरण देता हूं। डा. देवी प्रसाद सेठी ने एमसीआई के संचालन मंडल से इस्तीफा दे दिया है जबकि उनके निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। लेकिन एमसीआई से जारी अधिसूचना पर मंत्रालय ने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है और कहा कि मेडिकल शिक्षा राज्यों का अधिकार है। डा. सेठी ने केवल यही तर्क दिया था कि स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा में संयुक्त प्रवेश परीक्षा एक साथ हो, यह एक अच्छा कदम था। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका अनुमोदन किया था। यह दर्शाया है कि एमसीआई के संचालक मंडल में भी असंतोष है, दरार है। इस संचालक को बदले जाने की जरुरत है। एमसीआई का काम आधुनिक मेडिकल शिक्षा को और अत्याधुनिक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।

एक बात औऱ मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में अभी तक एम्स शुरु नहीं हुआ है जबकि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 2012 तक इसको चालू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जीवन रक्षक दवाइयों पर भी बहुत ज्यादा टैक्स लगाना उचित नहीं है। दुनिया के अधिकांश देशों में जीवन रक्षक दवाइयों पर बहुत ही मामूली टैक्स लगाया जाता है लेकिन इसका पालन अपने देशों में नहीं हो रहा है। इसलिए इस सदन के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं कि सरकार जीवन रक्षक दवाइयों को सस्ता बनाए। मैं यह भी मांग करता हूं सरकार एमसीआई के संचालक मंडल को भंग करे एवं इसके स्थान पर नया संचालक मंडल बनाए क्योंकि वर्तमान के संचालक मंडल में काफी विरोधावास है। मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि आपने जो बनाया है, इसको एक साल के लिए नहीं बल्कि शैलेन्द्र जी ने इस चर्चा में भाग लिया और कहा कि 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया जाए। मैं भी आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि 6 महीने के लिए आप इसको बनाइए और फिर से डॉक्टरों के बीच में चुनाव कराकर इसको मजबूत करिए।

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR (BARASAT): It is the best of times. It is the worst of times. I am not quoting the situation of London and France during the French Revolution. I am trying to point out that today in our country it is the best of times for the moneyed rich man who has the private hospital to attend to and it is the worst of times for the common men, the village people, the rural people, who have to attend to the public sector hospitals, that is, the Government hospitals. Most of the villages do not have these Subsidiary Health Centres, the Primary Health Centres. The teaching faculty and their teaching in the medical colleges have come to a nadir.

Way back in 1956 our forefathers forethought about this situation and they had formulated the Indian Medical Council Act of 1956. In that, the definition of medicine was given as modern scientific medicine in all its branches, including surgery, obstetrics but not veterinary surgery. But today we find that Ayurveda and Homeopathy are being brought forward. Ours is a democracy. Every person has the right to choose what he wants for himself or for his family but we cannot force it; and we cannot force people to attend to these different branches of the so called medicine. We are violating the Medical Council Act of 1956 by including and by coercing and forcing patients to attend to such clinics.

Secondly, about the constitution and the composition of the Council, in 1956 it was said that one member from each State other than a Union Territory would be nominated by the Central Government in consultation with the State Government. Second, one member from each university was to be elected amongst the members of the medical faculty. Three, one member from each State in which State Medical Register is maintained was to be elected by the members. Four, seven members were to be elected from amongst themselves from the State Medical Council and eight members were to be nominated by the Central Government.

So, keeping in mind the situation of our country, the democratic and the composite and secular nature, we always prefer for the democratic process of

election. But it is so sorry to see that the Medical Council of India, which was, of course, overruled by the formation of the ordinance in 2010 and once prior to that in 1993, was not functioning in a democratic fashion. It is a shame that the health system in the country is in shambles. We understand that for the past three years, after the UPA-II is here, lot of things have taken place. The ASHAs are working day in and day out. But I am sorry to say that these young girls, who are reaching out to the villages, bringing the pregnant mothers and distributing the Iron Folic Acid tablets, are not getting any permanent pay. They are only depending on the incentives. So, if in a particular area or village, the birth in a particular month is much higher than another one, those girls are getting paid. At the same time the others are not. This type of discrepancy should not be there.

We understand that this Government is doing a lot through the NRHM and I agree, even in my constituency I have seen that Subsidiary Health Centres are being built and institutional delivery is being promoted. But in spite of that, medical subject is a very complicated subject. Whether a person is a wealthy man or a poor man, at one point of time or other, you know in our life we have to go to a doctor. The doctor's subject is a very serious one and we have to take it that these young children, after crossing their +2, when they want to join the medical curriculum, they have to study 17-20 hours a day. When their co-students or colleagues are enjoying life outside, going to see the movies, these young doctors study for 18-20 hours a day. Even after that, they do not get due respect. The Medical Council of India made the greatest mistake in the history of the country by abolishing the house staffship. It was the house staffs, who do most of the work in hospitals.

We see that the there is lack of doctors in major and minor hospitals. We know that our country has one doctor for 1700 patients, when the advanced country like the United States has one doctor for approximately 900 patients. We are trying to have more colleges and more seats.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

DR. KAKOLI GHOSH DASTIDAR : But, we should be bringing back the housestaffship because lakhs of students, who have just passed and have learnt work in their internship, are trying outside to earn money. So, we have to bring back the housestaffship. We have to look after the needs of the teachers. We have to take care of the ethical points that come within the MCI.

We have to ask this question. How this Board was formed? Who are the Members of this Board? They are not even representing each State. So, the federal structure of this Government was also overlooked. When this Board was formed, the States were not consulted. This Board has no right to function anymore. There was a necessity and that is why this Board was there. But, I disfavour this Bill that is being brought now. The overarching body, which is supposed to be including the pharmacists, the nurses, the dentists and the doctors, is a sham. Each subject in its own right has a place of privilege in society and in medical practice. So, this kind of overarching body is not being accepted.

Even in this very system, in West Bengal, over the period of last 11 months, our hon. Chief Minister, Shrimati Mamata Banerjee has shown as to how healthcare delivery system can be improved with the available facilities. I request you that this overarching body should not be formed and this Board should be abolished as soon as possible. A Medical Council should be formed through democratic elections again.

DR. ANUP KUMAR SAHA (BARDHMAN EAST): Thank you, Chairman, for giving me the chance to speak on the Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012. The sole purpose of Indian Medical Council (Amendment) Act, 2012 is to extend the tenure of the *ad hoc* Board of Governors for another year. Initially, the Act was amended in 2010, then again it was extended for another year in 2011. Now, again it has been put up for extension.

My question is as to why the Government is continuing the *ad hocism* without taking the proper steps to run the Medical Council of India, which is an autonomous and democratically elected body. It is found that Board of Governors is made arbitrarily and members are chosen mainly from Delhi and Mumbai and also from the elite institutes or corporate hospitals. Why was there no representation from Eastern and North-Eastern zone in the last two Boards of Governors? Moreover, most faculties from PGI, Chandigarh and AIIMS are chosen. Though these are centres of excellence, they are not under the purview of the MCI. Then why faculty from those institutions, who are working hard against the odds, who are the actual sufferers and who are working in lack of resources, are not chosen?

The erstwhile MCI was dissolved with the purpose to tackle the corruption and nepotism. But, I know one Professor, who retired from AIIMS on 30th April this year, who has been appointed as a Consultant in MCI on 1st May this year. This is an act of nepotism.

Our aim is to provide affordable and quality healthcare. For this, the practice of medicine should be ethical and there should be prescription of generic medicines. Though there is a rule by MCI to prescribe generic medicines, doctors are not prescribing generic medicines and they are asking for unnecessary investigations for reasons other than medical. How many persons are booked by MCI for this rampant unethical practice? Is this also not an act of corruption when you turn a blind eye to the corruption?

In what way is this Board of Governors better than the erstwhile MCI? A new Bill is coming for constituting an over-arching council. What is the need for this over-arching council? The medical subject is so complex. I do not know how this over-arching council will manage everything. Or, is it a way to give advantage to the corporates so that they can get permission for all types of colleges through a single window.

Actually, health is a State subject and medical education is also of dual responsibility. By forming an over-arching body, there is a chance that the power of the States will be curtailed. This is also an insinuation into the federalism. So, I urge upon the Government to have proper representation from every State regarding the formation of the Medical Council.

I wish that all these things will be taken into consideration and democratic norms in the formation of MCI will be revived. I hope that the hon. Health Minister will amend his flawed policies and improve the healthcare system and medical education system in India.

With this, I oppose the Bill.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, at a time when the Basel-based companies are filing patent cases in Indian courts, when life-saving drugs are going out of the reach of the average Indian, I am not making it sound like us and them, like villagers and us; we are them and they are us. In that sort of a situation, the whole medical profession is in a critical state and needs life-saving care, intensive care to survive in this country. This extremely innocuous Bill, Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, is hardly running into eight or ten lines. The operative part, if you see, says that for the words 'one year', the words 'two years' shall be substituted. That means that there is some sort of an underlying confusion and this confusion is demonstrated in this very Bill and it is this confusion which demonstrates the mindset of this Government. It is a Government that has become a totally non-functioning Government and is incapable of coming up with positive answers to problems that are cropping up in the present day.

It is very unfortunate for the Government that there is no panacea, no medical cure for the illness that has afflicted this Government. It needs immediate intensive care.

MR. CHAIRMAN : Please make it brief.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, do you not want me to speak?

MR. CHAIRMAN: You speak, but you have to be short.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am very short. I would like to be actually six feet and two inches, but I am very short!

Sir, this third extension seems to be a rushed effort. Sometimes, I wonder why this legislation is being brought during this period. In this country, there is a terrible shortage of faculty in medical colleges, and as more and more super-speciality hospitals are being opened all over the country, any efficient doctor or any good doctor that you have heard of, has moved off to or has been hived off by the super-speciality hospital, including those from AIIMS and the private corporate hospitals. Therefore, with such acute shortage of faculty -- which will

increase even further in the days to come -- we have been grappling with the problems of MCI.

I support my very hon. colleague from the BSP; the very hon. colleague from the TMC; and all others who have said that the overarching and going in for another body is in no way going to solve this problem.

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : They have been very justified in saying so. But at the same time and in the same breath, I would also like to assert that I personally do not see that if you make MCI an elected body, then it will solve the problems. You will have groups; you will have power play; and you will have doctors being taken to different places; being fed; being clothed; being made to travel; and then to vote. There also, you will have things happening, which will not be very savoury for this country.

We have had an allegation of corruption against one of the persons who has been thrown out now. But unfortunately, it seems that the Government is half-hearted even in pursuing that allegation of corruption. You have alleged that he is a crook; you have thrown him out; but you have not proven to the country as to how is he a crook. Was he really a crook or was it that he was not listening to your beck and call, and therefore, you have removed him?

Now, I am not standing for any corrupt person in the country.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you know it. Your name itself is Maharaj.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech now as your time is over.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : You know as to who talks sense, and I have always admired your ability …

MR. CHAIRMAN: Thank you very much. Please conclude your speech now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, now we have this crazy thing, which is called AIPMT. What happens is that to take students into the medical colleges, you have this all-India test, and by that what happens is that students from

different parts come to different States. There is no commitment or there is no means that they would like to stay on in that State where they have done their courses. So, when you go simply by merit, you are neglecting certain States who will not be benefited when these students pass-out from the respective colleges where they have studied. To make matters worse, now you are willing to guarantee that this body be given a new lease of life at the behest of the hon. Minister, which this House is bound to say Yes to. We have no choice in it. But then, will the Minister be willing to stand guarantee that by extending the life of this body, it would be a better, cleaner, non-corrupt or let us say simply a lesser evil, which will come into being? Is there any guarantee for this? These are issues that need to be tackled amongst so many others.

For example, in Orissa, we have three Government medical colleges and three private medical colleges.

MR. CHAIRMAN: Please conclude your speech.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, you have enough time. MCI is the sole authority. Unless the Minister has objections, I will withdraw.

Earlier in the day, there was a discussion about who will regulate regulatory bodies and who will look after it if the regulatory body itself gets corrupt? The MCI is a regulatory body and we have seen that if you have appointee Governors, then they tend to become powers onto themselves and become extremely corrupt like so many other organizations and if you have elected bodies and elected people, then there is no guarantee that they would be -- in any which way -- clean.

For example, in Orissa, you have not bothered to give us more seats. We are a State where we need more doctors. We do not need students to come from outside who will go away. This AIPMT, I personally feel should be scrapped immediately.

MR. CHAIRMAN : Please conclude now.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Sir, I am getting countermanding orders. I am always obedient with your wishes.

I would say that this Bill is in bad taste and is poor in conceptualization. It should not have been brought. The way they went in for an Ordinance, the way they are behaving in a knee-jerk manner to go in for one year, two years and so on, this is a very wrong way to govern the country. They are playing with the very lives, the very existence, the very health of the common man of which I am also a member.

We will, of course, support the Bill. We will give the Minister what he wants because I have no choice. I am in the Opposition. Even if I say 'no', you are going to say 'ayes' have it.

But, Sir, I would like to say that this Bill is in bad taste. It is a wrong way to address this problem. It should not be encouraged. This manner of functioning of the Government should be scoffed. I am not going into the North-South divide like one of our very esteemed colleagues made it sound like the North is beheaded and the South is ten-headed. I am not saying it that way. I am saying that keeping the North-South divide in mind, let us be very, very clear that this approach itself is wrong. It needs condemnation. If the Government has to go through this Bill, instead of one year or two years, it should have an extension of six months, and within six months, they should come up with a Bill making it a regularized body. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing else will go on record. Now, I give the floor to Dr. P. Venugopal.

*(Interruptions) ...* *

---

* Not recorded.

DR. P. VENUGOPAL (TIRUVALLUR) : Mr. Chairman, Sir, I rise to present my views on the Indian Medical Council (Amendment) Bill, 2012, on behalf of the AIADMK. This Amendment Bill seeks to extend the tenure of the Board of Governors of the Medical Council of India by one year. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Let him finish.

SHRIMATI MANEKA GANDHI (AONLA): Sir, the hon. Member is not going to say what he wants to say in two minutes. So, let him continue his speech on Monday.

MR. CHAIRMAN: He only wants two minutes to make his speech.

DR. P. VENUGOPAL : Sir, I want ten minutes.

MR. CHAIRMAN: We will continue this discussion on Monday.

DR. P. VENUGOPAL : Sir, this Amendment Bill seeks to extend the tenure of the Board of Governors of the Medical Council of India by one year. I am also reminded of the fact that the Medical Council Act was amended after the MCI was dissolved in 2010 following the arrest of the then President Dr. Ketan Desai by the CBI on corruption charges. Then, the MCI was replaced with a Board which was reconstituted by extending its term through an Ordinance. Though resorting to an Ordinance is not a regular course in a parliamentary system, we can understand the urgency under which the Ordinance was issued. However, the best way of law making in a parliamentary system does not encourage the issue of an Ordinance.

Hon. Chairman, Sir, it is said that after the 2011 Amendment extending the tenure of the Board from one year to two years, the Government initiated a proposal to set up a National Commission for Human Resource for Health as an overarching regulatory body which could include Councils like the MCI and the Dental Council of India in it. The National Commission for Human Resource for Health Bill, 2011 stands referred to the Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.

Mr. Chairman, Sir, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu Dr. J. Jayalalithaa had already written to the hon. Prime Minister objecting the Centre's proposal of setting up a National Commission for Human Resource for Health. This proposed Bill on National Commission for Human Resource for Health undermines the powers of the State Governments which are left with no role to play in policy issues related to manpower planning, curriculum, course design as well as approval of new institutions offering courses in medicine and allied disciplines. The Bill also encroaches upon the powers of the States in the critical area of health, human resources, by creating a new structure which hits at the very root of federalism. I hope the Government will see the reason and will not force the National Commission for Human Resources for Health to the detriments of the interests of the State. The *status quo* with regard to the functioning of the existing national and State Councils may be maintained for ensuring the spirit of federal democracy.

MR. CHAIRMAN: You can continue your speech next time. Now, we will take up Private Members' Bill. Shri Harish Choudhary.

---

**15.30 hrs**

## PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

### Special Economic Development Package for the Desert Regions of the Country

**श्री हरीश चौधरी (बाड़मेर):** सभापति महोदय, पिछली दफा मैंने राजस्थान में क्या स्थिति है, उसके संदर्भ में आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से देश को अवगत कराने की कोशिश की थी।

महोदय, आज मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां जो समस्या है, उसका समाधान क्या हो सकता है? हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। रेगिस्तान में पानी की बहुत किल्लत है और जो पानी है, वह भी पीने योग्य नहीं है। मैंने पहले भी यह बताया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के 90 प्रतिशत गांवों में पेयजल पीने योग्य नहीं है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के लिए नहरों के माध्यम से पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है, उसके लिए केन्द्र सरकार प्राथमिकता से सहयोग करे। हमारा पानी के संरक्षण का पारम्परिक तरीका है। आज पूरी दुनिया इज़राइली मॉडल की चर्चा करती है, लेकिन रेगिस्तान के अंदर टाके के रूप में सौ और दो सौ एमएम की बारिश से पानी का संचय किया जाता है।

**सभापति महोदय :** ड्रिप सिस्टम।

**श्री हरीश चौधरी :** नहीं, टाका एक पक्का पोंड है, उस पोंड का कैचमेंट एरिया भी पक्का किया जाता है। पारम्परिक तौर पर वह गाय के गोबर से लीपा जाता था, आजकल वह सीमेंट से किया जाता है। आने वाले समय में जब वैकल्पिक स्रोत बन जाएंगे, चाहे वह स्थानीय हों या पेयजल के लिए बड़ी स्कीम के माध्यम से जो सोच रहे हैं, लेकिन इन टाकों को कहीं हम भूल न जाएं। आज वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े पैमाने पर हम इसकी एडवोकेसी करते हैं। इसके बारे में प्रचार-प्रसार करते हैं। लेकिन जो समाज पारम्परिक तौर पर इसको एडॉप्ट कर चुका है और आने वाले समय में वे इसको छोड़ न दे और ऐसा कई क्षेत्रों में हो चुका है। रेगिस्तानी इलाके के नहरी क्षेत्र में आज टाके नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को एक बात और बताना चाहता हूं कि इन टाकों में व्यक्तिगत लाभार्थी के टाकें शत-प्रतिशत रेगिस्तान में सफल हो रहे हैं और जो कम्यूनिटी बेस्ड टाकें हैं, वे 90 प्रतिशत तक असफल हैं। आज हम लोग कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस कम्यूनिटी पार्टीसिपेशन का धरातल पर क्या हश्र हो रहा है और क्या हालत हो रही है, यह भी हम लोगों को देखना चाहिए। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र में चार मेजर स्कीम्स चल रही हैं, उसमें केन्द्र सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सहायता मिल रही है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र

सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। पांचवी स्कीम हमारे यहां आईजीएनपीसी गढवा की है। उस डेज़र्ट नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा वहां प्रावधान है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पेयजल पाइप निकालने के लिए हम लोगों की जो मांग है, उस पर गौर करें। गढवा का इलाका पाकिस्तानी बार्डर से बिलकुल सटा हुआ रेगिस्तानी इलाका है और उसके लिए पेयजल योजना के संदर्भ में यह किया जाए।

सभापति महोदय, हम लोगों के रेगिस्तानी इलाके में आगजनी की समस्या बहुत बड़ी है। यहां बैठकर आगजनी की घटना को हम बहुत छोटी मानते हैं। हम लोगों के यहां पक्के आवास बहुत कम हैं और अधिकतर कच्चे झोपड़ें हैं। जब उस झोपड़े में एक दफा आग लग जाती है तो 15 से 20 मिनट में वह पूरा झोपड़ा खत्म हो जाता है, वह आवास पूरा खत्म हो जाता है। उसके अन्दर जितने भी उस किसान के या उस गांव में रहने वाले व्यक्ति की जो भी सामग्री रहती है, वह सब खत्म हो जाती है। इसके साथ-साथ उनके पशु भी ज्यादातर उस आगज़नी में खत्म हो जाते हैं। सिर्फ़ पशु ही नहीं, कई बार उसके घर में कोई बुज़ुर्ग या बच्चे रह जाते हैं तो वे भी मर जाते हैं। तीन दिसम्बर को मेरे लोकसभा क्षेत्र के बायतू चिमंजी ग्राम पंचायत के अंदर आगज़नी की घटना हुई। उस आगज़नी में दो छोटे-छोटे मासूम बच्चे, सात वर्षीय बाली, और चार वर्षीय वीरा की मृत्यु हो गयी। यह केवल साल में एक-दो घटनाएं नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ बाड़मेर जिले के अंदर देखें तो वर्ष 2008-09 में लगभग 625 घटनाएं, वर्ष 2009-10 में लगभग 650, और वर्ष 2010-11 के अंदर 635 घटनाएं हैं। इस तरह एक जिले के अंदर ही आगजनी से इतनी ढानियां जल जाती हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ढानियों का और कच्चे मकानों का जो कम्पेनशेसन देते हैं, उसे बढ़ाएं। पहले वह दस हजार रुपए दिया जाता था। अभी पिछले दिनों ही जनवरी के अंदर उसे दस हजार रुपए से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रुपए किए थे। वह पन्द्रह हजार रुपए बहुत कम है। आज पन्द्रह हजार रुपए की क्या क़ीमत है, वह भी देखनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि उस कम्पेनशेसन को बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपए कर देना चाहिए। केन्द्र सरकार ने आगजनी के कारण होने वाले मृत्यु के लिए एक लाख से बढ़ाकर जो डेढ़ लाख रुपए किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह हम लोगों की बड़े समय से मांग थी। आगज़नी के कारण जिनकी ढानियां जल जाती हैं, उसको तुरन्त ही बीपीएल परिवार में सम्मिलित किया जाए और बीपीएल के परिवारों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे सुविधाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए और उन लोगों को इन्दिरा आवास भी तुरन्त मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, चर्चा के अन्दर यह बहुत छोटी सी बात नजर आती है, पर एक जिले के अन्दर इस तरह की घटनाओं से 625-650 परिवार की एक तरह से जीवन लीला ही समाप्त हो जाती है। वे अपने जीवन को वापस कैसे शुरू करें, इसकी कितनी पीड़ा होती है, यह उन लोगों को ही पता है। मेरा केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि इस पर प्राथमिकता पूर्वक विचार करें।

महोदय, आज रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अगर हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों की शिक्षा के मामले में रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा से तुलना करें तो कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है। इससे भी दुर्भागयपूर्ण पहलू यह है कि रेगिस्तानी इलाके में शिक्षा का स्तर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। आज केन्द्र सरकार शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि योजनाएं बनाती है, पर मुझे बड़े दुःखी मन से कहना पड़ता है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर के अन्दर वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 के अन्दर डेढ़ प्रतिशत साक्षरता दर कम हुई है। महिलाओं की शिक्षा के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में महिला साक्षरता दर 2.45 प्रतिशत कम हुई है। आज हम लोग साक्षरता पर बहुत चर्चा करते हैं और इसका प्रचार-प्रसार करते हैं, पर धरातल पर जब पिछड़े हुए इलाके की स्थिति देखते हैं तो यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि आज हम शिक्षा नीति के अंतर्गत नामांकन के लिए अंधे होकर दौड़ रहे हैं। अगर आज ग्रामीण परिवेश के किसी विद्यार्थी को गुणवत्ता की शिक्षा नहीं मिलेगी तो रोजगार सृजन के लिए वह शिक्षा किस काम आएगी? इससे आने वाले समय में देश के लिए एक अलग समस्या हो जाएगी। आज जो शिक्षित नवयुवक हैं, अगर इनके रोजगार को हम इंश्योर नहीं कर रहे हैं तो उनकी समस्या अलग हो जाएगी। आज जो नक्सलवाद की समस्या है जिसकी हम पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा कर रहे हैं, अगर हम अपने युवकों को आधी-अधूरी शिक्षा देंगे तो वह बहुत खतरनाक है।

महोदय, हम लोगों ने अपनी शिक्षा नीति के अंतर्गत आठवीं कक्षा तक परीक्षा को समाप्त कर दिया है। आज हमारे ग्रामीण परिवेश के अंदर अगर पढ़ने के लिए कोई एकमात्र राइडर है तो वह परीक्षा है। घर वाले कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई करो, परीक्षा आ गयी। इसके लिए बच्चे परीक्षा में अच्छा करने के लिए ज्यादा पढ़ाई करते हैं और शिक्षक भी इसके लिए कोशिश करते हैं। परीक्षा एक राइडर है जिसके कारण ग्रामीण परिवेश के बच्चे पढ़ते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी शिक्षा नीति के अन्दर आठवीं कक्षा तक वह राइडर भी हटा दिया गया। आज ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की क्या स्थिति है, वह बहुत अलग है। आज रेगिस्तानी इलाकों में कोई शिक्षक जाना नहीं चाहता है। उसकी पोस्टिंग की अंतिम प्राथमिकता रेगिस्तानी इलाके की होती है। अगर पोस्टिंग हो भी जाती है तो उस स्कूल में जाकर पढ़ाने की उसकी रूचि बहुत कम होती है। अगर वहां हम परीक्षा को हटा देते हैं तो क्या हम रेगिस्तानी इलाके के उन युवकों और विद्यार्थियों को

आने वाले समय में कॉरपोरेट और पब्लिक स्कूल से कम्पीट करने के लिए सक्षम बना रहे हैं? यह भी हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, और मॉडल स्कूलों के लिए केन्द्र सरकार जो प्रावधान रखती है, उसके तहत रेगिस्तानी इलाके में एक जिले में एक ही नवोदय विद्यालय होता है। रेगिस्तानी इलाके के लिए एक ही जगह उसकी संख्या बढ़ाई जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय, मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर इस वर्ष दो केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किए हैं। आने वाले समय में रेगिस्तानी इलाके के अंदर केन्द्रीय विद्यालयों की भी ज्यादा से ज्यादा संख्या हो। मॉडल स्कूल, जो प्रत्येक ब्लॉक पर एक है, रेगिस्तानी इलाके के अंदर बहुत लम्बी दूरी से बच्चा पढ़ने के लिए आता है। वहां एक-एक गांव 80-80 किलोमीटर का है। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर रामगढ़ ग्राम पंचायत हैं, वह एक ग्राम पंचायत 80 किलोमीटर है। कई राज्य होंगे, जो 80 किलोमीटर के अंदर हैं और एक ग्राम पंचायत 80 किलोमीटर के अंदर है। आने वाले के समय के अंदर अच्छी गुणवंता की शिक्षा रेगिस्तानी इलाके के ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी को कैसे मिले, यह हम लोगों के सामने चुनौती है। वह स्कील डेवेलपमेंट भी होना चाहिए। अगर दसवीं, 12वीं पढ़ा कर हम लोग उन बच्चों का रोजगार का सृजन नहीं कर सकते और दो हिन्दुस्तान की चर्चा की हम बात करते हैं, दूसरा हिन्दुस्तान क्या है, वह रेगिस्तान में आकर देखिए। आज जो सब चीजों से वंचित है, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा आदि चीजों से भी वह वंचित है।

बिजली के संदर्भ में मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर सबसे ज्यादा अगर कार्य हुआ है तो वह रेगिस्तानी इलाके के अंदर और विशेषकर बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है। दो सौ करोड़ रुपए राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर बाड़मेर जिले में खर्च हुआ है, परन्तु सिर्फ पच्चास प्रतिशत बीपीएल परिवार हैं, उन दो सौ करोड़ के अंदर बिजली से जुड़ पाए हैं, पच्चास प्रतिशत आज भी नहीं जुड़ पाए। बाकी दूसरी जगह गांव साथ में बसा है, जितने भी लोग वहां रहते हैं, वे एक गांव में रहते हैं। हम लोगों के रेगिस्तानी इलाके के अंदर सब खेतों में रहते हैं। खेतों में रहने के कारण बिजली को उन तक पहुंचाने का जो खर्चा है, वह बहुत ज्यादा हो जाता है।

इसलिए आपसे यही निवेदन है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर, या तो इसी के अंदर हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए या अन्य दूसरे चरण के अंदर ऐसी कोई योजना स्वीकृत की जाए, जिससे रेगिस्तानी इलाके के अंदर रहने वाले ग्रामीण लोगों को भी बिजली मिल सके। बड़े-बड़े कार्पोरेट्स के पास जेनरेटर एवं इनवर्टर्स हैं, परन्तु उस गांव के गरीब के लिए पांच-छ: घंटे जो बिजली आती है, उनकी जो मिनिमम जरूरते हैं, वह उन्हें पांच-छः घंटे में पूरी कर सकता है। वह रोशनी भी उन लोगों को दिखाई, यह

हम सब लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। सड़क के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत काम हुआ है। रेगिस्तानी इलाके के अंदर ढाई सौ की संख्या के अंदर हम लोगों ने पैमाना रखा है। पहले राजस्व गांव के समय पैमाना था. अब उस राजस्व गांव की जगह हैबिटेशन के कलस्टर का पैमाना रखा गया है। वह हैबिटेशन का कलस्टर भी उस राजस्व गांव के अंदर इतना नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना से रेगिस्तानी इलाके को ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा हो। रेलवे क्रॉसिंग के भी हम लोगों ने जो पैमाने रखे हैं, 40-40 किलोमीटर तक रेलवे क्रॉसिंग नहीं है। वह गरीब आदमी, जिसके पास संसाधन नहीं हैं, रेलवे क्रॉसिंग न होने के कारण 40-50 किलोमीटर दूर उसे किसी कस्बे में या कहीं अन्य जगह किसी काम के लिए जाना पड़ता है तो वह कैसे जाए। उसके साथ न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इसका फैसला सदन ही करे।

आज नॉर्थ-ईस्टर्न रीजनल रेल डेवेलपमेंट फंड के नाम पर पर्वतीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देना चाहता हूं, परन्तु इसी प्रकार की योजनाएं रेगिस्तानी इलाके के अंदर भी होनी चाहिए। अगर रेलवे नेटवर्क रेगिस्तानी इलाके के अंदर बढ़ेगा तो हम लोगों के यहां भी उससे फायदा होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, कांडला, जैसलमेर आज बीकानेर से जुड़ चुका है, .ये पूरा रेगिस्तानी इलाका अगर समुन्द्र तट से जुड़ेगा तो वहां इकोनोमी एक्टीविटीज़ बहुत होंगी और हम लोगों को रोजगार के बहुत ज्यादा अवसर भी मिलेंगे।...(व्यवधान) स्टॉर्ट प्रश्न 262, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 का जो था, उसके अंदर केन्द्र सरकार ने बताया कि लगभग तीस स्टेट और युनियन टेरेटरी के अंदर एपीएल परिवार को 15 किलो पर-फैमिली पर-मंथ अनाज दिया जाता है और जो नॉर्थ-ईस्ट स्टेट है, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड है, इनके अंदर, आपके खुद के स्टेट के अंदर 35 किलो दिया जाता है। रेगिस्तान के अंदर अनाज की बहुत ज्यादा कमी है। वहां के लोग बहुत गरीब हैं, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि 35 किलो हम लोगों को भी मिले। आज आप खुद भी राजस्थानी रंग में रंगे हुए हो। आपकी पगड़ी भी रेगिस्तानी है।

आज हमारी खुशकिस्मती है कि हैल्थ मिनिस्टर यहां मौजूद हैं। हैल्थ के अंदर रेगिस्तान की स्थिति बहुत खराब है। मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं।

**सभापति महोदय :** मंत्री जी, जरा सुन लें, माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं। मंत्री जी सुन रहे हैं, बोलिये।

**श्री हरीश चौधरी :** मैं हैल्थ मिनिस्टर साहब से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोगों के वहां रेगिस्तान के अन्दर ज्यादातर बीमारियां मलेरिया की हैं, पथरी की हैं, सांस की हैं और आंखों की हैं। मलेरिया में 1994 के अन्दर भी सैंकड़ों मौतें रेगिस्तानी इलाकों के अन्दर हुईं। आजकल मलेरिया के लिए हम लोग जो फंड दे रहे हैं, उसका यूटीलाइजेशन पूरे रेगिस्तानी इलाके में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी तरफ भी

देखें। आज जो भी हम लोगों ने स्वास्थ्य के अन्दर सुविधाओं के पैमाने बना रखे हैं, वे जनसंख्या के आधार पर बना रखे हैं। अगर जनसंख्या के आधार पर ही वे पैमाने रहे...(व्यवधान) मैं इसका इन्तजार कर रहा हूं कि जब पहाड़ जैसा हम लोगों का रेगिस्तान भी बने। गुलाम नबी जी की कब उन रेगिस्तानी इलाकों के ऊपर भी नज़रे इनायत हो। अगर हम लोगों की पोपुलेशन के हिसाब से जो पैमाने बने हुए हैं, जनसंख्या के आधार पर अगर वही पैमाने रहे तो रेगिस्तानी इलाके के अन्दर हम लोगों की जो मूलभूत चिकित्सा की सुविधा है, वे हम लोग नहीं कर पाएंगे। आज मेरे खुद के बाड़मेर जिले के अन्दर लगभग 2465 राजस्व गांव हैं और अगर सब सैण्टर्स भी अगर हम उनमें देखें तो अभी तक 550 सब सैण्टर्स भी नहीं हैं। बहुत ज्यादा ऐसे राजस्व गांव हैं, जिनके अन्दर सब सैण्टर्स की भी हम लोगों को सुविधा नहीं है। पी.एच.सी. हैं, सी.एच.सी. हैं, वे भी जनसंख्या के आधार पर जो पैमाने बनाए हुए हैं...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** मंत्री जी, आप उनकी बात सुनें।

**श्री हरीश चौधरी :** थोड़ा सुन लें, सर। मंत्री जी, कभी कभार तो हमारा, रेगिस्तानी इलाके वालों का नम्बर आता है। हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि अपनी आवाज बुलन्दी से हम उठा सकें। वह ताकत हम लोगों के पास नहीं है कि संसाधन से हम लोग अपनी ताकत का इजहार कर सकें। कुछ ताकत दिखाकर हम लोगों को न्याय दिला सकें।...(व्यवधान)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** यहां राजस्थान की बात हो रही है और कोस्टल एरिया वाले मंत्री जी को घेरे हुए हैं।...(व्यवधान)

**श्री हरीश चौधरी :** यही स्थिति रेगिस्तान की है, वह सबसे अन्तिम प्राथमिकता में आज देश के निर्णय के संदर्भ में है। पी.एच.सी., सी.एच.सी. जैसी चीजें भी हमारे राजस्थान के अन्दर अगर जनसंख्या के आधार पर रहेंगी तो हमें न्याय नहीं मिल सकता। आज लोग तड़प कर वहां संसाधन के बिना...(व्यवधान)

**श्री गुलाम नबी आज़ाद:** बेचारों को बाद में इसमें तो मौका नहीं मिलता, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने ऐसे एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़, हिली एरियाज़, जिसमें इनका रेगिस्तानी इलाका भी है, चाहे वह कच्छ का एरिया हो या रेगिस्तान में बाड़मेर का, जैसलमेर का एरिया हो, ये एरियाज़ हमने उसमें रखे हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सारी चीजें, चाहे वे सब सैण्टर्स हों या प्राइमरी हैल्थ सैण्टर्स हों, ये कई चीजें हैं, वे आबादी के हिसाब से हैं तो करीब 265 डिस्ट्रिक्ट्स हमने चुन लिए हैं, जहां आबादी के हिसाब से नहीं, बल्कि उनकी बैकवर्डनैस के हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से हम प्राथमिकता देंगे।

**सभापति महोदय :** अब अपनी बात समाप्त करें।

**श्री हरीश चौधरी :** धन्यवाद मंत्री महोदय, आपने जब यह मंत्रालय संभाला था, उस समय हम लोगों को यह आशा थी कि हम लोगों को इस बार जरूर न्याय मिलेगा और उस आशा के अनुरूप ही आपका काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से प्लानिंग कमीशन को भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भी जो पैमाना है, पिछड़े हुए जिलों में, पिछड़े हुए इलाकों के पैमाने में इसे सम्मिलित करना चाहिए। पाले और शीतलहर के सन्दर्भ में भी एक ही समस्या है। मंत्री महोदय, हम लोगों के यहां अगर थोड़ी बहुत भी सर्दी ज्यादा पड़ जाती है, पाला पड़ जाता है तो जो फसलें हम लोगों के वहां होती हैं और वह भी अगर शीतलहर है तो दोनों की दोनों कैलेमिटीज़ को रिलीफ फंड के अन्दर सम्मिलित नहीं किया गया। इसके कारण जब कभी भी किसान को इससे नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नहीं होती है। मुझे आशा ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अन्दर गृह मंत्रालय हमारे अनुकूल फैसला लेगा। पाले और शीतलहर को सी.आर.एफ. के अन्दर सम्मिलित होने के लिए मैं केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने एक जी.ओएम. बनाया और मैं पूरे जी.ओएम. को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे अनुकूल वहां से सिफारिश भेजी है। आने वाले समय के अन्दर रेगिस्तानी इलाके के किसान को भी सी.आर.एफ. में पाले और शीतलहर को सम्मिलित होने से जो राहत पहुंचेगी, उसका आप आकलन नहीं कर सकते। वहां बहुत गरीब लोग हैं, वे उधार पैसा लाकर वहां अपनी खेती में लगाते हैं। मैं राजस्थान सरकार को भी इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक लाख का किसानों के कर्ज पर एक प्रतिशत भी ब्याज राजस्थान सरकार ...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका दें, समय काफी हो गया है।

**श्री हरीश चौधरी :** पाला और शीतलहर के अलावा भी कई ऐसी समस्यायें हैं। अरंडी की फसल हमारे यहां है। अरंडी की बुआई हम लोग जुलाई-अगस्त में करते हैं, उसकी कटाई मार्च में होती है। खरीफ के अंदर उसकी गिरदावरी हो जाती है, तो मार्च के अंदर, रबी के अंदर उसकी हम लोग पैदाइश लेते हैं, तो उसमें उनको अगर नुकसान भी हो जाता है, तो उसका फायदा हम लोगों को नहीं मिलता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और बात फसल बीमा के संदर्भ में कहना चाहता हूं, अगर किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस कोई व्यक्ति कराता है, उसे सब प्रकार की पॉलिसीज लेने का अधिकार है तो फिर किसानों पर यह बाध्यता क्यों? अगर किसान चाहे तो वह मौसम आधारित पर ले और किसान चाहे तो वह क्रॉप कटिंग के आधार पर ले, किसान को कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो हम लोग दे दें। आज इस देश के अंदर किसान की आवाज लगभग समाप्त होती जा रही है। आज मजदूर की आवाज समाप्त होती जा

रही है। फैसले लेते समय प्राथमिकता से हम उस किसान को कैसे जिन्दा रखें, उस मजदूर को कैसे जिन्दा रखें, यह हम लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। कम से कम फसल बीमा के संदर्भ हम लोग ऐसा करें।

मैं अन्तिम दो बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा एनर्जी हब है। आज भारत का 20 से 25 प्रतिशत क्रूड ऑयल सिर्फ बाड़मेर के अंदर हो रहा है। आने वाले समय के अंदर जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, उसके अंदर अगर वहां के लोगों को, तभी हम लोगों को फायदा मिलेगा, इसके लिए रिफाइनरी हम लोगों के वहां मिलनी चाहिए। इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं है, हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि इकोनॉमिक वॉयबिलिटी नहीं है, पर केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी जहां-कहीं निर्णय हुए हैं, चाहे पानीपत में हुआ है, चाहे भटिंडा के अंदर हुआ है, कोई इकोनॉमिक वॉयबिलिटी का जरिया निकाला है। मुझे आने वाले समय में केंद्र सरकार से पूरी आशा है कि रिफाइनरी के संदर्भ में जो इकोनॉमिक वॉयबिलिटी का गैप है, उसे केंद्र सरकार जरूर करेगी।

इसके अलावा वहां गैस का बहुत भण्डार है, कोयले का बहुत भण्डार है, बहुत विंड पावर है, सोलर का है, कोल बेस्ड मीथेन का है, आने वाले समय में एनर्जी के रूप में सबसे ज्यादा हम लोगों को जो स्रोत मिलेगा, वह शैल गैस है, उसका भण्डार भी रेगिस्तान के अंदर बहुत है।

महोदय, रेगिस्तान इतना कुछ देश को दे रहा है, बहुत छोटी सी चीज हम लोग मांग रहे हैं, जिससे हम जिन्दा रह सकें, जिससे पूरी दुनिया जहां विकसित हो रही है, उस विकास के अंदर थोड़ा सा एक कदम हम लोग भी चल सकें, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं।

हम लोगों के ऊपर जुल्म जरूर होता है, आज थार एक्सप्रेस को बाड़मेर में नहीं रोका जाता है, थार एक्सप्रेस को 500 किलोमीटर के बाद रोका जाता है। उसका कारण यह बताया जाता है कि हैबिटेशंस बहुत कम हैं, कोई भी मूवमेंट होगा, इन्टेलीजेंस एजेंसीज बताती हैं, उसे हम लोग चैक नहीं कर सकते। जो भी हम लोगों को नुकसान हो रहा है, वह नुकसान तो हो ही रहा है। नेशनल हाइवे नंबर 15 से उस तरफ हमारे प्राइवेट्री एरिया घोषित कर सकता है, कोई भी वहां नहीं जा सकता है।

**सभापति महोदय :** अपनी बात समाप्त करिए।

**श्री हरीश चौधरी :** जम्मू-कश्मीर में जा सकते हैं, पंजाब में जा सकते हैं, लेकिन जो रेगिस्तानी इलाका है, बाड़मेर में नहीं जा सकते हैं। आपके माध्यम से मैं उन गरीब लोगों के लिए कहना चाहता हूं।

आखिरी में, एक बात कहकर मैं कंक्ल्यूड करना चाहता हूं, बहुत दुश्वार है जीवन, कोई देखे वहां रहकर, सितम जैसी वहां पर जिंदगी, देखे कोई सहकर, यही है हक, यही है फर्ज, यही है प्रार्थना मेरी, पहाड़ी क्षेत्र की तरह से रेगिस्तान भी महके।

MR. CHAIRMAN : Resolution moved:

> "This House expresses its deep concern over the backwardness prevailing in the desert regions of the Country and urges upon the Government to prepare and implement a special economic package for:-
>
> (i) overall development of desert regions on the lines of the economic pacheage provided to the north-eartern States to mitigate the problems being faced by the people living in desert regions; and
>
> (ii) enabling the people of these regions to achieve a level of socio-economic development at par with the people living in other parts of the country."

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** सभापति महोदय, लोक सभा के इस चैनल पर हिंदुस्तान के गांव के गरीब, किसान लोग भी जिनके घर में टीवी है, वह इसकी कार्यवाही को सुनते हैं, देखते हैं और इसमें दिलचस्पी लेते हैं। उनके मन और पेट की जो भूख है, इन दोनों भूख को शांत करने के लिए इस लोक सभा में कितनी बहस होती है और सरकार उसके प्रति कितनी सजग है, सहानुभूति रखती है, यह भी इस देश के लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। इसलिए इस लोक सभा चैनल को जिन्होंने चलाया था, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भारत के गांव, गरीब, किसानों को भी लोक सभा का प्रत्यक्ष दर्शन हो पा रहा है। अभी हमारे साथी हरीश जी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के दुख-दर्द के बारे में बता रहे थे। मैं उतना तो नहीं घूमा हूं, लेकिन कभी किसी जमाने में हमारे नेता चौधरी देवीलाल जी थे, उनके साथ, उनके नेतृत्व में वहां के हमारे तीन नेता थे, माननीय कुंभाराम आर्य जी और दौलतराम सारंन जी, लालचंद डूडी जी, हम चौधरी देवीलाल जी के साथ नीमका थाना से निकलते थे। उनके साथ मैंने सीकर, चुरू, जालौर, बाड़मेर, पोखरन, बीकानेर की यात्रा की है। उनके साथ रात्री विश्राम भी किया है। एक बार चौधरी देवी लाल जी और मैं पोखरन जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुमने ढ़ाणी देखा है। मैंने कहा कि मेरे यहां धानी होती ही नहीं तो कहां से देखेंगे? उन्होंने कहा कि चल तुझे ढ़ाणी दिखाता हूं। सड़के के किनारे फूस का बड़ा-बड़ा छप्पर का मकान था। आज कल दिल्ली में एक ही कमरे के साथ डाइनिंग हाल एवं अन्य सभी कमरे बनें रहते हैं, उसी तरह का कमरा था। देवी लाल जी ने कहा कि इसमें चलो। वह मकान हमारे किसी अनुसूचित जाति के भाई का था। उस कमरे में घूसने लगे तो मैं तो चला गया लेकिन देवी लाल जी सात फीट लंबे थे वे घूटने के बल उसके अंदर घूसे। मुझे अंदर ले जा कर बोले कि देखो और उसको बोले कि बता तेरे घर के अंदर क्या-क्या रहता है? रास्ते चलते उन्होंने कहा कि आपने टांक का पानी पिया है। मैंने कहा कि मैंने जीवन में कभी देखा नहीं तो पिया कहां से। वे सड़क के किनारे एक घर में ले गए और बोले कि रस्सी और बाल्टी लाओ। उन्होंने टांका में से पानी निकाला और बताया कि यह टांका कैसे और किस लिए बनाया जाता है और किस तरह लोग इसमें बरसात का पानी जमा कर के गुजारा करते हैं। उनके साथ घूमने के कारण कुछ प्रत्यक्षीकरण हुआ। इसलिए मैं उन नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मुझे भी उन राजस्थानी इलाकों में भ्रमण करा कर, गांव के गरीब, किसान और मजदूर के दुःख-दर्द को दिखाया। मैं इस बात को उठाना चाहता हूं कि इसी सदन में इलाके के पिछड़ापन पर कांग्रेस के श्रीमती रत्ना सिंह जी का प्रस्ताव आया, सतपाल महाराज जी का प्रस्ताव आया, श्री रंजन प्रसाद यादव जी, श्री भोला प्रसाद सिंह जी, श्री वैजयंत पांडा जी का प्रस्ताव आया। इसी तरह से अनेक इलाके के साथियों का इसी लोकसभा में क्षेत्रिय विषमताओं को दूर करने के लिए प्रस्ताव आया। इससे संसद में बहस के द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि

भारतवर्ष में क्षेत्रिय विषमता है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है और इन विषमताओं के ऊपर समग्रता में चिंतन कर के अगर निदान नहीं निकाला गया तो भारत के ये सभी पिछड़े इलाके एक न एक दिन विद्रोह की अग्नि की ज्वाला में जलने लगेंगे। इसलिए मैं संसद के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, योजना आयोग पर विश्वास कम है, योजना आयोग न तो मेरे लिए योजना बनाता है और न ही अनुसूचित जाति, किसान, मजदूर, गांव और गरीब के लिए योजना बनाती है। केवल मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए योजना बनाती है। विश्व बैंक से संचालित होने वाले कुछ लोग योजना आयोग में बैठे हैं उनका आजकल बीच में एक नाम आ गया है, यह कन्सलटेन्स कहे जाते हैं। यह जानते होंगे, आज हर योजना में कन्सलटैंट नियुक्त किया जाता है। मैं भारत सरकार के शीपिंग विभाग में मंत्री बना था उसमें कई जगह कंसल्टैंट आया तो मैं सोचता था कि यह कंसल्टैंट कौन प्राणी का नाम है। यह कंसल्टैंट कौन पद है तो कहा गया कि जो बीच में योजना का डीपीआर बनाते हैं और जो योजना का प्रारूप बनाते हैं। मैंने कहा कि इनको बहाल कौन करते हैं तो बताया गया कि जिससे हम कर्जा लेते हैं उसके द्वारा बहाल किए गए हैं। हमने अंतर्ध्यान लगाया तो पाया कि गांव में जिसको दलाल कहते हैं वह यहां पर कंसल्टैंट है। कंसल्टैंट माने वे विश्व बैंक के साथ कंसल्ट करते हैं और योजना आयोग में जा कर कंसल्ट करते हैं। दोनों के कंसल्टेशन में जहां एक मीटिंग प्वाइंट होता है, वह तय कर योजना को पास कराते हैं। विश्व बैंक के कर्जे से योजना बनती है, यह चलती है और बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है यह हम और आप नहीं जान पाएंगे क्योंकि यह इतने ऊपर का खेल है कि उस खेल को अगर हम देखने लगेंगे तो कितना जन्म लेना पड़ेगा इसका पता नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भारत की योजना गलत बनती रही है। योजना केवल विकसित इलाकों के लिए बनी है। योजना केवल शहरीकरण के लिए बनाई गई है। योजना केवल शहरों के किनारे विकास के लिए बनाई गई है और जितने शहर बसाए गए हैं, इस दिल्ली में चलइए, पंजाबी बाग, दौलताबाग, मीना बाग और कौन-कौन बाग हैं, यह बाग का क्या मतलब है। यह कभी बाग रहा होगा। यह कभी गांव रहा होगा। यहां कभी किसान रहे होंगे। इस इलाके में जितने अहीर जाट और गुजर खेती करने वाले लोग थे उनकी जमीन छीन ली गई और उसमें बड़ी-बड़ी कॉलोनियां बसा दी गई।

**16.00 hrs.**

उनके बच्चों को उजाड़कर भगा दिया गया। वे भिखमंगे बन गए, गांव में चले गए, निर्धन-निर्बल बन गए। लेकिन बड़ी-बड़ी कालोनियां बनाई गईं, बड़े-बड़े मकान बनाए गए, बड़े-बड़े अफसरों को गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में सजे-सजाए मकानों में रखवाया गया। ईंट की दीवारें बनीं और उत्तराखंड, हिमालय से लकड़ी काट-काटकर उन दीवारों पर लकड़ी लगाई गई, फर्श के नीचे लकड़ी लगाई गई, छत के ऊपर

लकड़ी लगाई गई। श्रीमान्, उस गांव में बसने वाले लोगों के पास खम्बे, छप्पर के लिए लकड़ी नहीं है, चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। यहां ईंट के मकान को लकड़ियों से सजाया गया है और वही लोग पर्यावरण की बात करते हैं जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भारतवर्ष में इन विषमताओं को मिटाने के लिए समग्रता से चिंतन होना चाहिए। जितनी क्षेत्रीय विषमताएं हैं, हमारे राजस्थान के साथी बोल रहे थे, अगर आप उन इलाकों का सामाजिक विश्लेषण करें, उन अविकसित इलाकों, पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तान या उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र के पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपोल, कटिहार, किशनगंज आदि का सामाजिक परिवेश देखें तो अधिकतर लोग पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के हैं। पहाड़ों, जंगल में अनुसूचित जाति वनवासी बसते हैं। अगर जैसलमेर, बाड़मेर. रेगिस्तानी इलाकों में देखें तो वही लोग बसते हैं जो रेगिस्तान की तपती धूप बर्दाश्त कर सकते हैं, जो उस लू में ठहर सकते हैं। सबसे ज्यादा लोग सीमा पर हैं और वहां आक्रमण भी सबसे ज्यादा होता है। अगर हिन्दुस्तान का इतिहास निकालकर देखें तो यहां जितने भी आक्रमण हुए हैं, सब पश्चिम की तरफ और रेगिस्तानी इलाकों की तरफ से हुए। वहां के लोगों ने उन आक्रमणकारियों से मुकाबला किया। इसलिए मैं इस संसद द्वारा उनके पूर्वजों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके पूर्वज ऐसे थे जो उस रेगिस्तान में रहे।

सूख रही है बोटी-बोटी मिलती नहीं घास की रोटी
गढ़ते हैं इतिहास देश का सहकर कठिन सुधा की मार
नमन तुम्हें मेरा सतबार।

ऐसे लोग हिन्दुस्तान में रहे हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा की, इसके लिए अपने प्राण गंवाए, आज वे भूखे हैं, उनकी संतान नंगी है, अशिक्षित हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैं योजना आयोग और सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो हिन्दुस्तान का मरूस्थली है, रेगिस्तान का इलाका है, बंजर जमीन है, कंकरीली जमीन है, जहां कुछ पैदा नहीं होता, ऐसी गैर-उपजाऊ जमीन में...(व्यवधान) महाबल मिश्र जी,...(व्यवधान) सभापति जी, जरा रोकिए।...(व्यवधान) मंत्री जी के नजदीक आकर लोग डिस्टर्ब करते हैं। संयोग से गुलाब नबी आजाद साहब साथ बैठे हैं। जब हम इस बार श्रीनगर गए थे तो हमने ट्यूलिप गार्डन देखा। गुलाम नबी जी वहां के मुख्य मंत्री बने थे। लोगों ने इनकी प्रशंसा की।...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :** आपने ट्यूलिप गार्डन बहुत सुंदर बनवाया है।

...(व्यवधान)

**16.05 hrs.**

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** मैंने इनको धन्यवाद दिया कि जितने दिन ये मुख्य मंत्री थे, वहां कुछ करके आए हैं जो श्रीनगर में लोग इनका नाम ले रहे हैं। मैं ट्यूलिप गार्डन में घूमा तो लोगों ने आपकी प्रशंसा की। हम कांग्रेस पार्टी की शिकायत जरूर करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, उनकी प्रशंसा भी करेंगे। हम दिनकर जी की राह के राही हैं।

पूजनीय को पूज्य मानने में जो बाधाक्रम है
वही मनुज का अहंकार है, वही मनुज का भ्रम है।

इसलिए हम अच्छे काम करने वाले की पूजा करेंगे।

मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं कह रहा था कि जो बंजर, पथरीली, कंकरीली, गैर-उपजाऊ भूमि है, जहां विकास नहीं गया, क्या आप उन इलाकों में औद्योगीकरण नहीं कर सकते? इसी संसद में बोलते हुए समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने इस प्रश्न को छेड़ा था। उन्होंने कहा था कि जो अविकसित इलाका है, उस रेगिस्तान वाले इलाके, बंजर, पथरीले इलाके में उद्योग खड़ा कीजिए। जब उद्योग लगेगा तो वहां बिजली जाएगी, मकान बनेंगे, अफसर रहेंगे, दुकानें खुलेंगी, चाय की दुकान, पान की दुकान। उद्योग खुलेंगे तो बड़े-बड़े उद्योगपति उसमें मौज करेंगे, अफसर मौज करेंगे, आजाद साहब। लेकिन चाय की दुकान, पान की दुकान, खोमचे की दुकान, छोटे से ढाबे की दुकान चलाकर हमारे बच्चे और बहु-बेटियों को रोजगार मिलेगा। अगर वहां तक सड़कें जायेंगी, तो उस इलाके का विकास होगा। वहां उद्योग किसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि वह इलाका विकसित नहीं है। मैं कहता हूं कि वह इलाका इसलिए विकसित नहीं हैं, क्योंकि वहां उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार नहीं है। आप हरियाणा से लेकर सब जगह एनसीआर बनाते हैं दिल्ली के चारों तरफ। एक नम्बर तीन फसला जमीन, उपजाऊ कृषि भूमि को उजाड़ते हैं। जहां कुछ नहीं पैदा होता, उस रेगिस्तान के इलाके में क्या कारखाने नहीं बना सकते, रिफाइनरी नहीं लगा सकते? क्या वहां रेलगाड़ी का जाल नहीं बिछा सकते, सड़कों को नहीं बना सकते, अच्छे स्कूल नहीं बना सकते? नहीं बनायेंगे, किसलिए नहीं बनायेंगे, क्योंकि पोलिटिकल प्रैशर नहीं हैं। वहां वोकल लोग नहीं हैं। जहां पोलिटिकल प्रैशर वाले हैं, वोकल लोग हैं, आवाज उठाने वाले हैं, धरना देने वाले हैं, टीवी, मीडिया में लिखने वाले हैं, उनके हाथ में अपनी कलम है। अंग्रेजी के सभी अखबारों में डिस्पेच पर डिस्पेच लिख देंगे,

बंजर को उपजाऊ बना दे, उपजाऊ को बंजर बना दे, यही तो मीडिया का खेल है और यही आज के अखबार का भी मेल है, बाकी हम कुछ देख नहीं पाते हैं।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो अविकसित इलाका है, उसे विकसित करने के लिए योजना आयोग योजना बनाये। क्या कभी योजना आयोग में किसी एमपी से पूछा जाता है, किसी एमएमलए से पूछा जाता है, किसी जनप्रतिनिधि से पूछा जाता है? योजना आयोग में बड़े-बड़े लोग उसके सदस्य बनते हैं। अर्थशास्त्र के नाम पर मैं उन अर्थशास्त्रियों को चुनौती देना चाहता हूं कि भारत सरकार किसी को नहीं, प्रणब बाबू अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में योजना आयोग का एक अर्थशास्त्री आये और उसके साथ हुक्मदेव नारायण जैसा अर्थशास्त्र, का साधारण ज्ञान रखने वाला एक किसान बैठे। मेरे साथ बहस करे। मैं योजना आयोग के उस अर्थशास्त्री को एक बार नहीं, तीन बार परास्त कर दूंगा। इसलिए कि उनकी दृष्टि और मेरी दृष्टि में फर्क है। उनकी दृष्टि गरमोन्मुखी, गरीबोन्मुखी, किसानोन्मुखी, पिछड़ान्मुखी, दलितन्मुखी, निर्धन के प्रतिन्मुखी नहीं है। इसलिए कबीर दास ने कहा कि "जो दर्शन करना चाहिए, तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई, तो दरस कहां से पाई।" यह जो हमारे योजना बनाने वाले हैं, उनके ह्रदय में वह नहीं है। उनके ह्रदय में गरीब की तस्वीर नहीं है, मजदूर की तस्वीर नहीं है इसलिए भारत का यह इलाका पिछड़ा रह गया और भारत का इतना समाज पिछड़ा रह गया।

सभापति महोदय,. रामचरित मानस की एक-दौ चौपाई कहकर मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। हमारे साथी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी बोलेंगे। वे राजस्थान के हैं और सौभाग्य से यह आईएएस अफसर, कलैक्टर साहब भी रहे हैं। इसलिए इन्होंने देखा भी होगा। इनको दोनों अनुभव है। हनुमान जी जब लंका में गये थे, तो उस समय उन्होंने वर्णन किया है --

मंदिर-मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहं-तहं अगनित योद्धा,
गया दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहि जात सो नाहि,
सयन किये, देखा कपि तेहि, मंदिर महुं न दीखी बैदेही।।

उसी तरह मैं वर्ष 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना था। ब्लाक का प्रधान बना, जिला परिषद का अध्यक्ष बना। तीन बार विधान सभा का सदस्य बना। लोक सभा, राज्य सभा को देखा। दो बार भारत सरकार का मंत्री बना। मैं गांव से चला था। मेरे पिताजी, आठ चाचा और चार चचेरे भाई स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे। मेरी मां मुझे गोद में लेकर अपनी नैहर भाग गयी थी, क्योंकि अंग्रेज ने घर जलाया था। मेरे चाचा जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे। प्रथम जिला परिषद के सदस्य बने थे, वाइस चेयरमैन बने थे। मैं उस इलाके की बात करता हूं कि जहां भारत वर्ष की उन समस्याओं को देखा ...(व्यवधान) मैं गांव

से चला ...(व्यवधान) ठीक बात है साहब, मैं आपकी तरफ आने को तैयार हूं, बशर्ते कि आप अपनी रेलगाड़ी का इंजन बदल लो, गति दुरुस्त कर लो, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। लेकिन मैं इस इंजन वाली गाड़ी में नहीं बैठूंगा, जिसकी दुर्घटना होने वाली है और मैं जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहता हूं, इसलिए मैं उस रेलगाड़ी पर नहीं बैठूंगा।

इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मैंने सब देखा, खेत देखा, खलिहान देखा, गांव देखा, निर्धन-निर्बल को देखा, ग्राम पंचायत से लेकर लाल किला तक देखा, सभी को देखा, लेकिन किसी के दिल मे गांव, गरीब, किसान के लिए प्यार नहीं देखा। दिल में दर्द नहीं देखा। आपने अभी घोषणा की थी कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना चला रहे हैं और सभी प्रखण्डों में मोबाइल वैन भेज रहे हैं, आपकी बड़ी कृपा है। लेकिन अगर वह खराब होगी, तो मरम्मत कौन कराएगा? डीजल कौन देगा, ड्राइवर को वेतन कौन देगा। आप अगर देखिए तो हिन्दुस्तान में सिविल सर्जन के कार्यालय में सबसे ज्यादा गाड़ियां सड़ रही होंगी, करोड़ों रुपये की गाड़ियां पड़ी होंगी। पूछने पर पता चलता है कि वह उस आर्गनाइजेशन की है। श्रीमन्, बच्चा पैदा करना आसान है, लेकिन उसकी परवरिश करना कठिन है। हिन्दुस्तान की नीति यही है कि बच्चे पैदा करते चलो, भला करेंगे राम। योजना हम बनाएंगे, लेकिन उसका पालन करेगी राज्य सरकार। बच्चा है तेरा और दूध पिलाएं हम, बच्चा है तेरा, लेकिन खाना खिलाएंगे हम। हमें अगर बच्चा पैदा करके देते हैं, तो उसकी परवरिश करने का भी इंतजाम कीजिए। मेरी प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। आप राजस्थान में जाएं, बिहार में जाएं, उड़ीसा में जाए, हमारे बिहार में रोज सवेरे औरतें खड़ी होकर काली माई के सामने प्रार्थना करती हैं - अविरल आंसू बहे नैनन से, अब तो कृपा करो, हे काली कृपा करो। उनकी आंखों से निरंतर अविरल अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, वह पीड़ा है, दर्द है, आप अपने अंदर वह चेतना पैद कीजिए। कांग्रेस पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है। अभी हरीश जी बोल रहे थे, मैं गिन रहा था, एक तरफ मांग कर रहे थे, अपनी पीड़ा भी सुना रहे थे और एक दर्जन बार सरकार को धन्यवाद भी दिया। मैंने कहा कि दोनों एक साथ कैसे हो जाएगा साहब? यह तो गलत बात है। एक बार मैं दुकान में गया, एक डिब्बी को देखकर मैंने पूछा कि इसमें क्या है? उसने जवाब दिया, इसमें स्नो है। मैं खड़ा हो गया। मैं साधारण अंग्रेजी पढ़ा हूं। मैंने कहा - यस होगा, तो नो नहीं होगा। नो होगा, तो यस नहीं होगा। उसने कहा कि नहीं, यह स्नो है, यह चेहरे पर लगाने वाला स्नो है, पावडर है। मैंने कहा कि कमाल की दुनिया है बड़े लोगों की, यस और नो को एक ही डिब्बी में बंद करते हैं। उसी तरह हरीश हैं, एक तरफ एक दर्जन बार सरकार को धन्यवाद देते रहे और दूसरी तरफ अपने पिछड़ेपन पर आंसू भी बहाते रहे। मैं हरीश जी से प्रार्थना करूंगा कि छोड़ो इस बात को, चाहे सरकार कोई हो, सत्ता कोई हो, गांव के गरीब, निर्धन, पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर एक बार उठो, अपनी आंख में शंकर के त्रिनेत्र की ज्वाला लेकर

निकलो। जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे, उस दिन हम अपनी त्रिनेत्र की ज्वाला में इस व्यवस्था को जलाकर राख कर देंगे और उस राख को अपने शरीर में लपेटकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। नया भारत बनेगा तब, गांव-गरीब मजबूत होगा तब।

**श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी):** महोदय, आपने मुझे श्री हरीश चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प - देश में मरू प्रदेशों के लिए विशेष आर्थिक विकास पैकेज पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैंने हरीश चौधरी जी और श्री हुक्मदेव नारायण यादव को सुना, बहुत बृहद् रूप से आपने अपनी बातें रखी हैं, बिल्कुल जमीन और गांव से जुड़ी हुई बातें रखी हैं, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह बात सत्य है कि इसी सदन में विभिन्न अवसरों पर क्षेत्र के विकास, अपने प्रदेश के विकास, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास की बात हम लोग बराबर करते रहे हैं। लेकिन विभिन्न अवसरों पर इस प्रकार की तमाम चर्चाएं हुई हैं, जिसके बारे में अभी हुक्मदेव नारायण यादव जी ने कहा। यह बात सही है कि बहुत से इलाके बहुत पिछड़े हैं। खासकर प्रदेशों की स्थिति अगर देखी जाए, हुक्मदेव जी आज अखबार में एक विस्तृत रिपोर्ट आई है, जिसमें प्रदेशवार चाहे वह बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम प्रदेशों की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया गया है। हो सकता है आपने यह पढ़ा भी हो। यह दुर्भाग्य है कि अभी तक की सरकारों ने इसके लिए कोई विशेष पहल नहीं की और न ही इन प्रदेशों के लिए कोई कार्य योजना तैयार की। हमारी एक मांग है कि सैनसेक्स की रिपोर्ट जो आती है, उस पर कहीं न कहीं विराम लगना चाहिए, हम लोग नहीं कर पाए, यह एक दुर्भाग्य है।

उत्तर-पूर्व राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की तर्ज पर हरीश जी ने मरू राज्यों के लिए भी आर्थिक पैकेज की मांग की है। मुझे नहीं मालूम कि उत्तर-पूर्व राज्यों में कितना पैकेज दिया गया और कितना विकास उससे हो पाया। जब प्रदेशों की बात आती है तो एक तरफ आप देखें कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पूर्वोत्तर राज्य या राजस्थान हैं, इनकी अपनी अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इसलिए हर प्रदेश की अपनी अलग-अलग समस्याएं भी हैं। मैं यह नहीं कहता कि वहां स्थानीय स्तर पर उनकी सरकारें नहीं बनी हैं। इस देश में दो राष्ट्रीय राजनैतिक दल कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हैं। इनकी भी कहीं न कहीं सरकारें हैं। लेकिन जो बात निकल कर आती है, जैसा हुक्मदेव जी ने भी कहा कि कहीं न कहीं राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वय की कमी है, वह स्थापित नहीं हो पार है, जबकि वह होना निहायत जरूरी है। यही कारण है कि हमने नियम 193 के तहत इसी मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की थी कि कम से कम सुबह से लेकर शाम तक माननीय सदस्य उसमें हिस्सा लें और अपने सुझाव दें। हम लोगों ने बीएसी की मीटिंग में भी कहा था कि केन्द्र और राज्यों के बीच कैसा सम्बन्ध होना चाहिए, इस पर सदन में चर्चा हो, लेकिन अभी तक वह नहीं हो पाई है। विभिन्न अवसरों पर हम बोलते हैं, लेकिन विस्तृत तरीके से चर्चा नहीं हो पाई है।

मैंने एक चीज देखी है और वह मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं। केन्द्र में जिस दल की सरकार हो, अगर राज्य में उसी दल की सरकार बनती है तो उस राज्य का विकास काफी कुछ सम्भव हो जाता है, लेकिन अगर केन्द्र में और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें हो तो फिर भेदभाव स्वाभाविक है। हमेशा यही हुआ है और यही कारण है कि समय-समय पर मरू प्रदेशों के लिए, पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए या पूर्वोत्तर के लिए आर्थिक पैकेज की मांग उठती रही है। इस पर कहीं न कहीं विराम लगाना पड़ेगा।

सभापति जी, मेरा तो यह मानना है कि केवल सामाजिक या आर्थिक पैकेज की ही बात क्यों की जाती है, शैक्षणिक पैकेज क्यों नहीं माना जाता है। जब तक किसी राज्य में शैक्षणिक विकास नहीं होगा, तब तक सामाजिक और आर्थिक पैकेज का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक परिवार में अगर एक शिक्षित व्यक्ति होता है या एक मां-बहन शिक्षित होती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित बनाने की कोशिश करती है। परिवार में एक के शिक्षित होने से यह संस्कार पूरे परिवार में आ जाता है। इसलिए सामाजिक, आर्थिक पैकेज के अलावा शैक्षणिक विकास की भी बहुत आवश्यकता है। शिक्षा तो सामाजिक और आर्थिक समस्या के हल की मूल जड़ है। अगर इसका विकास नहीं होगा तो सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो सकता। शिक्षा से ही सामाजिक विकास होगा और सामाजिक विकास से आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा।

मुझे याद है, राजा रामपाल जी शायद चले गए हैं, हुक्मदेव जी आपने भी सुना होगा एक जाति है घूमन्तु, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। इस जाति का न तो कोई घर होता है, न कोई ठिकाना होता है और न ही कोई धर्म या जाति होती है। उन्होंने हमें अपने निवास नार्थ एवेन्यू में बुलाया था, जहां इस जाति के प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने हमें बताया कि न तो हमारा कोई घर है और न ठिकाना। हम लोग घूमते रहते हैं। जहां रुकना होता है, वहां एक-दो दिन के लिए बस जाते हैं और वही उनका निवास हो जाता है, नहीं तो वे घूमते ही रहते हैं। हमारे क्षेत्र में भी और जहां जंगलों में लोग रहते हैं, एक जाति है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वह यादवों और घोसी जाति से मिलती-जुलती है और वे लोग भी दूध, लकड़ी और खेती का व्यवसाय करते हैं। गुज्जर जाति और ऐसी दूसरी घुमंतू जाति हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है। इनके विषय में भी सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है। भारतवर्ष विभिन्न धर्मों और मजहबों का देश है, विभिन्न वेशभूषा का देश है। यहां की भौगोलिक परिस्थितियां भी अलग हैं, यहां के उत्पादन भी अलग हैं। कहीं पर किसी चीज का उत्पादन होता है, कहीं पर किसी और दूसरी चीज का उत्पादन होता है। जहां पर ज्यादा उत्पादन कर लेते हैं उस जगह का विकास हो जाता है। कहीं पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता है और यही कारण है कि हमारे यहां पर नक्सलवाद पनप रहा है, आतंकवाद फैल रहा है या क्षेत्रीयवाद फैल रहा है।

चाहे बोडो-लैंड हो या दूसरी चीजों से जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और ऐसे लोग सिर उठाकर सांप की तरह फूंफकार रहे हैं लेकिन उस ओर हमने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया है। उसका कारण क्या है, हमने इस विषय में कभी सोचा नहीं है। उनके यहां इसीलिए कोई विकास नहीं हो पाया है। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उनके यहां कोई विकास नहीं हुआ है।

माननीय मुलायम सिंह जी जब पिछली बार मुख्यमंत्री थे तो हमारे सोनभद्र साइड से शिकायतें बराबर आ रही थीं। वहां 19 साल की एक लड़की लीडर थी। अधिकारी मना कर रहे थे लेकिन मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि कारण क्या है, क्यों ऐसी स्थिति है? हमारे प्रदेश में दो-चार जगह ही नक्सलवाद है, जबकि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। जब वहां इनका हेलीकोप्टर उतरा तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। जब एनाउंसमेंट हुआ तो थोड़ी देर बाद एक लड़की आती है और अपनी भाषा में आवाज देती है, तो हुक्मदेव जी आपको विश्वास नहीं होगा कि हजारों की संख्या में वे लोग इकट्ठे हो गये जो विद्रोह कर रहे थे, जो समाज की मुख्यधारा से अपने को अलग समझते थे। उन्होंने कहा कि हम लोग जंगल में रहते हैं, यहां न कोई सड़क है न अन्य कोई सुविधा। माननीय किशोर देव जी, आपने देखा होगा कि आदिवासियों की यही समस्या है। जो लोग जंगलों में रहते हैं, आपने गुज्जरों और घुमंतू लोगों की बात आपने कही। उन्होंने कहा कि हमारे यहां न तो सड़क है, न कोई पाठशाला, न हमारा नाम वोटर लिस्ट में है, न हम प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, न हम जनप्रतिनिधि बन सकते हैं, हमारे यहां कुछ नहीं है। हम लोग जंगलों में रहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने हथियार उठा लिये कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारे यहां कुछ विकास नहीं हुआ है। वहीं पर जो-जो उनकी मांगे थीं, मानी गयीं और वह लड़की आज समाजवादी पार्टी की ब्लॉक प्रमुख है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से कहीं न कहीं बात करनी पड़ेगी। इसी सदन में कहा जाता है कि हम ताकत से निपटेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें उनसे जाकर उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, वे क्यों समाज की मुख्यधारा से अलग हैं। उनके दर्द और पीड़ा को जब हम जानेंगे तभी आप जाकर कुछ कर सकते हैं। जब आप कुछ करेंगे तभी आपके यहां यह नक्सलवाद, आतंकवाद समाप्त होगा और आंतरिक सुरक्षा आप कर सकेंगे।

माननीय हुक्मदेव जी आप इलाहाबाद भी गये होंगे। वहां का अपना एक इतिहास रहा है। मेरे क्षेत्र में एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना है, आप सभापति महोदय विश्वास करिये कि जिन लोगों का पुश्तैनी धंधा था उन लोगों को उनके पुश्तैनी धंधे से, रोजी-रोटी से जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अगर कुम्हार हुआ तो उसे मिट्टी का पट्टा दिया जिससे वह अपना जीवन-यापन कर सके। अगर निषाद, मल्लाह हुआ तो उन्हें पट्टा दिया घाट का, मछली का, जिससे वे अपनी रोजी से जुड़ सकें। आज वहां स्थिति यह है कि जितने बालू-माफिया हैं, भू-माफिया हैं, इन लोगों ने कब्जा किया।

वहां मजदूरों से खुदाई कराई जानी चाहिए, लेकिन जेवीसी मशीन लगा कर खुदाई होती है। यही कारण है कि वहां लाल सलाम सेना बन गई है। लाल सलाम के नाम पर वहां पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी खड़े नहीं रह सकते हैं। हर समय वे हाथों में अवैध असला लिए रहते हैं, जिन पर पाबंदी है और हमारे यहां जिन्हें तमन्चा या कट्टा बोलते हैं। उन्हें पुलिस कुछ नहीं कहती है। शहरों में यह सब पनप रहा है। कल टीवी पर बुंदेलखंड में बांदा जिले में आपने गुलाबी सेना देखी होगी। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार या बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए गुलाबी सेना बनी है। उनकी साड़ी गुलाबी रंग की रहती है और हाथ में डंडा होता है। वे अधिकारियों के यहां पहुंच जाती हैं, यहां तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को अपना कार्यालय छोड़ कर भागना पड़ता है। यह स्थिति आज वहां है। जब शहरों और इलाकों से, जहां से देश को चार-पांच प्रधानमंत्री मिले, वैज्ञानिक मिले, आईएएस और आईपीएस मिले वहां की स्थिति ऐसी है। वे मांग कर रहे हैं कि हमारी ये जरूरतें हैं, हमें रोजी-रोटी की तलाश है। हमारी आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति अच्छी की जाए और हमारे स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो पुश्तैनी धंधे चल रहे थे, वे हमें मिलें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और यही कारण है कि आज नक्सलवाद और आतंकवाद पनप रहा है और सेनाएं बन रही हैं। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सीमाओं पर भी देश को खतरा है, लेकिन आंतरिक खतरा भी है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पैकेज की जो मांग उठती है, वह स्वाभाविक है। यह कारण केवल उनकी गरीबी, लाचारी, बेबसी और जो उनका शोषण हो रहा है, इस कारण उन्होंने सेना बनाई है। यही कारण है कि आज जब उन्होंने हथियार अपने हाथ में उठा लिए तो वे लड़ने के लिए मजबूर हैं। आप उनके साथ बात क्यों नहीं करते हैं? आपको उनके साथ बात करनी चाहिए। कई बार हमने सदन में मामला उठाया कि उनके साथ गृह मंत्रालय की टीम जा कर उनसे बात करे। वहां लोकल पुलिस जरूर उनसे निपटती है, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाता है। बीपीएल की बात बहुत विस्तार से हुक्मदेव नारायण जी ने कही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज जो गरीबी, गुरबत, लाचारी, शोषण हुआ है, ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी हैं, जिन पर जुर्म और अत्याचार हुए हैं, उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए। अंग्रेजों ने भी लिखा है, जो बहादुर और स्वाभिमानी कौम रही, जैसे पासी बिरादरी है। बहुत सी ऐसी जातियां रही हैं, जिन्हें अंग्रेजों ने देखा कि ये बहुत बहादुर और स्वाभिमानी कौम रही हैं और ये सीने पर गोली खाते हैं, पीठ पीछे गोली नहीं खाते हैं, उन्हें जरायम पेशा और क्रिमिनल एक्ट में रख कर गए। ऐसे लोगों के बीच में आपको जाना पड़ेगा और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की बात करनी पड़ेगी। उनके बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी हम आर्थिक विषमता दूर करने में सफल हो सकते हैं।

इन्हीं बातों के साथ मैं श्री हरीश चौधरी द्वारा लाए गए संकल्प का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

**श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल):** सभापति महोदय, मैं श्री हरीश चौधरी द्वारा लाए गए संकल्प के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मरुस्थल में रहने वाले जो लोग हैं और वहां जो भोगौलिक विषमता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होने के कारण वहां विकास नहीं हो पाता है, उसके विकास के लिए मैं पुरजोर कहना चाहूंगा कि वहां नार्थ-ईस्ट की तरह एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे मरुस्थल का विकास हो सके। मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम मरुस्थल को स्टडी करें कि वह कैसे बना है, क्योंकि मुझे जैसलमेर और बाड़मेर जाने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि कोई मीटोराइट वहां आया और एक उल्का धरती से टकराई, तो जो इलाका पहले बहुत ज्यादा लश्ग्रीन था, बहुत ज्यादा वैजिटेशन थी, बहुत ज्यादा सब्ज था, बहुत ज्यादा उपजाऊ था, लेकिन किसी उल्का के टकराने के कारण वहां सारी चीजें इवापोरेट हो गईं और आप अगर जैसलमेर का पत्थर भी देखेंगे, तो वह ऊपर से तो काला होता है, लेकिन नीचे से सफेद होता है। वहां मुझे पेट्रोफाइड राक देखने का मौका मिला, जिसके लिए लोग कहते हैं कि बड़ी गर्मी से वहां की लकड़ियां पत्थर की तरह बन गई हैं। जिसके लिए वहां पर किवदंती है कि किसी ऋषि ने श्राप दिया और सारे पेड़ पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गये। वह एक साइंटिफिक क्रम था कि जब लिथरॉइट टकराता है तो पूरा स्थान एक डेजर्ट का रूप ले लेता है। वही स्थिति हमारे इस डेजर्ट के इलाके में है और उस डेजर्ट के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आज इजरायल और दुबई में बहुत से ऐसी टैक्नीकल चीजें बनाई हैं।

आप देखेंगे कि रेत के ऊपर उन्होंने घास को उगा दिया है और ऐसे ऐसे ग्रीन हाउसेज बनाये हैं जिसमें हर किस्म की फसल को आज वे दुबई के अंदर उगा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए वह टैक्नोलॉजी लाई जाए चाहे उस पर जो भी साइंटिफिक उपाय से फार्मिंग हो सके, वह की जाए। इसके साथ साथ डेजर्ट के अंदर बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी है। स्पेन इस पर बड़ी टैक्नॉलोजीकली आगे बढ़ा है और स्पेन ने सोलर एनर्जी को वहां बहुत ज्यादा प्राप्त किया है। डेजर्ट के अंदर इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सौर ऊर्जा की वहां पर स्थापना का जी सकती है ताकि हम अपने डेजर्ट से शक्ति प्राप्त करें। आज डेजर्ट में हवा बहुत तेजी से बहती है। इसमें विंड टरबाइन लगाकर बहुत ज्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। डेजर्ट का जो पिछड़ा इलाका है, वहां से अगर आप ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से वहां विकास होगा। इसके साथ साथ इसमें नम्बर दो पर लिखा है कि इन प्रदेशों में जो लोग रहते हैं, अन्य भागों के लोगों के साथ उनका सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर प्राप्त होना चाहिए यानी वे जो भारत के जो अन्य क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि जब तक हमारे आर्थिक आरक्षण की नीति नहीं बनेगी, आर्थिक रूप से आरक्षण की बात हम नहीं सोचेंगे, गरीबी को हटाने का हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं चाहूंगा कि जो आपकी विंड टरबाइन्स हैं, जो सोलर

सिस्टम है, इसका विकास होना चाहिए। रेल का विस्तार होना चाहिए। मैं जब रेल राज्य मंत्री था, उस समय मेरे पास एक फाइल आई थी कि आप पोखरन के स्टेशन को हटा दीजिए। परंतु मैंने कहा कि पोखरन का स्टेशन समाप्त नहीं होना चाहिए। उसको हमने बरकरार रखा क्योंकि हम चाहते थे कि मरुस्थल का विकास हो। मरुस्थल आगे बढ़े। पोखरन वह जगह है जहां पर हमने एटोमिक एक्सप्लोजन किया है और वह अपने आप में एक हेरेटिट साइट है। इसको देखते हुए जब हम रेल का विस्तार करेंगे क्योंकि मरुस्थल के अंदर जो रेल चला करती थी, आपके जैसलमेर के अंदर, वह एक टायर पर चलती थी, रेलवे की पटरी पर चलती थी। अर्थात् वहां के डिब्बों में जो कार के टायर भी लगे होते थे। परंतु आज बड़ी तेजी से वहां रेल जा रही है और विकास हो रहा है। इसके साथ साथ वहां पर सोलर फोन्स लग जाएं तो अगर कोई एसओएस करना चाहता है कि कोई संकट में पड़ जाए, कोई एमरजेंसी में पड़ जाए तो सोलर एनर्जी से बैटरी चार्ज होगी और उससे आप कहीं से भी कभी भी टेलीफोन कर सकते हैं। इसी प्रकार के सोलर टेलीफोन्स आपको यूएई में देखने को मिलते हैं, आपको दुबई में देखने को मिलते हैं। बड़ी आसानी से ये लग सकते हैं और इस मरुस्थल के नीचे बड़ा खनिज भंडार है। वहां का एक पत्थर है जिसका स्वाद नमकीन होता है और दही जमाने में लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। उस पत्थर को डाल देते हैं। वहां पर क्रूड ऑयल, गैस का बहुत बड़ा खजाना है। वहां की क्षमताओं का अनुसंधान करना होगा जिससे हम समझ सकें कि हमारे मरुस्थल के नीचे क्या क्या खजाना दबा हुआ है। उसके लिए एक्सप्लोरेशन की बड़ी आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सकल पदार्थ हैं जग में ही और कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ होने के बाद अगर हम कर्महीन हो जाएं तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आर्थिक पैकेज के साथ साथ हमें कर्मयोगी भी बनना पड़ेगा। आप जानते हैं कि मैं उस प्रदेश से आता हूं जहां से गंगा बहती है।

गंगा के देश का रहने वाला हूं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और उस देश से जहां से गंगा आती है, वह गंगा यह शिक्षा देती है क्योंकि गंगा धरती की धारा नहीं थी, इसको वैतरणी कहा जाता था, यह स्वर्ग में बहती थी परंतु भागीरथ जी ने तपस्या की और स्वर्ग को भी धरती पर उतार कर ले आए, गंगा को धरती पर ले आए जो आज हमारी धरती को स्वच्छ और निर्मल बनाती है।

अंत में, मैं यही कहूंगा:

“रानी की रबानी बदलेगी,
सतलज का मुहाना बदलेगा,
गर शौक में तेरे जोश रहा
तस्वीर का जामा बदलेगा,
बेज़ार न हो, बेज़ार न हो,
यह सारा फसाना बदलेगा,
कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें,
तब तो यह जमाना बदलेगा।”

हरीश चौधरी जी के संकल्प के साथ उनका समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity. I welcome the initiative taken by the hon. Member, Shri Harish Chaudhary, for the social economic development of desert region through special economic package on the lines of North-Eastern region.

The hon. Members who spoke before me on this subject have drawn the attention of the Government on the need to provide liberal financial assistance to the less developed regions.

Sir, it is really an issue of extreme concern. People living in the desert region are suffering a lot. Economic opportunities for a decent living are minimal in that region. They have been exploited by various forces and the benefit does not reach them often. The welfare and special programmes to uplift them do not reach them fully. Hence, as advocated by other Members, the Centre has to pay more attention to the socio-economic development of these people in desert areas through special economic packages.

Sir, our country is having two faces, one side with haves and the other side with have-nots. Similarly, we have less developed States and also developing States. We are in a position to take care of both, less developed and developing States. States have more responsibilities for the development of the area. Both the sources of revenues are slowly shrinking. Most of the tax bases and sources lie only with the Centre. Gradually, the Centre is taking away much of the States' power now. The States are reduced to almost glorified municipalities, as our hon. Chief Minister of Tamil Nadu stated. So, the Centre should come forward to extend its helping hand towards the developing States also to meet their demands in a just and fair manner. While showing more attention towards the less developed States, developing States also should not be neglected.

At this juncture, I deem it my duty to draw the attention of the Centre to the needs of the people of Tamil Nadu. My revered Leader, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puruchi Thalaivi has launched 'Tamil Nadu Vision 2023', document

envisioning to increase States GDP at a growth rate of 11 per cent or more per annum. In the words of my revered Leader:

> "Tamil Nadu Vision 2023 is a scheme designed to bring about socio-economic changes and improve necessary infrastructures needed for rapid economic development of the State."

The required investment of Rs.15 lakh crore, as the hon. Chief Minister of Tamil Nadu says, will have to come from States, Centre and private sources.

At this juncture, I would request the Centre to be more liberal and supportive to the efforts of the hon. Chief Minister of Tamil Nadu in transforming Tamil Nadu into one of the best States in India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu, as we all know, has sought financial help from the Centre to the tune of Rs.1,82,402.18 crore for the various development schemes. I am sorry to say that nearly ten months have passed Centre's response is not only subdued but a mute one. Am I to call it gross-negligence, discriminatory or indifference? While the Government knowingly allowed some persons to cause heavy loss to the Exchequer to the tune of Rs.1,75,000 crore, why not Centre fulfil its commitments of helping the States facing severe financial difficulties?

MR. CHAIRMAN : The subject of the Resolution is 'Special Package for Desert Region'. Come back to the subject. State-Centre is not the subject.

SHRI S. SEMMALAI : Sir, I am supporting the Resolution, but I am asking that the developing States should also be given due attention.

Hence I make a special appeal to the Centre that the financial needs of Tamil Nadu, as articulated by my Leader, be looked into and whatever is needed, the Centre should come forward and extend the assistance.

In this context, I welcome and support the Resolution moved by the hon. Member.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Mr. Chairman, Sir. Whatever we are discussing today, if the discussion on this Resolution concludes, I hope the mover of this Resolution also will be here to withdraw that Resolution on the request of our hon. Minister who is going to give reply on behalf of the Government.

But the mover of this Resolution, our friend, Mr. Harish Chaudhary, has two specific requests to make to the Government and that request is overall development of desert region in comparison to the economic package that is being provided to North-Eastern States. The second is socio-economic development at par with people living in other parts of the country. These are the two major aspects on which he has been harping on.

I would fail in my duty if I do not mention here that this Resolution was moved on 26th August 2011. The Winter Session has passed, the first part of the Budget Session has also passed and Mr. Harish Chaudhary was unlucky that every time whenever this Resolution was supposed to be discussed, somehow or other it got delayed and delayed.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): This is the fate of all Private Members' Bills and Resolutions.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Yes, this is the fate of all Private Members' Business that has been happening and to some extent we being members of the Business Advisory Committee, also are party to that. Today is 4th of May and perhaps many Members, who at that point of time had showed interest to participate in this discussion, perhaps, have become very tired.

But I remember, human civilization has always excelled when they are put to a lot of difficulty by nature. When nature provides or puts the human kind in difficulty, the intuitiveness of human nature blossoms and one gets the force to tide over that situation. It has happened in the coastal region of very many nations. It has happened in the Island nations of this world. It has happened in the forest or

the outer reaches of mountains and it has also happened in the desert regions of this world.

India being a sub-continent, I remember always, I have tried to mention this that when my daughter was in Class V, she came running one evening and showed me the Geography book and asked me, why this piece of land, country, which we call India, this piece of South-Asia, this region is called sub-continent? Why is it a sub-continent? That was being taught to her in Class V or VI.

Why is it a sub-continent? Is it the land mass that is why it is a sub-continent? If we compare it with China, China has bigger land mass, but it is not called sub-continent. Europe has many countries within and that land mass is also less than South Asia. It is called a Continent. Why this is a sub-continent, part of Asia?

It was a question which never confronted me when I was studying. But that question was posed to me by my daughter and I tried to explain that this is a region, this is an area, this is a land mass which is multi-lingual and multi-cultural. It has mountains. It has sea, bay and ocean. It has desert; it has forest. It has large rivers. It has different types of people living in this part of the region. That is why it is a sub-continent. It is because it is a part of the Asia continent, it is a sub-continent. That is not prevalent in China. It is not prevalent in other parts where so many divergences are not there.

Especially when I come to this desert region, as our friend Shri Arjun Ram Meghwal had educated me especially on this region, I would like to take his help. Jaisalmer, Barmer and Bikaner are the regions which we can identify with desert area. The moment we try to remember those areas, immediately the music and the art come to our mind which is unique in the Indian mosaic. The literature of Bhakti Movement also flourished in that area. At that point of time, when the large part of this nation was being subjugated, the Indian culture was being trampled upon, at that time this desert area flourished in Bhakti Movement because of Meerabai. Arjun Ram Meghwal *ji* also told me the story of Dhola

Maru. I think, when he is going to speak, he is going to narrate that pathetic and emotional experience about these two characters. Many people of this country know about Romeo and Juliet. Many people know about the other incidents, the love episodes, which had happened across the border. But the story of Dhola Maru, the amount of affection, goodwill and whatever comes in that love life can only come from a desert region.

One also remembers the historic character of Maharana Pratap and also remembers the day when he was moving in the jungles after being banished from his kingdom. When the child was being provided by the mother with a *roti* of grass and some other things, suddenly a wild cat jumped in and took that *roti* from the hands of that boy. The tremendous emotional pressure, the mental agony that Maharana Pratap had faced in that time of turbulence, it can only be felt by a father when he is unable to feed his children.

One also remembers the depredations Humayun had to undergo when he passed through the desert parts of Gujarat and Rajasthan while going towards Lahore. He took that desert route. What had happened during that period is not a part of History textbooks but it concerns anybody who wants to understand about an Emperor who was given all charge to rule by his father, who had fought shoulder to shoulder with his father in the First War of Panipat and had to leave Delhi because of Sher Shah Suri's aggression. He could come back to Delhi and become Emperor again after the tribulations which he went through for more than 20 years.

I also want to remember the valour of Gadia Lohar. The valour of that tribe needs to be propagated in our country. It is necessary to check the migration of that area. When one talks about the desert area of this region, one also remembers about the Shekhawaties. The best talented entrepreneurship has come from that area – the *Birlas*, the *Bajajs*, the *Goenkas.* They are from that area alone.

I am also reminded of Maharaja Ganga Singh of Bikaner, who was the first President of Indian Chamber of Princes, which is now known as Rajya Sabha.

I am also reminded the work that was done by Shrimati Indira Gandhi to bring water to that area. Today that Nahar has been called as Indira Nahar.… (*Interruptions*)

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** नहर गंगा सिंह जी लाये थे।

**श्री भर्तृहरि महताब :** नहर गंगा सिंह जी लाये थे, पर उन्होंने उसे विस्तारित किया था।

When one goes through that area one can see how that has developed. I am also reminded that during Vasundhara Raje's Chief Ministership there was a huge cloudburst. Those areas had tones and tones of water but it did not sink in. Nobody knew what to do with that. At that time Sardar Buta Singh was also representing a part of that area called Jalore and the amount of difficulty the people had to face due to that natural calamity was something which needs to be addressed too.

I would have been happy, if the Minister for Forests and Environment would have been present here today and participated in this deliberation. There is a need to protect flora and fauna of that area. It is by protecting the environment that we protect ourself, the human race.

Mr. Choudhary has also mentioned during his deliberations that schools should be established to develop the traditional skills. He mentioned about schools. Schools should be established to develop skills. I would also request the Minister that today, there is a need in this country that we should give certificates, not only certificates, graduate certificates, under-graduate certificates, to those students who excel. We have to prepare a curriculum for making bell metal, potteries, handloom and handicraft. This type of graduation and post-graduation certificates should be given and a curriculum should be prepared. It will not only encourage them to do their traditional jobs; traditional artefacts; but also it will check migration to the cities. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I have another two points to make.

Mr. Choudhary has mentioned about the oil and gas that is there in Barmer area. I was told that per day the capacity would be Rs. 1,600 crore. That much of oil and gas is available there which can be explored and exploited in this area. The area of Jaisalmer, Barmer and Bikaner not only has the oil and gas but it has gypsum, marble and phosphate. That amount of money and that amount of wealth, this desert area can provide to the nation. At least a fraction of it can also be invested in that area and for that Mr. Choudhary or anyone do not have to ask for any special package. I think that idea is hidden when he said 'at par with North-East'. When oil is being extracted from North-East, a portion of it is being invested for the development of the North-East. If this type of natural resource is prevalent in that area, why can we not exploit that region and also invest for the development of this region?

I would like to make two more points. Recently when the hon. Speaker had been to New Zealand …… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Your time is up.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I am concluding with these words.

Recently when the hon. Speaker was in New Zealand, she insisted that we should visit a farm and I was thinking in my mind that perhaps she wants to go to a dairy farm or to a lamb farm just to see how wools are made, how cheese or other things are made. But when we arrived at the farm, it was a wind farm. That type of wind farm can also be established in this desert area. For that, I am not insisting that it should be a Public Private Partnership. That can be. But first why do we not allow private enterprise to also go into this area and create wind farm for a specific period?

**16.56 hrs** (Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

At the same time, we can have the solar energy, the non-conventional energy. This will be a repository of the non-conventional energy. In that respect, I think, Barmer, Jaisalmer and Bikaner can be developed to a very great extent, and the desert will not be a curse on the polity of this nation but it can also become one of the major wealth generating regions of this country.

With these words, I support the Resolution that has been moved by Shri Harish Choudhary.

**चौधरी लाल सिंह (उधमपुर):** सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हमारे प्रिय भाई साहब श्री हरीश चौधरी जी ने जो रेज़ोल्यूशन मूव किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

महोदया, आज इस देश में ऐसे इलाके हैं और जो उन्होंने अपने इलाके की बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर की जो हालत है, ये इतने सख्त एरियाज़ हैं कि यहां लोगों का जीना, आज के ज़माने के मुताबिक नहीं है। ज़माना बदला, लेकिन ये इलाके नहीं बदल पाए, क्योंकि यहां की डेवलपमेंट नहीं हो पायी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी मैम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट्स का एमपीलेड एक जैसा है। लेकिन जब एरिया की बात आती है, तो सभी का एरिया अलग-अलग है। क्या इस तरीके से देश की डेवलपमेंट होगी कि एक एमपी का एरिया नहीं देखा, बल्कि उसकी पॉप्यूलेशन को देखा। आप मुझे बताएं कि 25-25 हजार स्कवेयर किलोमीटर की कांस्टीट्यूएंसी भी कोई कांस्टीट्यूएंसी है। ये तो देश हैं। हमारी दिल्ली की सारी कांस्टीट्यूएंसी के सारे एमपी बीस बार जोड़ने पर भी मेरी कांस्टीट्यूएंसी के बराबर नहीं पहुंचते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे एमपीलेड और जय प्रकाश जी और इन सब का, जो बाद में मंत्री भी बनते हैं। ये मंत्री भी यहीं के बनते हैं, घूम-घाम के आपको तो पता है। लोगों के साथ और इलाके के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, उसका एक कारण है। जिस एरिया में आपको दो सौ किलोमीटर के अंदर चार घर दिखेंगे, जो इस देश में रहते हैं, क्या उनका पानी पर हक नहीं है, क्या उनका हक बिजली पर नहीं है, क्या उनके बच्चे स्कूल नहीं जाने चाहिए, क्या उन्हें अस्पताल की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? अगर आप उन्हें कहते हैं कि वे भी भारतीय हैं, तो एक भारतीय का दूसरे भारतीय के साथ फर्क क्यों रखा जा रहा है? मेरा कहने का मकसद है कि लद्दाख हिमाचल प्रदेश से बड़ा है और सिर्फ एक संसदीय क्षेत्र है। आपको हैरानी होगी कि उसका विकास कैसे होगा, क्योंकि सिर्फ एक एमपी उसका विकास नहीं कर सकता है। आप एमपी को भी पांच करोड़ रुपया दे दीजिए और जब फंड्स देने की बात आती है, तो आप एक कांस्टीट्यूएंसी समझ कर पैसा देते हैं।

**<u>17.00 hrs.</u>**

इसका डेवलप्मेंट भी प्लानिंग कमीशन करता है। वह आबादी देखता है कि कितनी है। पहले हम ज्यादा से ज्यादा आबादी वाले को देते हैं। बाकी जो बचे हैं, उन्हें बाद में देखा जाएगा। बचेगा तो उन्हें देंगे, नहीं तो नहीं।

मेरी ज़नाब से विनती है कि आप मेरी अपनी कंस्टीट्यून्सी को देखें तो उसमें सात जिले हैं और 23000 वर्ग किलोमीटर की कंस्टीट्यून्सी है। इसमें खुश्की से, प्लेन से लेकर फिर कंडी, फिर छोटी पहाड़ी, फिर बड़ी पहाड़ी और जाते-जाते हिमालय तक मेरी कंस्टीट्यून्सी पहुंचती है। मुझे बताएं कि जम्मू-कश्मीर में

सबसे ज्यादा मिलिटैन्सी कहां थी? वह डोडा में थी। There was no connectivity; there was no road. ज़नाब आप ध्यान से देखिए कि जब ग्यारह हजार सात सौ वर्ग किलोमीटर का एक जिला हो और उस जिले में आप कहेंगे कि दस प्रतिशत वहां की कनेक्टिविटी हो तो आप हिसाब कीजिए कि ग्यारह हजार में से कितनी सड़कें रहेंगी? वह सड़क जो कश्मीर को जाती हैं ...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** इस रिज़ॉल्यूशन को एक घंटा का समय दिया गया था। वह तो समाप्त हो गया। अगर सदन चाहता है तो इसे एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

**चौधरी लाल सिंह :** मैडम, मैं कह रहा हूं कि वह जिला कहां से कनेक्ट हुआ? वह हुआ पथरीडाब से। वह नेशनल हाईवे है और वह सड़क बीच से बनिहाल से निकलती हुई चली गयी और टनल क्रॉस करके कश्मीर पहुंच गयी। लेकिन, जो बतोश से डोडा, किश्तवाड़, इन्द्रवाल, सोती, गुंदो वलेसा, गांधारी, इश्तारी, संसारी, सुमचान इत्यादि क्षेत्र हैं जहां पचास किलोमीटर से ज्यादा का पैदल रास्ता है। मेरा इलाका मारवा, बाड़वंक, इच्छन है जहां 86 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां के गरीब लोगों ने उन इलाकों में रहकर कौन सा ज़ुल्म किया है? हमारा इलाका इतना सुन्दर है। वहां लश ग्रीनरी, देवदार के पेड़ हैं, और इतनी अच्छी आबादी है, लेकिन वहां रहने वालों की रोजी-रोटी की हालत इतनी खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। वहां बर्फ गिर रही है। पिछले दिनों पन्द्रह-पन्द्रह, अठारह-अठारह फीट वहां बर्फ गिरी और कई घर दब गए। पिछली बार 40 लोग मरे थे। मेरी आपसे विनती है कि यह जस्टिस का सवाल है। यह श्री हरीश चौधरी का सवाल नहीं है। यह सवाल है जस्टिस और इंसाफ का कि एक इलाके का एरिया और उसकी हालत नहीं देखते और दूसरा इलाका जहां की गलियां भी पक्की हैं, नालियां भी पक्की हैं, रास्ता भी पक्का है, हॉस्पीटल हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एम्स हैं। यहां सुप्रीम कोर्ट भी है और सारा कुछ है और यहां भी उसी के बराबर पैसा दिया जाता है। यह क्यों है, आप मुझे बताएं। आप उन इलाकों के साथ क्यों नहीं इंसाफ करते जो इलाके आपकी प्लानिंग की वजह से पिछड़े हुए हैं। चाहे वह आपकी सरकार हो या मेरी सरकार हो, सबका ध्यान उसके सामने जाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। मेरे एरिया का रास्ता इतनी दूर खड़ा है कि वह आपको दिखेगा ही नहीं। मैं उड़ीसा गया था। वहां घूमा। वहां की भी बुरी हालत देखी। राजस्थान देखा, उसकी भी बुरी हालत देखी। मेरी कंस्टीट्यून्सी की भी बुरी हालत है। इससे लगा कि जो दिल्ली से दूर है, उसकी बुरी हालत है।

मैडम, आपके साउथ का एरिया इसलिए डेवलप हुआ कि वहां अंग्रेज पहले घुसे। वे वहां से घुसते-घुसते आए। जो-जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, कहीं रेल की, कहीं से माल ढोने की, उन्होंने बनाया। उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं बनाया। जहां अपनी सुविधा के लिए रास्ता चाहिए था, उन्होंने अपने लिए सब कुछ

किया। इधर मरूस्थल में जाकर उन्हें क्या करना था? पर, अब तो हमारा देश है। अब तो हम इंडियन हैं। अब तो अपने हिन्दुस्तान को हमें देखना है। उसकी जरूरत थी लूटना, हमारी जरूरत तो बनाना है, हमें तो देश बनाना है।

मैडम, मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप सुन कर हैरान होंगी कि मेरा जिले रियासी में आप देखेंगी, वहां मोर, अंगराला, गुलाबगढ़ और गुंजाली है। मैं वहां जिले में बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहा था, मैंने वहां एजुकेशन का स्तर देखा तो मुझे पता चला कि वहां एक जिले में 47 परसैंट अनपढ़ लोग थे। ये इस गलतफहमी में हैं कि हमें बहुत पैकेज मिले। हमें भी 24हजार करोड़ दिखाए, हमें भी बड़े लम्बे-चौड़े पैकेज देने के लिए कहा, लेकिन कुछ नहीं दिया।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारे 47 परसैंट बच्चे अनपढ़ हैं तो ये पैसे कहां लगे, कहां गए? इन्हें कौन चैक करता है, इसे कौन देख रहा है? जितना मर्जी पैसा आए, जब उसके ऊपर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और जो आदमी इस देश की सेवा के लिए खड़ा है, जब तक वह उसे देखेगा नहीं, चैक नहीं करेगा, उसे इसकी पावर नहीं होगी, ऐसे आपको कौन पूछता है। आप पूछेंगे नहीं तो वह स्कूल नहीं खुलेगा। आप स्कूलों की हालत देखिए। वहां न चाक है, न टाट है, न बोर्ड है और न ही स्टॉफ है। हम जानते हैं कि वहां टीचर्स भी ठीक से नहीं हैं। सरकारी स्कूलों की हालत तो इस कद्र है, मैं समझता हूं कि सरकारी स्कूल तो गरीबों के लिए नरक बने हुए हैं। गांव की सभी लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहां प्राइवेट स्कूल तो होते ही नहीं हैं और उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है, वे प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। वहां जो बड़ा आदमी होता है, वह अपने बच्चे को बोर्डिंग में बाहर भेज देता है। आप मुझे बताएं, उन गरीब बच्चों का इस देश में कब उत्थान होगा? आप गुजरों की बात कर रहे हैं, आपने स्पेशल्स केटेगिरी को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा दिया, लेकिन उनकी दुर्दशा नहीं सुधर पाई, क्योंकि कुछ प्लानिंग ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है। वह गुर्जर भैंस ही चरा रहा है। वह गर्मी में नीचे और सर्दी में पहाड़ से पांच-पांच सौ, हजार-हजार किलोमीटर अपनी भैंस को पालने के लिए पैदल जाता है। उसका अन्य कोई काम नहीं है। उसकी बुरी हालत है। उसे कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बच्चे को कौन मोबाइल टीचर देगा, डाक्टर देगा। आपका क्या सिस्टम है, क्या प्लानिंग है? किस प्लानिंग के तहत वह जाति ऊपर उठेगी? कैसे वह बकरवाल आगे आएगा? मैं एक दिन किसी गांव में चला गया। बकरवाल एक कास्ट है, ये मुस्लिम हैं, गरीब हैं। ये जंगलों में रहते हैं। मैंने उनके पास जाकर कहा कि आपने क्या बनाया है। मैं उनकी किचन के अंदर गया। वहां एक औरत खाना बना रही थी। मैंने उससे कहा कि इसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ था। वह सिर्फ पानी को ऐसे ही हिला रही है, उसमें

उसने कुछ भी नहीं डाला हुआ था। इस देश के उन गांवों के लोगों का क्या हाल है। मैंने एक घर में जाकर देखा, वहां एक औरत अपने तीन बच्चों को ठंड में ऐसे ही लेकर बैठी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा चौथा बच्चा कहां है, तुम तो कह रही थी कि मेरे चार बच्चे हैं। उसके घर में छत तक नहीं है, वहां से हवा गुजर रही है। मैंने उसके बच्चे को देखा, वह छिप कर बैठा हुआ था। आप सुन कर हैरान होंगे, मैंने उस बच्चे को कहा कि तुम खड़े हो जाओ तो वह खड़ा हुआ। उसकी उम्र 12साल की थी। उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, वह पूरा नंगा था। उसे समझ थी कि मैं नंगा हूं। उसे लगा कि कोई आया, उसने छलांग लगाई और वह पीछे छिप गया। वह लड़का बड़ा होता जाएगा, उसके कॉम्प्लेक्स को कौन खत्म करेगा। उसके दिमाग के प्रेशर कौन खत्म करेगा। उस बच्चे की सोच को कौन बदलेगा। वह बच्चा कैसे अपने आपको समझेगा कि हम फ्री माइंड हैं।

मैडम, आप एक तरफ देखें कि एक बच्चे के पास कपड़ों की लाइन लगी हुई है, उसे पता ही नहीं कि कौन सा कपड़ा पहनना है और ये इतने नंगे हो गए हैं, इन्हें पता ही नहीं कि कपड़ा पहना है या नहीं पहना है। ...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** लाल सिंह जी, बाकी माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

**चौधरी लाल सिंह :** बाकी माननीय सदस्य भी खूब बोलें, मैं उनके लिए बैठा रहूंगा। आप टाइम बढ़ाते रहें और सुनते रहें।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया :** नहीं, ऐसा नहीं होता है, कुछ तो सीमा होती है।

**चौधरी लाल सिंह :** अगर सच्चाई सुनोगे तो शायद हमारे इस देश की काया पलटे, यह मेरी जनाब से विनती है। उस बच्चे को खड़ा किया तो मेरे दिल में बड़ी तकलीफ हुई। मैं उस वक्त एम.एल.ए. था और वहां एम.एल.ए. के पास डिस्क्रीशनरी फंड है कि वह अपने एम.एल.ए.लैड से एक गरीब को मकान दे सकता है, जो आपके एम.पी.लैड में नहीं है। आपके एम.पी.लैड में वह इण्डीविजुअल हो जाता है। मैं हैरान होता हूं। यह हमारा पॉलिसी मैटर है तो इन पॉलिसी मैटरों में हमें तब्दीली लानी पड़ेगी, समझना पड़ेगा।

दूसरे, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, मैंने देखा है, जमीन, खेत-खलिहान पानी को तरस गये और मैडम, हमारा कंडी का एरिया है, वहां कम से कम पहले बुजुर्गों ने 1-2 हजार तालाब 1-2 हजार गांवों में बनाकर रखे हैं, जो तालाब हैं, वे जमाना बदला...(व्यवधान)

**सभापति महोदया:** आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी है, अब आप समापन करिये।

**चौधरी लाल सिंह :** जमाना बदला और उन तालाबों की शक्लो-सूरत बदल गई। वहां पर तालाब सूख गये और इन्होंने ट्यूबवैल्स का सिलसिला चलाया, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा, इससे लोगों का

डवलपमेंट रुक गया और पानी एक मसला बन गया। ये जो तालाब हैं, ये बर्बाद हो गये। मेरी रिक्वैस्ट है कि प्लानिंग में यह आना चाहिए कि वे हजार के हजार तालाब पानी से कैसे भर सकते हैं, कैसे उन तालाबों को वापस पानी से भरा जा सकता है।...(व्यवधान)

**सभापति महोदया:** प्लीज़, सही में जिनके यहां डैजर्ट है, उनको बोलने दें और जल्दी समापन करें। आपके सब पाइंट्स अब आ गये हैं।

**चौधरी लाल सिंह :** लास्ट में मेरी जनाब से विनती ह कि जब भी कभी प्लानिंग की जाये, फॉर एग्जाम्पल जम्मू-कश्मीर में कहीं करनी है तो हम 6 एम.पीज़. हैं। वहां किसी में दस हैं, किसी में 20 हैं, जो भी हैं, मेरी राय है कि वे अपने उन एम.पीज़. के एरिया में कम से कम उनसे डिस्कस जरूर करें। इसमें सबसे निकम्मा काम है कि जो बन्दा कुछ नहीं जानता, वह हमारा हिसाब कर रहा होता है। जब हमारा वह हिसाब-किताब हम करेंगे तो इससे यकीनन फायदा होगा। इसमें हमारी जो गलतियां हैं, उनको हमें सुधारना पड़ेगा।

बाकी मैं हरीश जी का बहुत वैलकम करता हूं कि वे यह संकल्प लाये। मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

**श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर):** सभापति महोदया, आपने मुझे राजस्थान के एम.पी. श्री हरीश चौधरी के द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके को विशेष दर्जा देने या विशेष पैकेज देने के संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

कोई एरिया रेगिस्तानी एरिया क्यों कहलाता है, वहां रेत होती है, इसलिए उसको रेगिस्तानी कहते हैं। रेत मीन्स सैंड ड्यूंस, टीबे, रेतीले धोरे। ...(व्यवधान) जो रेत होती है, वह गर्मी में जल्दी गर्म हो जाता है और सर्दी में जल्दी सर्द हो जाता है, ठंडा हो जाता है। एक्सट्रीम हीट एण्ड एक्सट्रीम कोल्ड जब एरिया होता है तो वह रेगिस्तान कहलाता है। हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहां एक्सट्रीम हीट भी हम देखते हैं, वहां टैम्परेचर कभी 49 और कभी 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है और अगर नीचे टैम्परेचर देखना हो, ठीक है कि जम्मू-कश्मीर में जाता होगा, लेकिन वहां एक अलग तरह का वातावरण है, लेकिन हमारे यहां जैसे चूरू इलाका माइनस में आता है, पिलानी माइनस में आता है, बीकानेर माइनस में आता है। वहां कई बार पाला जम जाता है। बाड़मेर और जैसलमेर में इतनी ठंड नहीं है। रेतीला इलाका होने के कारण एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड का एरिया कहने से वह रेगिस्तान कहलाता है, लेकिन उसका कवियों ने दूसरे ढंग से वर्णन किया है। हमारा वह एरिया कलरफुल भी है। उसको थोड़ा राजस्थानी में बोलना चाहता हूं मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा। 'सोने री धरती जढें चांदी रौ आसमान', मतलब वह जो रेतीले टीबे दिखते हैं, वे धूप में और चन्द्रमा में सोने और चांदी जैसे लगते हैं।

"सोने री धरती जढ़े और चांदी रौ आसमान,
रंग रंगीलो, रस भरयो, म्हारो प्यारो राजस्थान।"

यह कलरफुल स्टेट है। हम कपड़े भी ऐसे पहनते हैं, जैसे मेरी पगड़ी है, यह कलरफुल है, महिलायें जो हमारे यहां कपड़े पहनती हैं, वह भी कलरफुल होते हैं, मैं भी कलरफुल हूं। ...(व्यवधान) रंगीन मिजाज नहीं कलरफुल हूं। हमारे यहां ऐसी डेजर्ट परिस्थितियां रहीं, विषम परिस्थितियां रहीं, लेकिन फिर भी जो लोग वहां रहे, जेनरेशन टू जेनरेशन जिंदा रहे एवं सभ्यता को भी जिन्दा रखा ।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब यह पाकिस्तान नहीं बना था, तब भी हम सीमावर्ती क्षेत्र के लोग कहलाते थे, थार रेगिस्तान के कारण। तब भी हमारा एरिया ईरान, ईराक की तरफ से लगता था। आज हम एकदम सीमावर्ती हैं। पाकिस्तान की सीमा की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो वह रेगिस्तानी इलाके के लोग वहाँ रहे हैं। हुक्मदेव जी सही कह रहे थे कि वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं, जो केवल बुनाई का काम करते हैं और हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, लोग संतोषी हैं। वे पांच पशु पालते हैं। पांच पशुओं में एक गाय है, एक बैल है, गाय दूध पीने के लिए है और कुछ दही जमाने के

लिए है, बैल खेती करने के लिए है, बकरी बच्चों को दूध पिलाने के लिए है, भेड़ जिससे ऊन वगैरह होती है, जो धंधा करने के लिए होती है और ऊंट ट्रांसपोर्टेशन के साधन के लिए है। ये जो पांच पशु हैं, इनके आधार पर हमारा रेगिस्तान में जीवन चलता है। पानी वहां कैसे लेते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत बात होती है, लेकिन हमारे इलाके में मकान कच्चे थे, तो उस समय आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा कहा जाता है। मकान कच्चे थे, तो उन्होंने देखा कि पानी मकान में नहीं ठहर सकता है, तो उन्होंने टांके का सिस्टम शुरू किया। खेतों में एक टांका बनाया गया और उसका कैचमेंट एरिया छोड़ा गया कि यहां हम खेती नहीं करेंगे। उसका जो पानी आया, वह टांके में भर गया, उसी पानी को हम पीने लगे। इसे विशेष दर्जा देना चाहिए, देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम डिमांड कर रहे हैं कि हम बहुत संतोषी जीव हैं, हमें डिफीकल्टी में रहना आता है। अभी महताब साहब सही कह रहे थे कि हमारे यहां से बिड़ला गए, हमारे यहां से बांगड़ गए, हमारे यहां से डालमिया गए, हमारे यहां से सिंघानिया गए, बजाज गए, पोद्दार गए, पता नहीं कौन-कौन हमारे यहां से गए, जो देश के विभिन्न भागों में जाकर के उन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की, क्योंकि उन्हें डेजर्ट में रहने की आदत थी, डिफीकल्टीज में रहने की आदत थी। उन्होंने अपना काम किया और अपनी जो बचत थी, उससे उस क्षेत्र का विकास किया, हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं।

हमारी आपके माध्यम से मांग यह है कि हमारा यह जो विशेष पैकेज है, उसमें कुछ राशि की मांग हरीश चौधरी जी ने की है। हमारी डिमांड है कि बहुत सी योजनाओं को आप क्लब कर दीजिए। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा टांका दे दो, जिसमें पानी आ जाए और पांच पशु दे दो, ऊंट, भेड़, बकरी, बैल और गाय। पांच हमें पेड़ दे दो, टांके के आसपास लगाने के लिए, जिसमें बेर भी हो सकता है, मेडिसनल प्लांट के पौधे भी हो सकते हैं, जिससे चार-पांच साल में वे ग्रो हो जाएं तो उसको बेचकर हम इंकम भी कर सकते हैं, खेजडी भी हो सकती है। पांच हमें पौधे दे दो और पांच हमें लाइट के प्वाइंट दे दो, कैसे दे सकते हो, वह हमारे ही संसाधन हैं, विंड एनर्जी हमारे पास है, सोलर एनर्जी हमारे पास है, लेकिन टैक्नॉलाजी का उपयोग हम नहीं जानते हैं। इसमें भारत सरकार को इन्टरवेंशन करना पड़ेगा। हमारे घर में लाइट के पांच प्वाइंट दे दो, जिनसे पंखा चले, फ्रिज चले, ऐसे हमें पांच प्वाइंट दे दो। हम कारीगर लोग हैं, हमारे यहां लोग हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत अच्छा जानते हैं। आपने देखी होगी बाड़मेर की चद्दर जैसलमेर की साड़ी, बीकानेर का पट्टू, बाड़मेर का पट्टू, बीकानेर का शॉल, नापासर एक जगह है, जहां का शॉल इतना फेमस है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जी उस समय मंगाया करते थे। हम इस तरह के कारीगर लोग हैं। पांच तरह के जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उसे डेवलप करने के लिए कोई धन दे दो, कोई एक काउंसिल बनाकर उसमें धन दे दो।

पर्यटन के क्षेत्र में हम बहुत एडवांस हैं। हमारे यहां पर फोर्ट हैं, हमारे यहां पर, जैसे मैं बीकानेर से आता हूं, हमारे यहां एक हजार हवेलियां हैं, किस तरह से लोगों ने उस समय दुलमेरा पत्थर की हवेलियां बनायी होंगी। वे हवेलियां देखने लायक हैं और लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। पर्यटन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए हमें किसी तरह के पांच इन्टरवेंशन दे दो। हमें रोड, रेल और मोबाइल टॉवर देकर कनेक्टिविटी से जोड़ दो, फिर हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी योजनाएं चाहे आप बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए, हम बहुत आराम से रह सकते हैं, क्योंकि हमें कठिनाई में रहना आता है। हमारे लोग संतोषी हैं, लेकिन उन्हें इतनी चीजें तो चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्यों स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं? हमारी साक्षरता की दर कम है। अभी बाड़मेर के बारे में बता रहे थे कि वहां डेढ़ परसेंट साक्षरता दर घट गयी। मैं बीकानेर से आता हूं, महिलाओं की साक्षरता दर और भी कम है। हमारे यहां पर जो मेडिकल की सुविधायें हैं, एएनएम सेंटर, पीएचसी, सीएचसी ये बहुत दूर-दूर हैं। हम 30 किलोमीटर जायेंगे तो कोई गांव नहीं आयेगा। अगर किसी महिला की डिलिवरी होने वाली हो तो वह जननी सुरक्षा योजना का लाभ कैसे ले पायेगी? हम चाहते हैं कि ऐसा इन्टरवेंशन करके जो हमारे एएनएम सेंटर्स हैं, पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, उन्हें स्ट्रेंथेन कर दीजिये। उसमें डाक्टर और नर्सेज की संख्या बढ़ा दीजिए। हमारे यहां माइन्स बहुत हैं। हमारे यहां से ही मारबल आया जिससे ताजमहल बना। हम जिस पार्लियमेंट में बैठे हैं किसी को पता नहीं है कि यह लाल पत्थर कहां से आया है। हमारे यहां से ही लाल पत्थर आया जिससे लाल किला बना। वह कितना सुंदर लगता है। महताब साहब ठीक जिक्र कर रहे थे कि जिप्सम, लाइम स्टोन हमारे पास है। वहां सीमेंट की बड़ी इकाई लग सकती है। हुकुमदेव जी ठीक कह रहे थे, राममनोहर लोहिया ने दर्शन दिया की डेजर्ट एरिया में फैक्ट्री क्यों नहीं लग सकती है? अभी आप का एसईजेड (स्पेशल इकोनॉमी जोन) का कन्सेप्ट आया। हमारे क्षेत्र में क्यों नही जाते हैं? आप एसईजेड यहां लेंगे, उसके लिए डबल क्राप एरिया की जमीन लेंगे, जमीन हमारे यहां से ले लिजिए। हमारे यहां जमीन की कोई कमी नहीं है। आप विशेष दर्जा से कनेक्टिविटी दे दीजिए। लाइम स्टोन इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि बहुत बढ़िया सीमेंट बन सकती है। जैसलमेर का यलो स्टोन बहुत दूर-दूर तक एक्सपोर्ट होता है। हमारे पास ग्रेनाइट है। लक्खा की ग्रेनाइट बहुत फेमस है। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां मिनरल्स की भी कोई कमी नहीं है लेकिन हम प्राकृतिक आपदाओं के कारण परेशान होते हैं। बाकी चीजें जो कही गई हैं उन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि एक या दो एसईजेड हमारे रेगिस्तान में लगे। हमारे यहां इरिगैशन फैसिलिटी बढ़े। अभी महाराजा गंगा सिंह जी का जिक्र आया। गंगा सिंह जी बीकानेर के महाराजा थे और उन्होंने वर्ष 1927 में गंग नहर का निर्माण कराया। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। उस नहर का अभी विस्तार हुआ जिसका नाम इंदिरा गांधी नहर

परियोजना है। यह उस जमाने में आई थी। हमारे यहां पर इरिगैशन की फैसिलिटी बढ़े। आज गंगानगर और हनुमानगढ़ जहां जो चावल और कॉटन इसी नहर के कारण पैदा करता है। नहर नहीं होती तो कुछ नहीं होता। इसलिए इरिगैशन फैसिलिटी हमारे यहां पर बढ़नी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि एक नेशनल डेजर्ट डेवलपमेंट ऑथरिटी भी दें। हर जगह कोई न कोई ऑथरिटी है। हमारे यहां डेजर्ट है तो उसके विकास के लिए एक डेजर्ट डेवलपमेंट ऑथरिटी भी बननी चाहिए। मैं बीकानेर से आता हूं। वहां ऊन बहुत होती है। हुकूमदेव जी वहां गए होंगे। वहां भेड़े ज्यादा हैं। ऊन अनुंसंधान केन्द्र हमारे यहां है लेकिन वूलेन डौमिनेटेड मल्टी सेक्टर टैक्सटाइल पार्क बनेगा तो वह कहीं और चला जाएगा। हमारे यहां यह त्रासदी है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, में कॉटन होती है लेकिन कॉटन टेक्सटाइल पार्क बनेगा तो वह कोई और ले जाएगा। वह कॉटन ग्रोइंग एरिया में नहीं जाएगा। हमारे यहां ऊन होती है लेकिन पार्क कहीं और बनेगा। इस तरह सरकार का जो इन्टरवेन्शन है वह डेजर्ड मे हो तो वहां का विकास हो सकता है।

अगले दो बिन्दू मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहां फेमीन कोड है। हमारे यहां पिछले साठ सालों में छयालिस बार अकाल पड़ा है। इसको हम बंजर जमीन कहते हैं। वहां पर जब अकाल पड़ता है तो एक फेमीन कोड जो हमारे यहां रेगुलेशन होता है। वह फेमीन कोड अंग्रेजों के जमाने में बना दिया गया था उसकी मजदूरी भी कम उसके रेगुलेशन भी कम, उसके मैट की पावर भी ज्यादा, आप फेमीन कोड को तो अमेंड कर सकते हैं। इसमें तो ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। इसको तो आप अमेंड कर सकते हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पशुधन बकरी पालन में कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है लेकिन पशुधन से जो चीज बनती है उस पर इनकम टैक्स है। मैंने कई इन्वेस्टर से बात की कि आप हमारे राजस्थान में आकर इंवेस्ट क्यों नहीं करते हैं? वह कह रहे हैं कि पशुधन तो आप के पास है लेकिन अगर हम हड्डी पीसने की मशीन लगाएंगे तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। यह छूट तो आप दे सकते हैं। यह तो आपके हाथ में है। अगर आप डेजर्ट में इनकम टैक्स की छूट देंगे तो वहां विकास होगा।...(व्यवधान) रीजनल इम्बैलेंस दूर नहीं होने के कारण ही विशेष दर्जे की मांग आई। हम कोई कमजोर रहे हों ऐसा नहीं है। भक्त मीरा बाई पूरे देश में नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध है। महाराणा प्रताप वीरता में देश में नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध हैं और मैं यह कह रहा हूं कि हमारे यहां जो चीजे हुई हैं जैसे हमारे रेगिस्तान में रोहिड़ा पेड़ होता है उसके फूल इतने सुंदर होते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते लेकिन कोई टैप करने वाला नहीं है। गोडाउन पक्षी के बारे में बहुत चर्चा हुई कि वह लूप्त हो रहे हैं उनकी रक्षा कौन करेगा। कुर्जा बर्ड साइबेरिया से हमारे यहां पर आती है। रेगिस्तान का आदमी दिन ढलते ही सो जाता है। वह ज्यादा टाइम नहीं लगाता। दिल्ली या मुम्बई में आदमी रात को 11-12 बजे तक नहीं सोता, लेकिन हमारे यहां का आदमी 6-7 बजे सो जाता

है, सुबह 4 बजे उठ जाता है और प्रकृति के साथ जीता है। वह कुर्जा को देखेगा। कुर्जा कहां से आ रही है? वह साइबेरिया से हमारे यहां पानी पीने के लिए आती है। जब वहां बर्फ पड़ती है तो वह हमारे यहां आ जाती है। हमारे यहां के लोगों ने तालाब बनाए, उसे रहने के लिए स्थान दिया और दाना डालने की जगह दी। हमने सांप को भी पाला। आप देखेंगे कि सांप को कैसे पाल दिया। नमोनारान मीणा साहब बैठे हुए हैं। मैं बाड़मेर में एडीएम (डैवलपमैंट) था। मैं एक गांव में गया। मेरी नाइट स्टे एक झुम्पे में हो गई। रात को मुझे लगा कि झुम्पे में क्या हो रहा है। मैंने पूछा, क्या चक्कर है। वहां लाइट नहीं है। उसने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा कि चिड़िया दिख रही है। वह लालटेन लाया और देखा। मैंने पूछा कि क्या यह सांप है? घरवालों ने कहा कि क्यों डरते हैं। सांप और हम साथ ही रहते हैं। सांप ऊपर रहता है, हम नीचे रहते हैं और सांप कभी डिस्टर्ब नहीं करता। अलग-अलग तरह के लोग उस क्षेत्र में हुए हैं। हमारे यहां एक पीवणा सांप होता था। हम वहां बहुत मुश्किल से जिए हैं। वह आक्सीजन पीता था। वह शायद बाबा रामदेव की तरह प्राणायाम करने वाला सांप होता था। जैसे किसी आदमी के ऊपर वह चढ़ा, आक्सीजन लिया और जैसे ही उसे लगा कि मैंने इसे काफी पी लिया, तो पूंछ मारकर चला जाता था। हम ऐसे क्षेत्र के हैं। वह उसे जगा जाता था कि अब तू मरने वाला है। वह आक्सीजन पीता था इसलिए मरता नहीं था। जलाना लाना पड़ता था। अगर किसी आदमी ने देख लिया कि पीवणा सांप जा रहा है, प्राणायाम की ताकत है या पता नहीं क्या है, वह सांप जमीन को चीर देता था और अंदर चला जाता था, बिल नहीं बनाता था। वह भी खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि हमारे यहां ऐसे जीव-जन्तु भी रहें। गोडावन पक्षी भी रहें, सब रहें। प्रकृति ने जगह सिर्फ आदमी के लिए नहीं दी, जितने भी जीव-जन्तु हैं, वे सब रहने चाहिए और हमारे यहां हर तरह के जीव-जन्तु फ्लोरा और फोना हैं। उनकी रक्षा के लिए स्पैशल पैकेज में प्रावधान होना चाहिए।

आपकी एक योजना बीएडी (बार्डर एरिया डैवलपमैंट) है जिसके कारण बार्डर एरिया का डैवलपमैंट करते हैं। मैं इसमें एक अमैंडमैंट चाहता हूं कि अगर सीमा क्षेत्र में कोई नगरपालिका आ गई तो कहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में हम नहीं देंगे। वह पांच किलोमीटर के अंदर ही है। मैं आपके माध्यम से ये छोटे-छोटे अमैंडमैंट्स सरकार को सुझाना चाहता हूं। अगर इस तरह के अमैंडमैंट्स होंगे तो रेगिस्तान एरिया जिसमें राजस्थान के वैस्टर्न पार्ट के 16 जिले आते हैं, हम राजस्थान को हरा-भरा कर सकते हैं। जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाने के लिए टैक्स हॉलिडे घोषित किए, इनकम टैक्स की छूट दी, एक्साइज की छूट दी, वैसी छूट पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी दीजिए तो हम राजस्थान का विकास कर सकते हैं।

श्री हरीश चौधरी प्राइवेट मैम्बर्स बिल के माध्यम से जो संकल्प लाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर):** सभापति महोदया, श्री हरीश चौधरी ने गैर-सरकारी संकल्प द्वारा जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने 26 अगस्त, 2011 को इस प्रस्ताव पर अपना भाषण दिया था। उसके बाद आज इस पर दूसरी बार चर्चा हो रही है। रेगिस्तान में जो जन-जीवन है, पशु जीवन है, उन्होंने उनकी व्यथा और पीड़ा के बारे में उल्लेख करते हुए विकास की बात की। उनकी मांग, बात, अनुरोध बिल्कुल जायज है। राष्ट्र के सामयिक विकास के संदर्भ में उनका प्रस्ताव सामयिक ही नहीं बल्कि इस मामले में प्रासंगिक है। संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और सरकार का प्रयास योजना के माध्यम से होगा कि क्षेत्र में संतुलित विकास हो और आर्थिक असंतुलन, विकास का असंतुलन दूर हो।

श्री चौधरी जी ने दो बातें कही हैं। श्री भृतहरि मेहताब जी ने भी चर्चा की है कि वहां के रहने वाले लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के मामले में कि विद्यालय, यातायात हो और जो ग्रामीण कुटीर उद्योग-धंधे हैं, उन्हें बाजार मिले, मार्केट कनेक्टिविटी हो, रोजगार सृजन के लिए पूंजी हो और शैक्षणिक स्तर से उनका जीवन कैसे उठे, उस पर जोर दिया जाये। उन्होंने अपने भाषण में दो बातें कही थीं कि इस देश में एक कोल्ड डेजर्ट है और एक हॉट डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट के विकास की बात की गयी है, प्रयास भी किया गया है लेकिन जो हॉट डेजर्ट है, उसका जन-जीवन तपता रहता है और वे लोग कैसे रहते हैं, इस मामले में अब तक सरकार ने कोई आंकलन नहीं किया।

अभी श्री अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि एक डेवलपमैंट अथॉरिटी बनी। वह राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है। यह अथॉरिटी राज्य सरकार बनायेगी, लेकिन राज्य सरकार बनायेगी, तो पैसे का सवाल उठता है। सारा मामला पैसे पर चला आता है कि पैसे कहां हैं? स्वयं हरीश चौधरी जी ने दो बातें का उल्लेख किया था कि हमारा जो नार्थ ईस्ट प्रदेश है, उसके विकास और उसे राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार ने एक अलग मंत्रालय बनाया और उसे बनाकर विकास को गति दी गयी। फिर सरकार ने सैक्टोरल एप्रोच किया कि किस-किस सैक्टर में ज्यादा जोर दिया जाये, ताकि सैक्टोरल डेवलपमैंट हो और राष्ट्र की मुख्य धारा में नार्थ ईस्ट प्रदेश कैसे जुड़ें। उसी आधार पर उन्होंने कहा कि मरुस्थल के विकास के मामले में भी सरकार को विचार करना चाहिए। यह ठीक है कि यहां प्लानिंग मिनिस्टर बैठे हैं। यह प्लानिंग का मामला है, लेकिन अलग मंत्रालय नहीं खुल सकता, तो कम से कम जो जनजातीय मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अधीन मरुस्थल के मामले को देखने के लिए एक कोषांग, एक विभाग खोला जा सकता है। उस विभाग को खोलकर सरकार उसे देख सकती है।

अभी अर्जुन मेघवाल जी ने राजस्थान के बारे में बहुत चर्चा की है। यह ठीक है कि हमारे देश की परम्परा के साथ राजस्थान की परम्परा एक महत्व पैदा करती है, एक सुगंध पैदा करती है। राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानते हैं, तो हम भी गौरवान्वित होते हैं। राजस्थान की वीरांगनाओं से लेकर मीरा तक की आपने चर्चा की है, तो हम भी बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन उसी राजस्थान में पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे-अच्छे स्थान हैं। राजस्थान के लिए पर्यटन एक उद्योग है, तो राजस्थान में रेगिस्तान भी है, जिसे जैसलमेर कहते हैं। वर्ष 1988 में जब बिहार विधान मंडल की कमेटी जैसलमेर गयी थी, तो मैं भी कमेटी के साथ गया था। हमने देखा कि जैसलमेर के जनजीवन में सबसे बड़ा संकट जल का है। लोगों ने स्नान करने से लेकर पीने के पानी तक की अपनी पीड़ा बतायी। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कर्मचारी वहां से आया। उसने हमसे कहा कि हम जैसलमेर से आना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप वहां से क्यों आना चाहते हो, तो उसने कहा कि वहां जल की सबसे बड़ी दिक्कत है। वहां स्नान से लेकर पीने के पानी तक बहुत दिक्कत होती है। आज भी जैसलमेर में पानी बाहर से टैंकर में आता है। इसलिए जैसलमेर रेगिस्तान का सबसे बड़ा पार्ट है। हम लोगों ने कहा कि हम रेगिस्तान का इलाका देखने के लिए जायेंगे, तो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गयी और एक सीमा तक जाकर हमें रोक दिया गया कि इसके बाद हम नहीं जा सकते। वहां के स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई जीवन नहीं है। हमने सोचा था कि आजादी के बाद हमारे बारे में सरकार सोचेगी। सरकार हमारा जीवन भी राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ेगी। लेकिन हमारे यहां पहुंचना मुश्किल है और जब आप पहुंच जायेंगे तो वहां से आना मुश्किल है क्योंकि हमारे यहां हरेक चीज की समस्या है और यह समस्या आज तक विद्यमान है। हरीश चौधरी जी ने अपने भाषण में वहां की व्यथा, पीड़ा व्यक्त की है कि आज भी वह समस्या, चाहे जल, यातायात, टेलीफोन, विद्यालय, शिक्षण, पठन-पाठन, चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, ये सारी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, जो हमने वर्ष 1988 में देखी थीं। हमने लोगों से पूछा कि क्या अब भी वही जीवन है, तो लोगों ने कहा कि अब भी वही कष्टमय जीवन है। भोग रहे हैं लोग वहां, जीवन को जी नहीं रहे हैं। राजस्थान में मरूस्थल में लोग कष्टमय जीवन को झेल रहे हैं, जीवन को जी नहीं रहे हैं। यह ठीक है कि विलेज आर्टिजन, ग्रामीण कुटीर उद्योग-धंधों को आप विकसित कीजिए, लेकिन आधुनिक भारत में, आधुनिक युग में, वैश्वीकरण में रोजगार सृजन के जो तरीके हुए हैं, उनको भी वहां ले जाना चाहिए और इसके लिए सिर्फ राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो या अन्य किसी दल की सरकार हो, उसके पास इतने संसाधन नहीं हैं। आप वहां से नेचुरल गैस निकालते हैं, आप पोखरण के बारे में बता रहे हैं कि पोखरण वहीं है। आप वहां से पेट्रोलियम निकालते हैं, लेकिन वहां की रायल्टी से

रेगिस्तान का कैसे चहुंमुखी विकास हो, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। सरकार की तरफ से माननीय श्री अश्विनी कुमार, प्लानिंग मिनिस्टर यहां बैठे हैं, वह इस बात का जवाब दें कि आपने पूर्वोत्तर प्रदेशों के लिए योजना बनाई है, मंत्रालय बनाया है और क्रमांकित किया है बजटीय उपबंध बजट में। अच्छी बात है, आपने अच्छा किया है। लेकिन उसी तर्ज पर जो रेगिस्तान है, मरूस्थल है, जो हॉट डेजर्ट है, उसके लिए भी करना चाहिए। रेगिस्तान का वह इलाका देश के भूभाग से कटा हुआ है। उसका कैसे सम्यक विकास हो, वह राट्र की मुख्यधारा से कैसे जुड़े। अगर आप इसके लिए अलग मंत्रालय नहीं बना सकते हैं, तो जनजातीय मंत्रालय में या योजना मंत्रालय में इसके लिए विभाग बनाना चाहिए।

इसी बात के साथ, मैं हरीश चौधरी जी के इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I would like to support the Resolution moved by our esteemed colleague Shri Harish Choudhary in regard to special economic development package for the desert regions of the country. Not only that, he also sought that the package should be at par with the North-Eastern States to mitigate the problems being faced by the people living in the deserts.

In India the total area of deserts is 2,08,110 square kilometers and it spreads over four States namely, Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. The desert area has been divided as Great Desert and Little Desert. Great Desert forms a part of Thar Desert which extends from Pakistan in the West from the edge of Rann of Kutch beyond the Luni River. And the Little Desert extends from the Luni between Jaisalmer and Jodhpur up to Northern West. The arid zone in India occupies 12 per cent of the total land. Further, there are 70,000 square kilometres of cold deserts in Ladakh and Himalayas together.

A number of Members have already spelt out the problems of the people of desert areas. As far as Thar desert is concerned, Thar desert is the most populous desert in the world. It is a living and dynamic desert. A square kilometre area of Thar is occupied by 37 persons. In contrast, in other parts of the world only seven persons occupy a square kilometre of desert area. Not only that, it is a land which is recognised as a land of biodiversity.

The uniqueness of the desert is that we experience high temperature, low precipitation and high rate of evaporation. I would like to draw the attention of the entire House to the fact that it is very alarming to note that desertification has been going on continuously, and it is encroaching upon the fertile lands of our country. It needs to be stopped first. So, we need to have a comprehensive strategy to impede the expansion of desert area so that we can save our fertile land. The desert is spreading outwards at the rate of half-a-kilometre per year. Could you imagine that it is encroaching at the rate of approximately 130 square kilometre of fertile land every year? May I know from the hon. Minister whether any study has been

done to ascertain the area of desertification and whether the Government has taken any steps in consultation with the other world organizations, to stem the expanse of desert? As we are all aware, we had the Rio Convention. It is a planning workshop, carried out in 1999, within the framework of regional cooperation to combat desertification in the Middle East by utilizing a participatory approach. May I know whether our Government is taking any steps by participating in those approaches and in those conventions?

Our desert is being taken care of by various schemes. Earlier we had desert development programme in 1977-78. Now all the programmes have been subsumed under the Integrated Watershed Management Programme from 2009. Under Integrated Watershed Management Programme, the identified areas of desert development have been given due priority, while selecting the projects for implementation. May I know from the hon. Minister how many projects were sanctioned under Desert Development Programme, how much money has been allocated for that purpose, whether the target in this regard has been achieved and whether it is a fact that the money has not been spent fully so far?

The problem especially in the desert is that there is soil erosion which needs to be tackled. Soil erosion is a serious problem in the desert. The chief agent for soil erosion is blowing of wind, especially the South-Western wind. Sometimes, it accelerates the velocity to 140 kilometres per hour. The wind of that velocity simply evaporates the moisture that remains in the soil. Not only that, it also physically removes soil from one place to another. The Government should contemplate measures to protect land from soil erosion by wind.

Soil conservation is another important aspect if we really wish to help the people of desert regions. Only if we are able to conserve the soil, it will have the requisite moisture which will help in vegetation and which in turn will serve other purposes.

As Shri Meghwal mentioned, in desert region animal husbandry is recognised as a great profession. Per capita availability of animal is the highest in

the desert areas than in other parts of the country. But the fact is, due to over-grazing and also trampling by cattle and other animals the land is being further degraded. The Government should take rational scientific measures so as to save on the one hand the livestock and on the other hand to take care of the conservation of soil. In this regard I would like to offer some suggestions.

In the canal-irrigated areas the Government should adopt mixed farming. This would maintain high-yielding dairy cattle and cultivation.

Artificial insemination should be taken up in the canal command areas and should be intensified around urban areas, in the existing milk schemes, of the States.

While grass reserves would yield a good quantity of grass, seed production should also be undertaken in properly organised seed production farms in areas with good irrigation facility.

Irrigation is an imperative need to save the people of desert region. As has been mentioned by other Members, there is enormous mineral wealth in the desert region. This mineral wealth should be conserved and utilised to give optimum results.

Market-oriented industries based on agricultural products, livestock and minerals should be developed in all the large, medium and small scale sectors.

An efficient transport network should be developed in the region which should interlink urban centres as well as villages.

Areas of scenic beauty should be developed conserving the important existing features such as sand dunes to the west of Jaisalmer.

Recreational areas should be developed by utilising the existing features and by further developing the same tourism should be promoted. Tourism is a smokeless industry which can easily be flourished in the desert region.

I would also like to mention that along with proper land use activities, a considerable area should also be kept for afforestation. I would like to put emphasis on afforestation. Afforestation should be made to check further expansion of the desert and attract more rainfall in the desert region. We have to do well in afforestation for the development of desert region. It should be given high priority along with conservation of soil and prevention of soil erosion by wind. These are the suggestions that I would like to make.

Last but not least, North-Eastern Region is an amalgamation of seven States but only a few areas of the States are called desert areas. However, I would support this Resolution and draw the attention of the concerned Minister to take necessary action.

*__SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR)__ : Hon. Madam Chairperson, I stand to support resolution introduced by Shri Harish Chaudhary. Anantpur district of Andhra Pradesh is showing indications of turning into a desert. Scientists also expressed similar fears. In such a scenario, it is our responsibility to save these districts. In our country, Anantpur district is next to Jaisalmer district of Rajasthan where lowest rainfall is recorded. We should note that even after digging large number of bore wells in these villages, drinking water is not available. I would like to bring to your notice a very serious situation, where people of this region are asking only for drinking water. Inspite of many water conservation programmes, the ground water levels could not be replenished. When there is no adequate rainfall, how the ground water levels can be replenished?

The Government report states that 14 out of 16 crops resulted in failures. In such a situation, we should understand how the people of this region survives without any means of livelihood. In Anantpur district, out of 16 crops, 14 crops resulted in failure and Central Government is offering only 3% subsidy on interest, that too for those farmers who repaid their loans on time. The farmers of Anantpur district where crop failure is rampant are not in a position to avail this subsidy. Anantpur district receives scanty rainfall and for last 30 years only groundnut is being cultivated here. Neither State Government nor Central Government is in a position to support groundnut sowing in these regions.

It incurs an expenditure of Rs.10,000 per acre of groundnut cultivation. When 14 out 16 crops failed, we should understand how the farmer of this region is living and surviving. And neither State Government nor Central Government is in a position to rescue these farmers. Recently, State Government had submitted a representation in this regard, seeking guidance on how to save this district. A central team visited this district and made some recommendations which were as good as recommendations made by Britishers. There was nothing new in those

* English translation of the Speech originally delivered in Telugu.

recommendations. If the Central Government does not announce special schemes to save this district, it will turn into a desert.

After agriculture, weaving is the main occupation of this district. Around 2 lakh weavers are dependent on weaving silk sarees. Weavers' welfare is also neglected by state as well as Central Governments. In 1995, a law was enacted to protect the interests of the weavers. Under that law, 11 articles were reserved to be manufactured only by handlooms and should not be manufactured on power looms or by any other means. But the Governments are not implementing this law effectively. These 11 reserved articles are being manufactured by other means and are being supplied throughout the country. The Central Government is not in a position to implement this law effectively. I plead the Government to implement that law effectively and save the weavers of this district.

Third main occupation of this district is sheep rearing. Around 20 lakh shepherds are dependent on sheep rearing. Fodder is not available for six months in a year. I request the Government to take steps to protect the interests of shepherds and save this district from turning into a desert. Special schemes should be announced for this district. With this request, I conclude.

**श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा):** सभापति महोदया, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए। आदरणीय श्री हरीश चौधरी द्वारा 26 अगस्त 2011 को पेश किये गये संकल्प को समर्थन देने के लिए जो मुझे आपने अवसर दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा जो राजस्थान के बगल में है, हम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा सामाजिक संबंध भी राजस्थान से है। जो राजस्थान की समस्याएं हैं, वही मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा की हैं। हमारा क्षेत्र दलित, आदिवासी लोगों का क्षेत्र है और बहुत पिछड़ा हुआ है। अरावली गिरी का जो पहाड़ी प्रदेश है, वहां से हमारे प्रदेश की शुरुआत होती है और राजस्थान जिसे वीरभूमि कहते हैं, जिस प्रदेश ने बहुत सारे योद्धा इस देश को दिये हैं, इस भूमि को मैं वंदन करता हूं और महाराणा प्रताप जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों के साथ लड़े थे, वह जब हमारे प्रदेश में साबरकांठा में जो विजय नगर है, वहां वह जंगलों में रहे थे और हमारे प्रदेश में जो आदिवासी लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था। जब मैं थोड़े दिन पहले वहां गया था तो जिस जगह पर महारानी ने हिचका लगाया था, वह जगह भी मैंने देखी और जहां वामाशाह आए थे और महाराणा प्रताप को मदद दी थी, वह स्थल मेरे प्रदेश में है। मैं अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उसके बारे में कुछ हो सके, इसके लिए निवेदन करता हूं।

हमारा जो पूरा क्षेत्र है, वह कृषि एवं पशु-पालन आधारित है। वहां उद्योगों का कोई विकास नहीं हुआ है क्योंकि रेलवे का विकास नहीं हुआ है और आप जानते हैं कि रेलवे ही विकास की धरोहर है। जहां जहां से रेल गुजरती है, वहां विकास होता है। हमारे वहां स्टोरेज भी नहीं है, इसके लिए किसान हैरान परेशान है। समय पर खाद्य न मिलने से कृषि प्रभावित हो रही है। यहां से दिल्ली, मुम्बई जाने के लिए भी कोई रेल सुविधा नहीं है। हिम्मतनकर, खेडब्रह्मा रेल लाइन को अंबाजी, आबुरोड तक बढ़ाने की योजना को योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजा है, मैं योजना आयोग से विनती करता हूं कि इसे स्वीकृति दी जाए।

महोदया, दूसरा बिंदु भूमि सुधार का है। यहां की भूमि कंकरीली और पत्थरी है इसलिए यहां ज्यादा अच्छी फसल पैदा नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए विशेा पैकेज मिले जिससे भूमि सुधार हो। यहां सिंचाई की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है।

**सभापति महोदय :** महेंद्र सिंह जी, जब इस विषय पर अगली बार चर्चा होगी तब आप इसे शुरु करेंगे। मुझे लगता है अब समय हो गया है। आपको चांस मिलेगा और आप इसे फिर शुरु कर सकते हैं।

**18.01 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 7, 2012/ Vaisakha 17, 1934 (Saka).*

---